# राजभाषा भारती

अप्रैल-जून, 1981 — राजभाषा विशेषांक — अंक—13

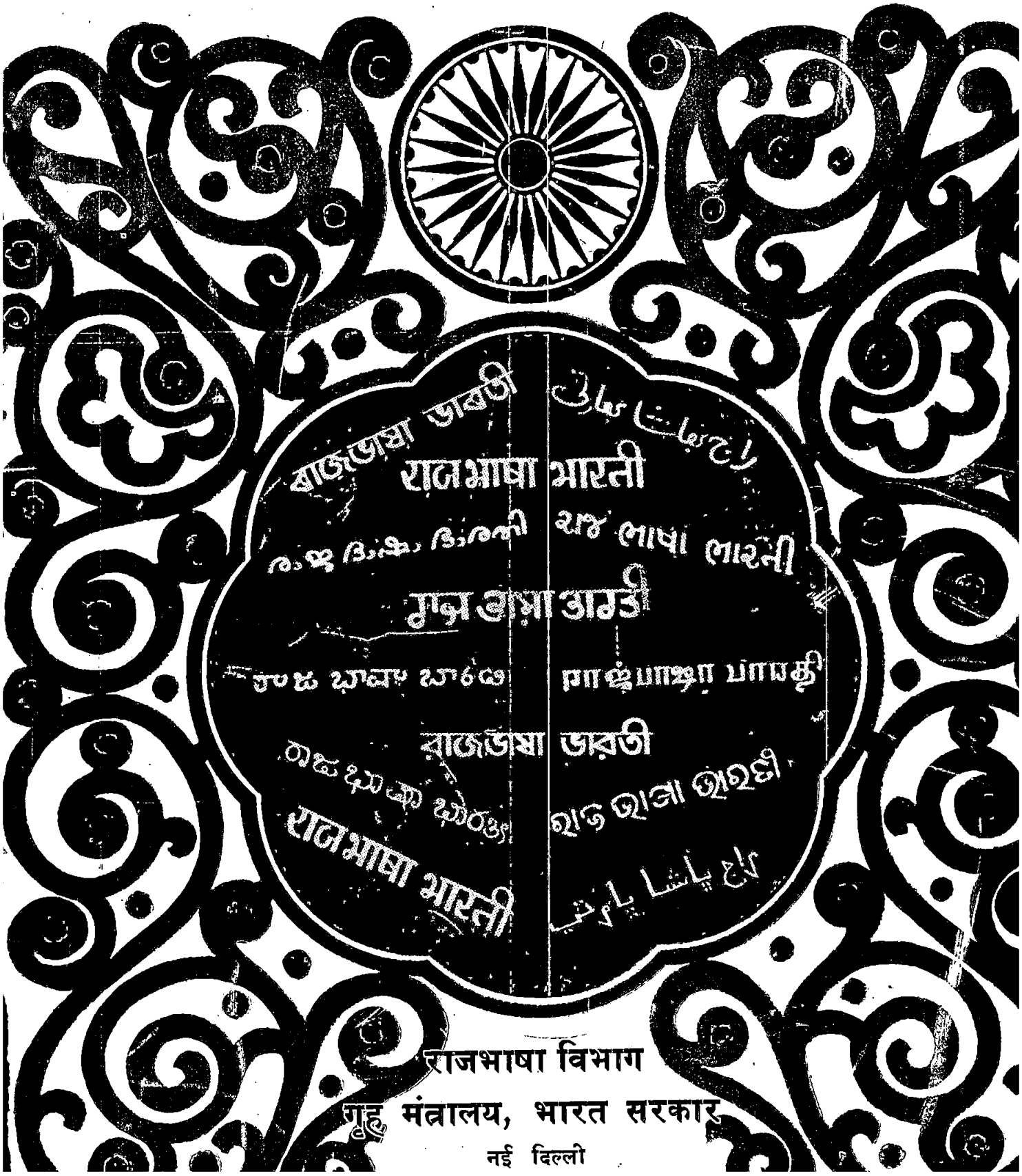

"हमारे चारों तरफ हमें संकीर्णता ही नजर आती है। देश के कई भागों में छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ने-भिड़ने तक की नौबत आ जाती है, चाहे वे भाषा की हों या प्रांतीयता की। जरा-जरा सी बातों से ही ये झगड़े भड़क जाते हैं। यह एक खतरनाक बात है....."

"अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हमें ऐसे समझदार लोगों की जरूरत है, जो एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एकता के सूत्र में बँधे हों। विकास, चाहे वह राष्ट्र का हो या व्यक्ति का, तभी हो सकता है, जबकि हर व्यक्ति भरसक अपनी सारी शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करे।"

—प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी

# राजभाषा भारती

## राजभाषा विभाग की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

## राजभाषा विशेषांक

वर्ष 4 | अंक--13 | अप्रैल—जून, 1981

संपादक
राजमणि तिवारी

○

उप संपादक
रंग नाथ त्रिपाठी 'राकेश'

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन, (प्रथम तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

○

फोन : 617807

○

पत्रिका में प्रकाशित वैयक्तिक लेखों में व्यक्त विचारों से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

○

[निःशुल्क वितरण के लिए]

—oo—

## विषय-सूची

| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| अपनी बात | | 2 |
| 1. राजभाषा सम्बन्धी सांविधानिक व्यवस्था और उसका क्रियान्वयन | —श्री हर्ष वदन गोस्वामी | 4 |
| 2. हिन्दी की प्रतिष्ठा-वृद्धि में अहिन्दी भाषियों का योगदान | —श्री शिवसागर मिश्र | 7 |
| 3. राजभाषा हिन्दी का स्वरूप | —डॉ० भोलानाथ तिवारी | 10 |
| 4. अखिल भारतीय शब्दावली | —श्री दयानन्द पंत एवं डा० रघुनाथ प्रसाद | 14 |
| 5. असांविधिक साहित्य का अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण | —श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय | 16 |
| 6. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण | —श्री गुरू प्रसाद चड्ढा | 19 |
| 7. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं | —डॉ० इ० पांडुरंगराव | 22 |
| 8. पारिभाषिक हिन्दी शब्दावली : आगामी कार्यक्रम | —डॉ० गोपाल शर्मा | 28 |
| 9. राजभाषा नीति से सम्बन्धित संकल्प, 1968—एक परिचय | —श्री हरिबाबू कंसल | 30 |
| 10. हिन्दीतर भाषी प्रदेशों में हिन्दी : कुछ सुझाव | —प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी | 33 |
| 11. देवनागरी लिपि : संशोधन और परिवर्धन | —श्री काशीराम शर्मा | 36 |
| 12. मुद्रण निदेशालय और अधीनस्थ मुद्रणालयों में राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियां | —श्री शिवनाथ चक्रवर्ती | 39 |
| 13. हिन्दी सलाहकार समितियों के कार्यवृत्त | | |
| (क) रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की सोलहवीं बैठक—संक्षिप्त विवरण | | 42 |
| (ख) रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक— कुछ प्रमुख निणय | | 44 |
| 14. विविधा (समाचार) | | 46 |
| 15. हिन्दी के बढ़ते चरण | | |
| 1. खेतड़ी कॉपर काम्पलेक्स (राजस्थान) में हिन्दी की प्रगति | | 57 |
| 2. आयकर विभाग, इलाहाबाद में हिन्दी के बढ़ते कदम | —श्री के० एम० चौधरी | 59 |
| 3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में हिन्दी के बढ़ते चरण | —श्री आत्मा राम सिंघल | 61 |
| 16. प्रदेशों की भाषाएं | | |
| 1. आंध्र प्रदेश में राजभाषा का प्रयोग | | 64 |
| 2. महाराष्ट्र राज्य में राजभाषा का प्रयोग | | 66 |
| 17. पुस्तक समीक्षा राजभाषा हिन्दी की कहानी | —श्री विजय कुमार मल्होत्रा | 68 |

# अपनी बात

"राजभाषा भारती" का प्रकाशन अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ हुआ था। अब तक इसके प्रकाशन के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में संघ की राजभाषा नीति तथा केन्द्र सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के संबंध में विशद जानकारी देते हुए इसके 12 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनका सर्वत्र स्वागत हुआ है। चौथे वर्ष का यह प्रथम अंक "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

"भारतीय संविधान के प्रमुख आधार स्तंभ हैं: प्रजातंत्र, धर्मनिर्पेक्षता, समता एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन्हें हम तब तक सार्थक नहीं कर सकते जब तक जनता का काम जनता की ही भाषा में न हो। यही कारण है कि भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है।

सन् 1950 में हिंदी संघ राजभाषा तो बनी परन्तु उस समय इसके व्यापक प्रयोग के लिए न तो आवश्यक तैयारी थी और न ही अपेक्षित साधन उपलब्ध थे। केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान भी नहीं था। दूसरी ओर सरकारी काम काज में काफी समय से अंग्रेजी का प्रयोग चला आ रहा था।

सन् 1955 में गठित राजभाषा आयोग और सन् 1957 से नियुक्त संसदीय राजभाषा समिति ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का जायज़ा लिया और यह महसूस किया कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ प्रारंभिक उपायों की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है, जिनमें ये प्रमुख हैं:—

(क) विभिन्न विषयों की पारिभाषिक हिन्दी शब्दावली का निर्माण; (ख) सरकारी नियमों, मैनुअलों और अन्य कार्यविधि साहित्य का हिंदी में अनुवाद; (ग) हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार के लिए अंग्रेजी की ही भांति यांत्रिक तथा अन्य सहायक साधनों की व्यवस्था; (घ) प्रशासनिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान कराने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण; और (ङ) अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का व्यापक प्रसार-प्रचार।

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश में की गई व्यवस्था के अनुसार ये सभी कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। हिंदी के विकास, प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग वृद्धि का उत्तरदायित्व मुख्यतः गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तथा सामान्य रूप में सभी मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया है। इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने एवं उचित मार्गदर्शन की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग पर है। इस दिशा में राजभाषा विभाग की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उनका संक्षिप्त विवरण संयुक्त सचिव (राजभाषा) के लेख में प्रस्तुत किया गया है।

शब्दावली निर्माण का कार्य आरम्भ में शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1960 में स्थापित केन्द्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा गया था। बाद में यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सुपुर्द किया गया। इन दोनों संस्थाओं ने अब तक विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी शब्दावली तैयार की है। श्री दयानन्द पंत और श्री रघुनाथ प्रसाद तथा डा० गोपाल शर्मा के लेखों में इस बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं आदि असांविधिक सरकारी साहित्य के हिंदी अनुवाद का काम प्रारम्भ में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा गया था, परन्तु मार्च, 1971 से यह कार्य गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंप दिया गया। इन दोनों कार्यालयों ने

भी प्रचुर मात्रा में असांविधिक साहित्य का अनुवाद प्रस्तुत किया है। श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय के लेख "असांविधिक साहित्य का अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण" में इसी संबंध में चर्चा की गई है।

केन्द्र सरकार के हिन्दी न जानने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन सन् 1955 से लागू है। इस योजना का पूरा विवरण तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी श्री गुरूप्रसाद चड्ढा के लेख "केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण" में दी गई है।

इनके अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी के स्वरूप, देवनागरी लिपि में संशोधन एवं परिवर्धन तथा राजभाषा से सम्बन्धित विविध महत्वपूर्ण विषयों पर डॉ० भोलानाथ तिवारी, श्री काशीराम शर्मा तथा अन्य विद्वानों के आधिकारिक लेखों में चर्चा हुई है जिनसे राजभाषा के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है।

हिंदीतर प्रदेशों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार की स्थिति एवं हिंदी की प्रतिष्ठा वृद्धि में अहिन्दी-भाषियों के योगदान के बारे में प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी और श्री शिवसागर मिश्र ने अपने लेखों में अच्छा प्रकाश डाला है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग का जो लेखा-जोखा डा० पांडुरंग राव ने प्रस्तुत किया है वह भी नितान्त सामयिक और उपयोगी है। इनके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों आदि में हिन्दी संबंधी गतिविधियों, विशेषकर "हिन्दी दिवस" के अवसर पर आयोजित समारोहों के समाचार भी राजभाषा की प्रसार-वृद्धि की झांकी के रूप में इस अंक में शामिल किए गए हैं।

भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है और हमारा अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति है। इस प्रक्रिया में हिन्दी को अन्य प्रादेशिक भाषाओं को साथ लेकर चलना है और एक सेतु का कार्य करना है। जैसे-जैसे प्रदेशों के काम काज में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग बढ़ेगा वैसे-वैसे संघ सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग का विवरण देने के लिए हमने एक नया स्तम्भ प्रारम्भ किया है और इस अंक में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।

आशा है यह अंक हमारे पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और यह हमारी सफलता का मूल्यांकन होगा।

—संपादक

**राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।**

**—महात्मा गांधी**

# राजभाषा संबंधी सांविधानिक व्यवस्था और उसका क्रियान्वयन

—हर्ष वदन गोस्वामी

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

राजभाषा विभाग को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन का मिला जुला उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके उत्तरदायित्व के व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:—

**उत्तरदायित्व का क्षेत्र**

(क) संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य का समन्वय करना और राजभाषा संबंधी विभिन्न सांविधानिक और कानूनी उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ख) देशभर में फैले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देना; तथा

(ग) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से संहिताओं, नियम-पुस्तकों, नियमों तथा अन्य असांविधिक कार्यविधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद की केन्द्रीकृत सेवा सभी मंत्रालयों और विभागों को उपलब्ध कराना।

राजभाषा विभाग संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी के समग्र विकास और प्रचार-प्रसार (संघ की राजभाषा के रूप में उसके प्रयोग को छोड़कर) का कार्य नहीं देखता। यह उत्तरदायित्व शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया है।

**2. सांविधानिक और विधिक उपबन्ध**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संघ के सरकारी काम-काज की भाषा होगी। इस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस अवधि के बाद सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति केवल संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के आधार पर ही दी जा सकती थी। इस उपबन्ध के अधीन संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया। इस अधिनियम की दो प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई है। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति तब तक बनी रहेगी जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाला प्रत्येक राज्य अंग्रेजी के प्रयोग की समाप्ति के पक्ष में अपनी इच्छा जाहिर न कर दे और संसद के दोनों सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दें।

(ii) धारा 3(3) के अधीन कतिपय विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का साथ-साथ प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है, यथा—

(क) संकल्प सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक अथवा अन्य प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्तियां;

(ख) संसद के किसी सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र; और

(ग) संविदायें, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, सूचनाएं और निविदा-प्रारूप।

3. संघ की राजभाषा नीति के संबन्ध में दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित सरकारी संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार पर संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने और उसका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संकल्प में यह भी अपेक्षा की गई है कि सरकार प्रतिवर्ष हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करे। संकल्प के अनुसरण में राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और उसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करता है। वर्ष 1977-78 तक की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, और वर्ष 1978-79 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आज कल मुद्रणाधीन है।

**4. भर्ती परीक्षाओं की भाषा**

संघ की लोक सेवाओं के संदर्भ में उपर्युक्त संकल्प में यह भी व्यवस्था की गई है कि —

(क) उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़ कर जिनके लिए उस सेवा या पद से संबद्ध कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु, यथास्थिति केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा दोनों का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं में अथवा पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा, तथा

(ख) अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं की भावी योजना, कार्य विधि संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद उक्त सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं के लिए, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यमों के रूप में रखने की अनुमति दी जाएगी।

ऊपर पैरा 4(1) में निहित निदेश को उत्तरोत्तर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग, अंग्रेजी भाषा के एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर संघ सेवाओं में और पदों पर भर्ती के लिए आयोजित अधिकांश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा के प्रयोग की अनुमति देते हैं। ऐसा ही विकल्प हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में या पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय अथवा स्थानीय आधार पर ली गई परीक्षाओं में दिया जाता है। इस आशय का भी निदेश दिया गया है कि अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएं और ऐसे पदों के लिए साक्षात्कार अथवा मौखिक प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

5. जहां तक उपर्युक्त पैरा 4(ख) का संबंध है संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में, 1979 से आयोजित केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षा से आरंभ करके इस परीक्षा के लिए विहित सभी प्रश्न पत्रों (भाषा के प्रश्न पत्रों को छोड़कर) के लिए हिन्दी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य भारतीय भाषा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग की अनुमति दे दी है।

**6. कार्यान्वयन**

संघ की राजभाषा से संबंधित विभिन्न सांविधानिक और कानूनी उपबन्धों को कार्यरूप में परिणत करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् 1976 में राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम बनाए थे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अधीन बनाए गए ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका निभाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं। ये नियम हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

विभिन्न स्तरों पर अनेक सलाहकार और कार्यान्वयन समितियों का गठन कार्यान्वयन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हैं, राजभाषा संबंधी नीति निर्धारण करने वाली और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्रियान्वयन की समीक्षा करने वाली सर्वोच्च समिति है। इससे नीचे विभिन्न मंत्रालयों में गठित हिन्दी सलाहकार समितियां हैं जिसकी अध्यक्षता संबंधित मंत्री करते हैं। हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। देश के छियालीस बड़े-बड़े नगरों में, जहां केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालय स्थित हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। सभी स्तरों की सलाहकार और कार्यान्वयन समितियों में राजभाषा विभाग का, उसके संकेन्द्रित उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए, आवश्यक प्रतिनिधित्व रहता है।

मंत्रालयों/विभागों से एक पूर्व निर्धारित प्रोफोर्मा में मंगाई गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लिया जाता है। हालांकि हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में अभी काफी प्रगति की जानी बाकी है फिर भी इन उपायों से सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग में सुधार आया है। इसके लिए राजभाषा विभाग के मानीटरिंग तंत्र को मजबूत बनाने तथा कार्यान्वयन पर नजर रखने वाले तंत्र का विकेन्द्रीकरण करने की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।

**7. यांत्रिक सुविधाएं**

प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण का तेजी से विकास होने के कारण भाषाओं का विकास और प्रगामी प्रयोग भी काफी हद तक यांत्रिक सुविधाओं पर आश्रित हो गया है। अतः सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए देवनागरी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर तथा ऐसी ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। राजभाषा विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि निर्माता कंपनियां देवनागरी टाइपराइटरों का उत्पादन बढ़ाएं और देवनागरी के पिन प्वाइंट टाइपराइटरों का निर्माण भी

करें, जिनका प्रयोग विशेष रूप से बैंकों और वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा बैंक ड्राफ्ट आदि तैयार करने में किया जा सके। इलैक्ट्रानिकी विभाग के साथ सतत परामर्श करके देवनागरी कम्प्यूटर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। देवनागरी के बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों के उत्पादन की दिशा में भी प्रगति हुई है।

**8. प्रचार के माध्यम से प्रसार**

राजभाषा विभाग राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबन्धों के बारे में विविध जानकारी उपलब्ध कराने तथा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की झांकी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अप्रैल, 1978 से एक त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकाशन के प्रति जो प्रतिक्रियायें व्यक्त की गई हैं वे बहुत उत्साहवर्द्धक रही हैं। इस कार्य में मिली सफलता को देखते हुए अब हिन्दी की एक ऐसी अखिल भारतीय पत्रिका आरम्भ करने का निर्णय किया गया है जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के अनूदित लेख, कहानियां आदि छापे जाएंगे। प्रस्तावित पत्रिका देश की अखण्डता की भावना को तो प्रोत्साहित करेगी ही साथ ही भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास में भी सहायक सिद्ध होगी।

**9. प्रोत्साहन के माध्यम से प्रसार**

राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करके हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। अपना अधिकतम काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को प्रतियोगिता के आधार पर नकद पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इस योजना के पुनरीक्षण से यह पता चला है कि योजना के अधीन केवल छुट पुट प्रयास किया गया है तथा प्रत्येक कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकक के संबंध में कुल मिलाकर परिणाम एकसा नहीं है। अतः वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वर्तमान स्थिति में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि अपना अधिकांश काम हिन्दी में करने वाल सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए। आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से हिन्दी का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी और एक दिन छुट पुट कर्मचारियों के स्थान पर पूरे के पूरे कार्यालय या संगठन अपना नेमी कार्य कार्य हिन्दी में करने लगेंगे। इससे संबंधित योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

**10. हिन्दी शिक्षण योजना**

राष्ट्रपति के 1960 में जारी किए गए आदेश के अनुसार, तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों तथा औद्योगिक संस्थानों में नियुक्ति अथवा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से भर्ती किये गए टंककों और आशुलिपिकों के लिए हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में 150 स्थानों पर हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 4 लाख से अधिक कर्मचारी हिन्दी की विहित परीक्षाएं और 30,000 से अधिक कर्मचारी हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। 1976 से हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाने लगी हैं।

11. हिन्दी शिक्षण योजना की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए गठित पुनरीक्षण समिति ने हिन्दी शिक्षण योजना की पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने के सुझाव दिये थे। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में इस वर्ष से विभिन्न स्तरों के संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है। वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की गई नई पाठ्य पुस्तकें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा की मदद से तैयार की गई हैं और अनुमान है कि वे जुलाई, 1981 में शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों में शामिल कर ली जाएंगी। राजभाषा विभाग ने अक्तूबर 1980 से हिन्दी और हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपिक की विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी भी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन से स्वयं अपने ऊपर ले ली है। 1980 से ही हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी टंकण का एक पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है ताकि नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने में असमर्थ टंककों को घर बैठे प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सरकारी सेवा में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर हिन्दी प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

**12. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा**

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार तथा बाद में भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली में संशोधन करके राजभाषा विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी संबंधी पदों पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का एक सामान्य संवर्ग गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग से यथोचित परामर्श करने और सभी मंत्रालयों तथा विभागों के विचार जानने के बाद इस विभाग ने प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (वर्ग "क", "ख" और "ग" पद) के सेवा नियमों का प्रारूप तैयार किया है। इस नई सेवा के गठन के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है और

(शेष पृष्ठ 9 पर)

# हिंदी की प्रतिष्ठा वृद्धि में अहिंदी भाषियों का योगदान

--शिवसागर मिश्र
निदेशक (राजभाषा)
रेल मंत्रालय, नई दिल्ली

भारत एक विविध भाषा-भाषी महादेश है जिसके करोड़ों निवासी सदियों से एक साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहते आ रहे हैं। इस विशाल देश को एक छोर से दूसरे छोर तक देखने पर पता चलेगा कि इसके निवासियों के आचार-व्यवहार, बोलचाल और जीवन-दर्शन में एकरूपता तथा एकसूत्रता है और निरन्तर प्रवहमान समान सामाजिक संस्कृति है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को आबद्ध करती रही है। यह समरसता पैदा करने का श्रेय मुख्यतः भाषा को है जिसके अनेक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक कारण हैं। भाषा ने सदैव राष्ट्रीय एकता, पारस्परिक सद्भावना और सौहार्दपूर्ण संबंधों को पुष्ट किया है। यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। इसके कृतित्व, उपयोग और प्रभाव में आज भी कोई अन्तर नहीं आया है।

अतीत में न जाने कब से हमारे तीर्थ धामों के सम्पर्क की एक भाषा रही है। हमारे देश के चारों कोनों पर चारों धाम ज्योतिर्मय प्रकाश स्तम्भ की तरह प्राचीन काल से देदीप्यमान हैं। द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम् और पुरी जैसे भारत के सुदूर छोरों पर प्रतिष्ठित तीर्थ धाम सदियों से यात्रियों, आगन्तुकों और सैलानियों के आकर्षण केन्द्र बने रहे हैं। यह शाश्वत कड़ी पुरातन काल से विद्यमान है और प्रतिवर्ष आने-जाने वाले असंख्य तीर्थयात्रियों को भाषा के कारण कभी कोई असुविधा नहीं हुई है। स्पष्ट है कि भारतीय अध्यात्म, संस्कृति एवं इतिहास ने अनजाने ही भाषा की कड़ी को पुष्ट किया है और उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है, जिससे देश की एकसूत्रता बनी रह सकी और वह विदेशी थपेड़ों को सह सका।

राष्ट्र और काल की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहा है। किसी युग में संस्कृत परस्पर आदान-प्रदान की भाषा थी। कालांतर में भाषा के स्वरूप में परिवर्तन के साथ हिंदी का रूप निखरता गया और उसकी मान्यता एवं ग्राह्यता बढ़ती गई। फिर भी, इतिहास साक्षी है कि हिंदी किसी खास प्रदेश की मातृभाषा कभी नहीं रही जैसे कि मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगू, मलयालम आदि भाषाएँ हैं। संयोगवश हिंदी जिन प्रदेशों की मातृ-भाषा समझी जाती है, वस्तुतः उनकी मातृभाषा स्थानीय बोलियाँ, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मैथिली आदि हैं। सच तो यह है कि हिंदी लोक शक्ति से उभरी हुई जन-भाषा है जिसका क्षेत्र किसी एक-दो या चार प्रदेशों तक सीमित नहीं है। इस तथ्य को हमारे संतों, महात्माओं और मनीषियों ने बहुत पहले ही समझ लिया था और अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया था। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी को सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित करने में अहिंदी भाषी समाज-सेवियों, विचारकों और संत-कवियों का प्रमुख हाथ रहा है। हमारे संत महात्मा चाहे महाराष्ट्र के रहे हों या बंगाल के, गुजरात के रहे हों या पंजाब के, उन्होंने सारे देश में घूम-घूम कर लोगों के साथ सत्संग किया और अपने विचारों को हिंदी में व्यक्त कर उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।

### सदियों प्राचीन पृष्ठभूमि

कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब आठवीं सदी में सिंध पर विजय प्राप्त की तो वहाँ राजकाज का लेखा-जोखा हिंदी में रखा जाता था। दसवीं सदी के आसपास गोसाईं भाषा के रूप में हिंदी धुर दक्षिण में रामेश्वरम् धाम और कन्याकुमारी तक पहुँच चुकी थी। जैन साधुओं और नाथ पंथियों ने अपने मतों के प्रवर्तन के लिए हिंदी का प्रयोग किया। इसी के आसपास महाराष्ट्र के महानुभाव पंथ और बाद में बारकरी पंथ के नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि संतों ने हिंदी में पद रचनाएं कीं। यह क्रम ग्याहरवीं से चौदहवीं सदी तक निरंतर चलता रहा। सन् 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण पर विजय की तब उसके साथ जो तमाम लोग दक्षिण गए वे अपने साथ एक भाषा भी ले गए जिसे हिंदवी कहा गया। बाद में यह दक्खिनी के नाम से प्रचलित हुई और लगभग 600 वर्षों तक राजकाज की भाषा बनी रही।

बादशाह की मदद के लिए फ़ारसी नवीस के साथ हिंदी नवीस भी रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो की सहायता से "खालिकबारी" पुस्तक भी तैयार कराई थी जिसमें हिंदी, पंजाबी और ब्रजभाषा के शब्दों के फ़ारसी तथा अरबी पर्याय संकलित किए गए थे। "खालिकबारी" की प्रतियां गाँवों और शहरों में वितरित कराई गई थीं। कश्मीर के शासक जैनुलआबदीन और मुगल बादशाह

हिंदी को बढ़ावा देने में अग्रणी थे । महाराष्ट्र में पेशवा-राज के समय में भी हिंदी का प्रचार जोरों पर रहा।

अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद विदेशी शासकों ने यह अनुभव किया कि जनता की भाषा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । यद्यपि उन दिनों अदालतों की भाषा फारसी थी लेकिन दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग भी होता था । जो आदेश, सूचनाएँ, आदि फारसी में जारी की जाती थीं, उनका हिंदी अनुवाद भी अनिवार्य रूप से तैयार किया जाता था । बाद में जब अंग्रेजी स्कलों और कालेजों की स्थापना होने लगी तो हिंदी की स्थिति नगण्य होती चली गई । कतिपय अंग्रेज न्यायाधीशों और विचारकों ने उसी समय कहा था कि अंग्रेजी के प्रयोग के विरुद्ध भी वही आवाज़ उठाई जा सकती है जो फारसी के विरुद्ध उठाई जाती रही है । उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अदालतों और दफ्तरों में फारसी लिपि के बजाए देवनागरी को मान्यता दी जाए । इसके फलस्वरूप बंगाल सरकार ने पटना और छोटा नागपुर की अदालतों में सभी प्रकार की विज्ञप्तियाँ और सूचनाएँ हिंदी भाषा में जारी करने का आदेश दिया । सरकारी रिपोर्टें भी हिंदी में तैयार होने लगीं और जनता को हिंदी में याचिकाएँ भेजने की अनुमति दी गई । पुलिस अफसरों को भी हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया ।

आधुनिक युग में जब देश की आजादी की लड़ाई छेड़ी गई तो उससे भी काफी पहले जन-चेतना की सृष्टि के लिए भाषा की महत्ता समझी गई । इसके लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले बंगाल के अनेक मनीषी और समाज-सुधारक थे, जिन्होंने हिंदी के देशव्यापी स्वरूप को परखा और इसके लिए आंदोलन शुरू किया । गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, आचार्य केशव चन्द्र सेन, सर गुरुदास चटर्जी, श्री रमेश चन्द्र दत्त, जस्टिस शारदाचरण मित्र, प्रभृति विचारकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया । राजा राममोहन राय ने 1826 में "बंगदूत" के प्रकाशन का आयोजन किया था जिसमें हिंदी के लिए कई पृष्ठ निर्धारित थे । यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था कि उन्होंने हिंदी के भविष्य को इतना पहले आँक लिया था ।

बीसवीं सदी के दूसरे दशक में मराठी साहित्य परिषद् ने हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, डाक्टर भंडारकर, रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य, आदि ने इसे सशक्त समर्थन प्रदान किया । हिंदी का सौभाग्य है कि उसे माँ भारती के गणमान्य पुत्रों की मेधा शक्ति और विलक्षण प्रतिभा का लाभ प्राप्त हुआ है । इस संदर्भ में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के सुविज्ञ साहित्यकारों और समाज-सुधारकों, जैसे श्री सुब्रहमण्यम अय्यर, श्रीनिवासाचार्य, सुब्रहमण्यम् भारती, कुंचन नम्बियार, राजा स्वाति तिरुमाल, नवीन चंद्र राय, रामानन्द और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का उल्लेख किया जा सकता है ।

**राष्ट्रीय जागरण के स्वर**

देश का स्वातंत्र्य संग्राम छेड़ने से पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक कार्य करते समय ही यह अनुभव कर लिया था कि वहाँ के भारतीय कामगर मजदूरों की एक भाषा है जो हिंदी के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा नहीं और जिसका प्रयोग जन-कार्यों की सुविधा के लिए सुगमता के साथ किया जा सकता है । महात्मा गांधी ने कहा था कि "अंग्रेजी जनता की भाषा कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि देश के लगभग एक प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी समझते हैं जबकि 60 प्रतिशत से अधिक जनता हिंदुस्तानी समझती है ।" महात्मा गांधी ने सारे देश के भ्रमण से प्राप्त अनुभव के बाद पूना के कुछ प्रोफेसरों से विचार-विमर्श के समय बताया था कि पढ़े-लिखे भारतीय को हिंदी सीखने में कितना समय लग सकता है ? उनका अनुभव था कि दक्षिण भारतीय इस भाषा को 6 महीने में और उत्तर भारतीय तीन महीने में सीख सकता है जबकि अंग्रेजी सीखने में 6 वर्ष का समय लगता है । महात्मा गांधी के विचार एवं आदर्श जनता के बीच कार्य और उससे प्राप्त अनुभवों से उद्भूत होते थे । इस प्रसंग में हिंदी की लोकप्रियता की वास्तविकता महात्मा गांधी के सामने थी इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम भी अपने हाथ में लिया । दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उनकी निष्ठा और विश्वास का प्रमाण है जिसके गठन के लिए उन्होंने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को मद्रास भेजा था । हिंदी हमारे स्वातंत्र्य आंदोलन का मूल स्वर बन गई और उसके गाने, तराने और नारे एक स्वर से सारे देश में गूंजने लगे । हिंदी ने हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सदैव ऊंचे धरातल पर रखा और हमें एकजुट होकर विदेशी, आक्रामक और नृशंस शक्तियों से निपटने की शक्ति दी ।

भाषा वह माध्यम है जिसके सहारे राष्ट्र की विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों की समस्याओं, विचारों और भावनाओं को एक-दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है । यही वह सेतु है जो एक-दूसरे को सम्पृक्त करता है । निस्संदेह हिंदी किसी प्रदेश विशेष की मातृभाषा नहीं है और सम्भवतः इस कारण उसे सहज ही राष्ट्र भाषा का स्वरूप भी प्राप्त हो गया है । जिस प्रकार भारत की संस्कृति को सामासिक संस्कृति कहा जाता है क्योंकि उसका प्रादुर्भाव विभिन्न जातियों, वर्गों, धर्मों, समुदायों, पंथों और मत-मतांतरों के पारस्परिक आदान-प्रदान से हुआ है, उसी प्रकार हिंदी एक ऐसी गंगा है जिसे विभिन्न समृद्ध बोलियों और भाषाओं की धाराओं ने मिलकर सम्पुष्ट किया है । जिस भाषा ने देश की राष्ट्रीयता के ताने-बाने को बुना, जिसने समय के उतार-चढ़ाव को अपने दामन में सँजोया और जिसका अतीत निश्चय ही गौरवपूर्ण रहा है, उस भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आज हमें पैरवी करनी पड़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मेरा विश्वास है कि लोक-शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है और जिस भाषा को

यह सशक्त आधार प्राप्त है उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। आज जब विश्व के अनेक देशों और वहां के विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन-पाठन तथा अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रति उत्साह है, अपने ही देश में हिंदी के प्रति उदासीनता वस्तुतः चिंताजनक ही नहीं कष्टकर भी है।

**विशिष्ट मानसिकता का प्रश्न**

ऐसा प्रतीत होता है कि हम आज भी कहीं विदेशी प्रभुता की विशिष्ट मानसिकता से बंधे हुए हैं और कुछ थोड़े से अंग्रेजी पढ़े-लिखे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा के लिए जन-मानस और उसकी भावनाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिन अधिकारियों ने अंग्रेजी माध्यम से अपना अध्ययन पूरा किया है उन्हें हिंदी में काम करने में कठिनाई हो सकती है। अनेक तकनीकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक संगठनों में, जहां हिंदी न जानने वाले अधिकारियों का बाहुल्य है, अकस्मात् हिंदी में काम करने में असुविधा हो सकती है। लेकिन इस कारण ही उनका सारा कामकाज अनिश्चित काल तक अंग्रेजी में चलता रहे, यह तर्कसंगत और संविधान सम्मत नहीं है। हिंदी के प्रयोग के बारे में हिंदी न जानने वालों के साथ कभी कोई जोर-जबर्दस्ती की गई हो, इसका एक भी पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने के लिए हिंदी का अनिवार्य ज्ञान अपेक्षित नहीं है। हां, नौकरी में आने के बाद उनसे यह अपेक्षा जरूर की जाती है कि वे हिंदी सीख लें। हालांकि, हिंदी सीखने के बाद भी उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे हिंदी में काम भी करें। बेशक, हिंदी के अपेक्षित ज्ञान के आधार पर वे अग्रिम वेतन-वृद्धि जैसे लाभ जरूर उठा लेते हैं।

हिंदी में काम करने की जिम्मेवारी वस्तुतः उन मुट्ठी भर कर्मचारियों की समझी जाती है जो हिंदी के काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इस मौलिक तथ्य को भुला दिया जाता है कि बड़े-बड़े विभागों और मंत्रालयों का सारा काम कुछ थोड़े-से कर्मचारी कैसे कर सकते हैं? इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदी से संबंधित कागज-पत्र हिंदी अनुभाग को भेज कर निश्चिंत हो जाने की परंपरा चल पड़ी। सरकारी कार्यालयों में हिंदी केवल अनुवाद की भाषा बनकर रह गई और जो हिंदी सामने आई उसमें कृत्रिमता, दुरूहता और अटपटेपन के ही दर्शन हुए जिसे सुनने और समझने वालों को न केवल खीझ हुई वरन् उपहासास्पद भी लगा। राजभाषा नियम, 1976, में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि हिंदी में काम के बारे में संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन की जिम्मेवारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों की है, किन्तु इस दायित्व का पूरी तौर पर निर्वाह नहीं किया जा रहा है। इस कारण हिंदी के प्रयोग-प्रसार में अवरोध उत्पन्न हुआ है। यह स्थिति न केवल रेलों वरन् अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बारे में भी समान रूप से सही है।

---

(पृष्ठ 6 का शेष)

अब इसे अधिसूचित करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

**13. हिन्दी तथा प्रादेशिकताएं :**

भारत सरकार की यह सुविचारित नीति है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी तथा राज्यों के सरकारी कामकाज के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। वास्तव में इनका विकास और समृद्धि एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय हिन्दी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के विकास; विशेषकर उच्चतर शिक्षा के माध्यम और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के मामले में अनेक गहन योजनाएं चला रहा है। राजभाषा विभाग मुख्यतः हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने और उसकी प्रयोग-वृद्धि के क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकार भाषा के प्रश्न के साथ अभिन्न रूप से जुड़े भावनात्मक पहलुओं के बारे में भी पूरी तरह सजग है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं कि स्वयं संघ के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में किसी प्रकार की ढील दी जाए या इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों में कोई शिथिलता आए।

# राजभाषा हिंदी का स्वरूप

—डॉ० भोलानाथ तिवारी

प्रत्येक भाषा प्रारंभ में बोल चाल की भाषा ही होती है, और उसका केवल एक ही रूप होता है : बोलचाल का रूप, जिसे प्रायः 'बोलचाल की भाषा', कहा जाता है। किंतु आगे चलकर उस भाषा के बोलने वालों का जैसे-जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, साहित्यिक और प्रशासनिक विकास होता है, उनकी भाषा का दो दिशाओं में विकास होता है। एक ओर तो वह भाषा अपनी अभिव्यक्ति में अधिक व्यंजक, सक्षम और समर्थ होती जाती है, तथा दूसरी ओर प्रयोग-क्षेत्र के अनुसार उस भाषा के अलग-अलग रूप विकसित होते जाते हैं, जिसे भाषा विज्ञान की शब्दावली में प्रयुक्त (रजिस्टर) कहते हैं।

उदाहरण के लिए हिंदी की ही बात लें तो इसका जन्म 1100 ई० के आस-पास हुआ, और प्रारंभ में यह केवल बोल-चाल की भाषा बनी। धीरे-धीरे 1150 के आस-पास हिन्दी में साहित्यिक कृतियों का प्रणयन शुरू हुआ। साथ ही वैयक्तिक पत्र व्यवहार में भी उसका प्रयोग होने लगा। यों फुटकल रूप से कभी-कभार हिंदी का प्रयोग उसके आदि और मध्य काल (जिसे साहित्यिक दृष्टि से आदि, भक्ति तथा रीतिकाल कहते हैं) में प्रशासन आदि में भी होता रहा और कभी-कभार इसमें ज्योतिष, गणित चिकित्सा शास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषयों की छोटी-मोटी पुस्तकों का भी प्रणयन हुआ, किन्तु हिंदी मुख्यतः बोलचाल और साहित्य की ही भाषा बनी रही। आधुनिक काल में मुख्यतः 1850 के बाद हिंदी भाषियों के जीवन में विविधता आने के साथ भाषा में भी विविधता आई जो 1900 के आसपास आकर और भी बढ़ गई तथा इधर भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद, उसमें और भी वृद्धि हुई है।

आज हिंदी भाषा, मुख्य रूप से बोलचाल, साहित्य, पत्रकारिता, वाणिज्य, विज्ञान, खेल-कूद तथा प्रशासन में प्रयुक्त हो रही है, अतः धीरे-धीरे इसके कई रूप विकसित होते जा रहे हैं। जिसे प्रयुक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए बोलचाल की हिंदी की एक प्रयुक्ति है तो 'साहित्यिक हिंदी' दूसरी प्रयुक्ति है। ऐसे ही 'प्रशासनिक हिंदी', 'खेलकूद की हिंदी', 'पत्रकारिता की हिंदी', 'वाणिज्य-व्यवपार की हिंदी' भी हिंदी की अलग-अलग प्रयुक्तियां हैं, जिनका धीरे-धीरे विकास हो रहा है। यदि हम 'नवभारत टाइम्स', 'हिन्दुस्तान', 'भारत', 'आज' या किसी भी अच्छे हिंदी दैनिक का रविवार का अंक उठा लें तो हम स्पष्ट रूप से पाएंगे कि 'समाचारों के पृष्ठ की हिंदी', 'साहित्यिक पृष्ठ की हिंदी', 'वाणिज्य-व्यापार के पृष्ठ की हिंदी' तथा खेल-कूद के पृष्ठ की हिंदी' पूर्णतः एक नहीं है। इन सब में हमें अभिव्यक्ति के स्तर, प्रयोग तथा पारिभाषिक शब्दों आदि की दष्टि से अन्तर मिलेगा। ये ही हिंदी की अलग-अलग प्रयुक्तियां (Registers) हैं। कहना न होगा कि 'राजभाषा हिंदी', 'प्रशासनिक हिंदी' या 'कार्यालयी हिंदी' भी इसी प्रकार हिंदी की एक प्रयुक्ति है जो कई राज्यों तथा केन्द्रों के प्रशासन के कामों में प्रयुक्त हो रही है। यहां हमें हिंदी की इसी प्रयुक्ति के स्वरूप पर विचार करना है।

जैसा कि ऊपर भी संकेत दिया जा चुका है, किसी भाषा की प्रत्येक प्रयुक्ति की अपनी अलग-अलग विशेषताएं होती हैं, जो उसके स्वरूप को स्पष्ट और निर्धारित करती हैं। 'राजभाषा हिंदी' की एक 'प्रयुक्ति' के रूप में मुख्य विशेषताएं अधोलिखित हैं :—

(अ) हिंदी में अर्थ की अभिव्यक्ति अभिधा, लक्षणा, तथा व्यंजना के माध्यम से की जाती है, किन्तु हिंदी की सभी प्रयुक्तियों में इन तीनों का समान रूप से प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए साहित्य में प्रयास यह किया जाता है कि अभिधा का कम-से-कम प्रयोग हो तथा लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग अधिकाधिक हो। इसके ठीक विपरीत 'राजभाषा' या 'कार्यालयी भाषा' में यह यत्न होता है कि इसमें अभिधा का ही अधिकाधिक प्रयोग हो। इस प्रकार 'राजभाषा' हिंदी' की यह एक मुख्य विशेषता है, जो इसे साहित्यिक हिंदी से अलग करती है।

(आ) 'राजभाषा हिंदी' अपने पारिभाषिक शब्दों में भी हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से स्पष्टतः अलग है। इसमें ऐसे अनेक शब्द हैं जो मूलतः इसी के हैं, और यदि अन्य प्रयुक्तियों में कभी प्रयुक्त होते भी हैं, तो इसी से लेकर। जैसे :—

| | |
|---|---|
| आयुक्त | (Commissioner) |
| निविदा | (tender) |
| पौरमुख्य | (elderman) |
| लिपिक | (clerk) |
| विवाचक | (arbitrator) |

| | |
|---|---|
| बैलिफ़ | (Bailiff) |
| महाकांसुल | (consul general) |
| अताशे | (attache) |
| प्रशासकीय | (administrative) |
| शपथपत्र | (affidavit) |
| प्राधिकरण | (authority) |
| मंत्रालय | (ministry) |

आदि।

इस प्रकार के शब्दों की संख्या कई हज़ार हैं जो मूलतः 'राजभाषा हिंदी' के ही हैं।

(इ) हिंदी में सामान्यतः समस्रोतीय घटकों से ही शब्दों की रचना होती है। जैसे संस्कृत शब्द "निर्धन"+ संस्कृत भाववाचक संज्ञा प्रत्यय ता=निर्धनता; किन्तु अरबी-फ़ारसी शब्द 'ग़रीब'+ अरबी-फारसी भाववाचक संज्ञा प्रत्यय 'ई'= 'ग़रीबी'। हिन्दी में न तो निर्धन+ई=निर्धनी' भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा और न ग़रीब+ता=ग़रीबता'। 'राजभाषा हिंदी' में इस प्रकार समस्रोतीय घटकों से शब्द-रचना का विशेष बंधन नहीं है, और इसीलिए काफ़ी शब्द विषमस्रोतीय घटकों से भी बने हैं।

उदाहरणार्थ 'उपकिरायेदारी' ( Subletting ) इसमें "उप' संस्कृत उपसर्ग है तो 'किरायेदारी' फ़ारसी शब्द। कुछ अन्य उदाहरण हैं:—

| | |
|---|---|
| उपरजिस्ट्रार | (Sub registrar) |
| उपजिला | (Sub district) |
| अरद्द | (Uncancelled) |
| अरजिस्ट्रीकृत | (Unregistered) |
| अस्टांपित | (Unstamped) |

प्रत्ययों की दृष्टि से भी यही स्थिति है। जैसे अनुबंधकदार (Sub mortgagee)। यहां तत्सम शब्द "अनुबंधक" में फ़ारसी प्रत्यय "दार" जोड़ा गया है। कुछ और उदाहरण हैं:—

| | |
|---|---|
| मुद्राबंद | (Sealed) |
| स्टांपित | (Stamped) |
| डिक्रीदार | (Decree-holder) |
| बातिलीकरण | (Annulment) |

समास-प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों में तो यह प्रवृति और भी अधिक है।

| | |
|---|---|
| मतदान-बूथ | (Polling booth) |
| तस्दीक-अधिकारी | (Attesting officer) |
| मंजूरी-प्राधिकारी | (Sanctioning authority) |
| बजट-प्राक्कलन | (Budget estimate) |
| शेयर-अधिपत्र | (Share warrant) |
| फील्डकार्य | (Field work) |
| शून्य करार | (Void agreement) |
| उपस्थिति-रजिस्टर | (Attendance Register) |
| जिलाधीश | (Collector) |
| स्थल-नक्शा | (Site plan) |
| सूचना-ब्यूरो | (Bureau of information) |
| कलेंडर वर्ष | (Calender year) |
| मौसम विज्ञान | (Meteorology) |
| विकास-रिबेट | (development rebate) |

कभी-कभी तो तीन स्रोत या घटकों से शब्द बनते हैं जैसे: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate)।

(ई) राजभाषा हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है जो उसे विश्व की अन्य सभी राजभाषाओं या प्रशासनिक भाषाओं से अलग कर देती है। वह विशेषता है शैली-भेद। विश्व की अन्य भाषाओं में प्रशासनिक भाषा के स्तर पर शैली-भेद बिल्कुल ही नहीं है। किन्तु हिंदी में है, और स्पष्ट हैं तथा काफ़ी हैं। इसका सरल-सीधा कारण यह है कि हिंदी के राजभाषा या प्रशासनिक भाषा घोषित होने के पूर्व हिंदी प्रदेश में प्रायः उर्दू राजभाषा थी, जो अपनी व्याकरणिक परंपरा में तो संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से जुड़ी थी, अतः हिंदी ही थी, किंतु अपने शब्दों में वह इस परंपरा से न जुड़ कर अरबी-फ़ारसी-तुर्की से जुड़ी थी। उदाहरणार्थ, अदालत, जिला, सूबा, तहसील, परगना कुर्की, ज़मानत, मुचलका, हलफ़नामा, खज़ाना, सरकार, दफ्तर मुकदमा आदि। इधर आज़ादी के बाद इस दिशा में दो विचारों ने एक नया रास्ता खोला। एक तो यह कि हमारे सारे पारिभाषिक शब्द विदेशी परंपरा के नहीं होने चाहिएं, बल्कि उनमें ऐसे भी होने चाहिएं जो अपनी परंपरा की मूल भाषा संस्कृत के हों या उसके उपसर्गों, प्रत्ययों, शब्दों तथा धातुओं से बने हों,। दूसरे यह कि उर्दू के माध्यम से गृहीत अरबी-फारसी-तुर्की के शब्द भारत की सभी भाषाओं में नहीं हैं, और न सभी भाषाओं में स्वीकार ही हो सकते हैं। किंतु संस्कृत शब्द भारत की प्रायः सभी भाषाओं के अनुकूल हैं—चाहे वह उत्तर में हिंदी हो या दक्षिण में कन्नड़ और तेलुगू, पश्चिम में गुजराती या पूरब में बंगला-असमी-उड़िया। इन दोनों का परिणाम यह हुआ है कि राजभाषा हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी संस्कृत से ले लिए गए हैं जिनके लिए उर्दू परंपरा से गृहीत शब्द पहले से प्रचलित रहे हैं, और ऐसे ही कुछ शब्द संस्कृत के उपसर्गों, प्रत्ययों, शब्दों की सहायता से नए भी बना लिए गए हैं, जिनके लिए प्रतिशब्द उर्दू परंपरा में वर्तमान हैं।

इन सबका परिणाम यह हुआ है कि अंग्रेजी के काफी प्रशासनिक शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हिंदी में दो-दो तीन-तीन प्रतिशब्द चल गए हैं। प्रयोक्ता कभी तो ऐसे शब्दों का मिश्रित प्रयोग करता है। और कभी-कभी केवल एक परंपरा के शब्दों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के, एक परंपरा के शब्दों का प्रयोग करने से, राजभाषा हिंदी की दो शैलियों का विकास होता जा रहा है। इस प्रकार की दो शैलियों के कुछ शब्द यहां उदाहरण के लिए देखे जा सकते हैं :—

| अंग्रेजी शब्द | बोलचाल की शैली | संस्कृतनिष्ठ शैली |
|---|---|---|
| Rejected application | नामंजर अर्ज़ी | अस्वीकृत आवेदन पत्र |
| Agreement form | करारनामा | अनुबंध-पत्र |
| Affidavit | हलफनामा | शपथपत्र |
| Tender | टेंडर | निविदा |
| Office | दफ्तर | कार्यालय |
| Suspense account | उचंती खाता | निलंबित लेखा |
| Absurd statement | बेतुका बयान | अर्थहीन कथन |
| Alteration in draft | मसौदे में फ़ेर-बदल | प्रारूप में परिवर्तन |
| Arguments advanced | पेश की गई दलीलें | प्रस्तुत तर्क |
| Court | अदालत | न्यायालय |
| Officer | अफ़सर | अधिकारी |

यहां एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ अंग्रेजी शब्द भी इस क्षेत्र में हिंदी द्वारा ग्रहण किए गए हैं, और वे प्रायः बोलचाल की शैली में ही हैं। उपर्युक्त शब्दों में "टेंडर" या "अफसर" ऐसे ही शब्द हैं।

(उ) राजभाषा हिंदी में कुछ अर्थों या भावों के लिए सामान्य हिंदी से अलग वाक्य हैं। जैसे उत्पादन, उद्ग्रहण, आबंटन आदि।

(ऊ) इसी प्रकार राजभाषा हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो सामान्य भाषा में या हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों में किसी अन्य अर्थ में आते हैं, किन्तु राजभाषा हिंदी में या कार्यालयी हिंदी में किसी या किन्हीं अन्य अर्थ/अर्थों में। जैसे अधिवक्ता (Advocate), भ्रष्टाचार (Corruption), सहचारी (Attache) आदि ।

(ए) शब्दों की तरह ही, राजभाषा हिंदी में कुछ संक्षेपों का भी अलग प्रयोग होता है। जैसे—

आ० छु० —आकस्मिक छुट्टी
अ० स० —अर्द्ध सरकारी
दै०भ० —दैनिक भत्ता
अ० छु —अर्जित छुट्टी
नि० श्रे० लि० —निम्न श्रेणी लिपिक
उ० श्रे० लि० —उच्च श्रेणी लिपिक
वि० का० —विचाराधीन काग़ज

अन्य प्रयुक्तियों में ये संक्षेप या तो आते ही नहीं, या आते हैं तो राजभाषा प्रयुक्ति से ही लिए जाकर ।

(ऐ) अब तक शब्द तथा संक्षेप की बात थी। वाक्य के स्तर पर भी राजभाषा हिंदी के स्वरूप के संबंध में कुछ बातें कही जा सकती हैं। उदाहरण के लिए साहित्यिक या बोलचाल की हिंदी में वाक्य भी प्रायः समस्रोतीय शब्दावली के होते हैं। जैसे —'मुझे संध्या समय एक सभा में भाषण देना है' या 'मुझे शाम को एक जलसे में तकरीर करनी है।' किन्तु इसके विपरीत राजभाषा हिंदी के वाक्यों में अभी तक विषमस्रोतीय शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। जैसे—

मसौदा अनुमोदन के लिए पेश है।
यह काग़ज विचाराधीन है।
वैयक्तिक हैसियत से ऐसा लिखा है।

(औ) राजभाषा हिन्दी का प्रयोग शासनतंत्र का कोई व्यक्ति करता है जो प्रयोग के समय व्यक्ति न होकर तंत्र का एक अंग होता है । इसलिए वह वैयक्तिक रूप में कुछ न कहकर निर्वैयक्तिक रूप में कहता है । यही कारण है कि हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों में जबकि कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है, राजभाषा हिंदी के कार्यालयी रूप में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, उसमें कथन व्यक्ति–सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है-कर्तृत्वविहीन । उदाहरणार्थ :—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (न कि 'मैं सर्वसाधारण को सूचित करता हूं ।')
कार्यवाही की जाए (न कि-आप कार्यवाही करें')
स्वीकृति दी जा सकती है (न कि—'स्वीकृति दें या दीजिए')

(औ) राजभाषा के स्वरूप के संबंध में अंत में यदि एक बात की चर्चा न की जाए तो यह विषय अधूरा रह जाएगा। वह एक बात यह है कि आज की राजभाषा हिंदी अपनी प्रकृति में, सहज हिंदी से अधिक अनुवाद की छाया से कलुषित या विकृत हिंदी है । वस्तुतः राजभाषा हिंदी का यह सबसे अधिक दुखद पक्ष है । यही कारण है कि राजभाषा हिंदी में लिखे गए बहुत से पत्र, प्रारूप, विज्ञापन तथा सूचनाएं आदि ऐसी होती हैं जिनको समझना सामान्य लोगों के बस का तो नहीं ही है, सुशिक्षितों के बस का भी नहीं है । यों यह बात अकारण नहीं है । चूंकि अब तक राजभाषा एक सीमा तक अंग्रेजी रही है अतः राजभाषा के प्रयोक्ता सहज हिंदी में न लिखकर अंग्रेजी में सोचकर उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं । इसीलिए राजभाषा सहज ही अपनी प्रकृति में अंग्रेजी-प्रभावित हो जाती है । यहां इसके उदाहरणों की जरूरत नहीं । राजभाषा हिंदी में लिखा गया समाचार, पत्रों में प्रकाशित कोई भी विज्ञापन, कोई भी सूचना या कोई भी सरकारी या अर्धसरकारी पत्र इसके लिए देखा जा सकता है ।

यही नहीं अंग्रेजी से राजभाषा हिंदी में जो अनुवाद किए जाते हैं, वे तो और भी अधिक अटपटे होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का अधिकृत अनुवाद है—

'यदि कोई व्यक्ति छल करता है और तद्द्वारा उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दें या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी वस्तु को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'

यह तो अंग्रेजी की दृष्टि से स्थिति थी। कहीं-कहीं राजभाषा हिंदी अरबी-फारसी-तुर्की शब्दों तथा अभिव्यक्तियों से इतनी बोझिल होती है सामान्य हिंदी पाठक तो क्या सुशिक्षित हिंदी पाठक को भी उसे समझने की दृष्टि से निरक्षर हो जाना पड़ता है—

"सम्मन वास्तेह करारदाद उमर तनकीह तलब"

(आर्डर 5 कायदा 1व5)

हरगाह वादिनी ने आप के नाम एक नालिश बाबत धारा 13 हिन्दू मैरिज एक्ट के दायर की है। लिहाजा आप को हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 5 सन 1978 बवक्त 10-30 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्किा मुकदमा का जवाब दे सके या जिस के पास कोई और शख्स हो कि जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके, हाज़िर हो और जवाबदेही दावा करे आप को लाजिम है कि उसी रोज जुम्ला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्त-दलाल करना चाहते हों।

आप को इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज़ मज़कूर आप हाज़िर न होंगे तो मुक़दमा बग़ैर हाजिरी आप के मसमूअ और फैसला होगा। बज़ब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत और आज बतारीख 29 माह 3 सन् 1978 जारी किया गया।"

यह घोषणा स्वतंत्रता के पूर्व की नहीं है, जब उर्दू हिंदी प्रदेश की राजभाषा थी, बल्कि 1978 की है। इसे सरल हिंदी में इस रूप में प्रकाशित करने में क्या परेशानी थी समझ में नहीं आता—

"मुकदमे की सुनवाई के लिए सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 तथा 5)

वादी महिला ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आप के विरुद्ध एक आवेदन किया है। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप 16 मई, 1978 को 10-30 बजे दिन स्वयं या इस विवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी रखने वाले ऐसे व्यक्ति या वकील के माध्यम से उपस्थित हों जो उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके जो उससे पूछे जाएं आप के लिए यह भी आवश्यक है कि वे सभी कागजपत्र जिनको आप अपने पक्ष के समर्थन में लाना चाहें उसी दिन पेश करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर लिखी तारीख को उपस्थित न हुए तो यह मकदमा आप की अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुना जाएगा और निर्णय किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से 29 मार्च, 1978 को जारी किया गया।"

इस तरह राजभाषा हिंदी को जितनी आवश्यकता अंग्रेजी के प्रभाव से बचने की है, उतनी ही आवश्यकता अरबी-फारसी तुर्की शब्दों के अवांछित मिश्रण से भी बचने की है।

अंत में राजभाषा हिन्दी के स्वरूप के संबंध में कुछ सुझावों के साथ इस विषय को समाप्त किया जा सकता है। स्वरूप की दृष्टि से राजभाषा हिंदी के विकास में निम्नांकित चार बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:—

(क) भाषा यथासाध्य सरल हो। उसे तकनीकी बनाने के प्रयास में न तो संस्कृत के अप्रचलित, अल्पप्रचलित तथा पूर्णतः नवनिर्मित अत्यत कठिन शब्दों से बोझिल बना दिया जाए और न अरबी-फारसी-तुर्की के ऐसे शब्दों से भर दिया जाए जो कभी मुगलों के जमाने में चलते थे। जब दरबार की भाषा फारसी थी। इन दोनों ही स्थितियों में हिंदी हिंदी न रहकर कुछ और बन जाती है।

(ख) अंग्रेजी की वाक्य-संरचना से प्रभावित ऐसी अटपटी हिन्दी से बचा जाए जो अपनी प्रकृति में हिंदी न होकर अंग्रेजी होती है। कहना न होगा कि अनुवादों के बाहुल्य के कारण राजभाषा हिंदी में आज ऐसे वाक्यों की भरमार हो गई है।

(ग) पारिभाषिक शब्दों तथा संक्षेपों में भरसक एकरूपता का ध्यान रखा जाए।

(घ) उच्चारण, वर्तनी, शब्द-रचना रूप रचना तथा वाक्य-रचना को यथासाध्य मानक रखा जाए तथा अमानक हिंदी से बचा जाए। □□□

# अखिल भारतीय शब्दावली

--दयानन्द पंत
एवं
डॉ० रघुनाथ प्रसाद

प्राचीन भारत में ज्ञान-विज्ञान काफी विकसित अवस्था में था और वैज्ञानिक साहित्य को व्यक्त करने के लिए प्रचुर शब्दावली भी थी जो सामान्य रूप से सारे देश भर में प्रचलित थी । आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, व्याकरण आदि की शब्दावली का समस्त भारतीय विद्वान समान रूप से प्रयोग करते थे । संस्कृत भाषा ही पठन-पाठन का माध्यम थी । संस्कृत की शब्दावली क्षेत्रीय भाषाओं में भी आ गई । कई संस्कृत मूलक शब्द सामान्य रूप से प्रयोग में आने लगे जैसे राशि और नक्षत्रों के नाम । साहित्य, दर्शन आदि की तकनीकी शब्दावली भी समान रही ।

अंग्रेजों के आगमन के बाद प्रचुर पाश्चात्य संकल्पनाओं तथा वस्तुओं की जानकारी हो गई और अपनी भाषा में इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए कहीं-कहीं तो अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा, और कहीं-कहीं अपने पर्याय भी गढ़े जाने लगे । 19वीं सदी के अंतिम दिनों में कई विद्वानों ने आधुनिक विज्ञान संबंधी पुस्तकें भारतीय भाषाओं में लिखीं । विशेष रूप से उल्लेखनीय है डॉ० गणनाथ सेन की प्रसिद्ध पुस्तक "प्रत्यक्ष शारीरम्" जिसमें प्राचीन आयुर्वेद के शब्दों को पुन: मानकीकृत करके उनका प्रयोग किया गया है ।

20वीं सदी के प्रथम चरण में शब्दावली विषयक कुछ प्रयोग किये गये जिसमें हिंदी की काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रयास सराहनीय हैं । इस सभा ने विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए शब्दावली की छोटी-छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं जिससे शब्दावली का प्रचार हुआ । इस शताब्दी के मध्य के आस-पास कुछ अन्य विद्वानों ने भी सराहनीय कार्य किये और शब्द कोष प्रकाशित किये जिनमें से विशेष उल्लेखनीय है, सुख संपतराय भंडारी, पोपट लाल शाह और दाते करवे । डा० रघुवीर का प्रयास भी अत्यन्त सराहनीय है । उन्होंने अंग्रेजी शब्दों के भारतीय समानक विकसित किए । उनका कार्य विस्तृत तथा तर्कसंगत था, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त अंग्रेजी की सारी शब्दावली के बहिष्कार के कारण उनके इस प्रयास की कटु आचोचना हुई और यह पूरी तरह स्वीकृत भी नहीं हो पाया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद भारत सरकार ने शब्दावली की एकरूपता पर ध्यान दिया और शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की । इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिंदी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य आरम्भ किया और 1953 के प्रारम्भ में छोटी-छोटी शब्दावली पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं । **बाद में हिंदी विभाग का विस्तार होते-होते सन् 1960 में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई । इसी समय सन् 1960 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के आयोग की स्थापना की गई । इस आयोग ने आज तक लगभग 4 लाख अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय प्रकाशित कर दिए** हैं जिनका विवरण इस प्रकार है--

1. विज्ञान--1,30,000 शब्द
2. मानविकी तथा समाज विज्ञान--80,000 शब्द
3. आयुर्विज्ञान--50,000 शब्द
4. इंजीनियरी--50,000 शब्द
5. कृषि--20,000 शब्द
6. विविध (प्रशासन, रक्षा आदि)--70,000 शब्द

आयोग ने अपना कार्य विशेषज्ञों की सहायता से किया और विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ समितियां स्थापित कीं । उनके सदस्य देश के कोने-कोने से आकर विचार-विमर्श के उपरान्त पर्याय निर्धारित करते थे । अभिप्राय यह था कि सारे देश के लिए एक सी शब्दावली का विकास हो । आयोग ने जो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए उनका सारांश इस प्रकार है--

1. अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को स्वीकार कर लिया जाए और देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित रूप में उनका प्रयोग हो । अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों के उदाहरण हैं--
   (क) रासायनिक यौगिकों के नाम
   (ख) तौल, माप आदि की इकाइयां जैसे ग्राम, कैलोरी आदि ।

(ग) जैव विज्ञान के द्विपदी नामकरण के शब्द तथा

(घ) प्रयोग में आये हुए सामान्य अंतर्राष्ट्रीय शब्द जैसे पैट्रोल, रेडियो, आदि ।

2. अखिल भारतीय प्रयोग के लिए गढ़े जाने वाले शब्द संस्कृत धातुओं पर आधारित हों ।

3. क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग किए जा रहे हिन्दी के शब्द स्वीकार कर लिए जाएं। उनके स्थान पर अन्य भारतीय भाषाओं को अपने शब्द प्रयोग करने की छूट रहेगी ।

इन सिद्धान्तों के आधार पर आयोग ने लगभग 4 लाख अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी पर्याय प्रकाशित कर दिये किन्तु दुर्भाग्यवश उनका प्रयोग हिंदी तक ही सीमित रहा । अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली निर्माण की गति कुछ धीमी रही और जितना भी काम हुआ कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से हुआ । फलस्वरूप शब्दावली में विविधता आ गयी है और यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि पर्यायों की एकरूपता पर फिर से बल दिया जाए ।

यहाँ हमारी विकसित शब्दावली के तीन तत्वों पर कुछ विस्तृत चर्चा अपेक्षित है । शब्दावली के तीन तत्व हैं—

1. अंतर्राष्ट्रीय तत्व
2. अखिल भारतीय तत्व
3. क्षेत्रीय तत्व

**अखिल भारतीय तत्व**

आयोग का यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य शब्दों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए । उदाहरणार्थ—oxygen को हम आक्सीजन लिखें और सारे भारतीय भी इसी रूप में इसे स्वीकार करें । इस प्रक्रिया से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय शब्द अखिल भारतीय बन जाएंगें । थोड़ी सी वर्तनी की छूट देनी पड़ेगी क्योंकि भाषाएं अपनी प्रकृति के अनुरूप ही इन शब्दों का लिप्यंतरण करेंगी। इन शब्दों के लिंग निर्धारण पर भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और लिंग की भी छूट दी जानी चाहिए। जैसे आक्सीजन निकलती है या निकलता है दोनों को स्वीकार किया जा सकता है ।

**क्षेत्रीय तत्व**

शब्दावली के क्षेत्रीय तत्व के अन्तर्गत वे वैज्ञानिक संकल्पनाएं तथा सामान्य प्रयोग की वस्तुएं हैं जो विज्ञान की होते हुए भी सामान्य जन के प्रयोग की वस्तुएं हैं । उदाहरणार्थ लम्बाई-चौड़ाई आदि वैज्ञानिक संकल्पनाएं इन सामान्य प्रयोग के शब्दों के स्थान पर संस्कृत मूलक अखिल भारतीय शब्दों का प्रयोग हो पाना भी असंभव है। जन्तुओं तथा पौधों के नाम जैसे मेढ़क, सरसों आदि के स्थान पर अखिल भारतीय मानक नहीं चल सकते । अतएव इन सामान्य वस्तुओं और संकल्पनाओं के शब्दों में थोड़ी सी विविधता होनी अनिवार्य है ।

संस्कृत के आधार पर निर्मित विज्ञान के पठन-पाठन तथा प्रयोगशालाओं के प्रयोग की शब्दावली अखिल भारतीय हो सकती है । संस्कृत से ही अधिकांश भारतीय भाषाओं ने अपनी शब्दावली ली है और नए शब्द उसी आधार पर गढ़े जाएंगे ।

संस्कृत की धातुओं पर आधारित समस्त भारतीय भाषाओं के शब्दों को अखिल भारतीय शब्द मानना पड़ेगा जैसे अंग्रेज़ी शब्द nutrition का अधिकांश भारतीय भाषाओं में पर्याय "पोषण" है किन्तु तेलुगु में पौषणमू है। इतनी सी विविधता रहेगी ही ।

इसी प्रकार कुछ संस्कृत मूलक शब्दों का विशेष भाषाओं में अर्थ परिवर्तन हो चुका है जैसे 'शिक्षा शब्द' मराठी में 'सज़ा' के अर्थ में प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में विशेष भाषाओं को छूट देनी ही होगी । इसी कारण मराठी में education के लिए शिक्षा के स्थान पर शिक्षण शब्द स्वीकार कर लिया गया है ।

विशेष विचार ऐसे शब्द समूहों के लिए करना होगा जो सामान्य भाषा में समानार्थी होते हुए भी विज्ञान में विशिष्ट अर्थ रखते हैं जैसे energy, power तथा force शब्द। इनके हिन्दी पर्याय क्रमशः ऊर्जा, शक्ति तथा बल हैं। अन्य भाषाओं में शक्ति कहीं-कहीं energy के लिए है और कहीं power के लिए । सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय शब्दावली संगोष्ठी में मिलकर यह फैसला कर लिया है कि इन विशेष अर्थों में तीन शब्द स्थिर कर लिए जाएं और सभी भाषाएं उन्हें स्वीकार करें ।

**अखिल भारतीय शब्दावली का काम ज्ञान-विज्ञान के पठन-पाठन और विकास में सहायक तो सिद्ध होगा ही साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह कार्य अत्यावश्यक है।** हमारी सांस्कृतिक परम्परा एक रही है । अतः समस्त भारत में मूलभूत सांस्कृतिक शब्दावली एक है। दर्शन, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, व्याकरण, नाट्य-शास्त्र, संगीत आदि की मूलभूत शब्दावली अधिकांशतः समान है। मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र में थोड़ी सी एकरूपता तो है ही लेकिन इस एकरूपता को अधिकतम करने के प्रयोजन से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में अखिल भारतीय शब्दावली कार्य की योजना को हाथ में ले लिया गया है। इस उद्देश्य से समस्त राज्य बोर्डों के निदेशकों और हिन्दी ग्रंथ अकादमियों के निदेशकों के सम्मेलन में इस कार्य की उपादेयता को स्वीकार किया गया है और उनके प्रस्ताव के अनसरण स्वरूप बंगलोर में 1979 में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अखिल भारतीय शब्दावली के कार्य को अविलम्ब हाथ में लिया जाना चाहिए। इसके उपरांत इस प्रस्ताव का अनुमोदन कलकत्ता में आयोजित पूर्वी राज्यों के सम्मेलन में हुआ। 1980 में विषयवार कार्यशालायें आयोजित करने का काम हाथ में लिया गया जिसमें एक कार्यशाला में वाणिज्य और

(शेष पृष्ठ 18 पर)

# असांविधिक साहित्य का अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण

—रामेश्वर प्रसाद मालवीय
निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारम्भ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग संविधान लागू होने से पहले होता था। किंतु इस अवधि में भी राष्ट्रपति के आदेश से एक या अधिक प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग भी किया जा सकेगा। सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग हो सके, इसके लिये यह आवश्यक समझा गया कि हिंदी में वैज्ञानिक, तकनीकी, विधि संबंधी और प्रशासनिक शब्दावली तैयार की जाए और अंग्रेजी में उपलब्ध सांविधिक तथा असांविधिक प्रशासनिक और कार्यविधि साहित्य को हिन्दी में भी उपलब्ध कराया जाए। इस उद्देश्य से 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा एक ओर तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधि शब्दावली के लिए विधायी आयोग की स्थापना की गई और दूसरी ओर प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का काम शिक्षा मंत्रालय को तथा सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों आदि के अनुवाद का काम विधि मंत्रालय को सौंपा गया।

संविधान लागू करते समय यह आशा की गई थी कि 15 वर्ष की अवधि में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाने की तैयारी पूरी की जा सकेगी और उस अवधि के बाद संघ का संपूर्ण कार्य हिंदी में ही किया जा सकेगा, तथापि, विभिन्न कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित) की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग की निर्धारित तिथि अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिये होता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग उससे पहले होता रहा है। इस प्रकार संघ के कामकाज में एक द्विभाषिक स्थिति का प्रारंभ हुआ जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग सरकारी काम में किया जा सकता है।

इस द्विभाषिक स्थिति के कारण यह और भी आवश्यक हो गया कि प्रशासनिक मैनुअल, संहिताएं और अन्य कार्य-विधि साहित्य, फार्म आदि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हों। 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इस प्रकार के साहित्य के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का कार्य प्रारंभ में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया जाता रहा है। पर चूंकि भारत सरकार की राजभाषा नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन गृह मंत्रालय को सौंपा गया था, अतः यह उपयक्त समझा गया कि सरकारी उपयोग में आने वाले साहित्य का अनुवाद, जिसमें मैनुअल, संहिताएं, नियमावली, फार्म आदि सम्मिलित हैं, गृह मंत्रालय के अधीन एक अलग संस्था द्वारा किया जाए। इसी उद्देश्य से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च, 1971 को की गई।

सरकारी प्रयोग में आने वाले संपूर्ण साहित्य को 3 प्रमख वर्गों में वर्गीकृत कर, किस वर्ग के अनुवाद का कार्य कौन करेगा—इसे गह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन सं० ई० 11021/2/72-रा० भा०, दि० 16-9-72 में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है:—

(1) संविधियों, सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनवाद, जिनमें उनसे संबंधित फार्म भी शामिल हैं, राजभाषा (विधायी) आयोग (अब राजभाषा खंड, विधि मंत्रालय) करेगा।

(2) असांविधिक मैनुअलों, संहिताओं और अन्य कार्य-विधि साहित्य तथा उनसे संबंधित फार्मों का अनुवाद केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो करेगा। यदि किसी मैनुअल आदि में कुछ अंश सांविधिक हों और कुछ अंश असांविधिक हों तो विधि मंत्रालय के राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा इन सांविधिक अंशों का अनुवाद पूरा कर लेने पर असांविधिक अंश का अनुवाद गृह मंत्रालय का केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो करेगा। परंतु तीनों रक्षा सेवाएं, रेल मंत्रालय और डाक-तार विभाग अपनी असांविधिक सामग्री का अनुवाद स्वयं करेंगे।

(3) हर एक मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित प्रकार की सामग्री के अनुवाद के लिए अपने ही प्रबंध करेगा :—

(क) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, विनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, विविध प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं आदि और इनसे संबंधित फार्म ;

(ख) संसद प्रश्नोत्तर और संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात;

(ग) संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडरों के नोटिस और फार्म आदि।

अनुवाद की ये सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित निगमों और कंपनियों को भी उपलब्ध होंगी (के० रा० भा० कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक दि० 28-2-72)।

दूसरे वर्ग में निर्दिष्ट असांविधिक साहित्य का अनुवाद केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में किया जा रहा है। ब्यूरो की स्थापना से अब तक 2,50,000 मानक पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद किया जा चुका है। प्रत्येक मानक पृष्ठ में लगभग 300 शब्द होते हैं।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों अथवा उसके अधीन या नियंत्रण में काम करने वाले निगमों, उपक्रमों आदि के कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी के बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि हिंदी के प्रयोग में भाषा और शब्दावली दोनों ही दृष्टियों से एकरूपता हो, साथ ही भारत सरकार की नीति के अनुसार सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हो। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद-कार्य के महत्व को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि उक्त सभी कार्यालयों के अनुवादकों के लिये केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तीन-तीन महीने की अवधि का एक सेवाकालीन अनुवाद-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये।

अतः सन् 1973 में ब्यूरो द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। सन् 1976 से इसे केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों आदि के अनुवादकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तीन-तीन महीने की अवधि के वर्ष में चार सत्र आयोजित किये जाते हैं जिनमें से प्रत्येक सत्र में 30 प्रशिक्षणार्थी लिये जाते हैं। दिसम्बर 1980 तक 28 सत्र पूरे हो चुके हैं। इस सत्र को मिलाकर अब तक कुल 727 अनुवादक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षण में अनुवाद कला के सिद्धांत पक्ष और विविध प्रकार के अनुवाद के व्यावहारिक अभ्यास के अतिरिक्त विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, राजभाषा विषयक अधिनियम तथा आदेश, मुद्रण कला और अन्य संबद्ध विषयों की जानकारी भी प्रशिक्षणार्थियों को दी जाती है। प्रशिक्षण को यथासंभव रोचक और सुग्राह्य बनाने के लिये प्रोजेक्टर, टेपरिकार्डर आदि आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है और प्रशिक्षणार्थियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों और सुझावों के अनुसार प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अथवा उसके स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित निगमों, उपक्रमों आदि के काम में आने वाले असांविधिक मैनुअलों, संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य तथा उनसे संबंधित फार्मों आदि का अनुवाद करने के लिय हुई थी। इस प्रकार की सामग्री के अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रजी अनुवाद की आवश्यकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल रूप से यह सारी सामग्री सभी विभागों और कार्यालयों में हिंदी ही में तैयार नहीं होने लगती। इस अवधि में राजभाषा कार्यान्वयन की अनेक योजनाओं द्वारा, जिनमें हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देना भी सम्मिलित है, प्रयत्न किया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जाए ताकि कालांतर में सभी की सहमति से सारा काम मूल रूप से हिंदी ही में होने लगे और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की अपेक्षा न रह जाए। इस स्थिति के आने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान लगाना कठिन है। किंतु ब्यूरो द्वारा विभिन्न कार्यालयों से इस बात का पता लगाने का प्रयत्न अवश्य किया जा रहा है कि उनके पास ऐसी कितनी सामग्री शेष है जिसका अनुवाद अभी हिंदी में किया जाना है—ताकि उसके अनुसार उसकी अग्रिम व्यवस्था की जा सके। संभवतः जब तक यह द्विभाषिक स्थिति बनी हुई है तब तक अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के अनुवाद की व्यवस्था कम या अधिक परिमाण में बनाए रखनी आवश्यक होगी।

इसके साथ ही हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी में और अन्य राज्यों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी कामकाज किया जाने लगा है और अंग्रेजी के स्थान पर ये भाषाएं राज्यों की राजभाषाओं के रूप में धीरे-धीरे विकसित हो रही हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में विश्वविद्यालय के स्तर पर अब हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई की सुविधा भी उपलब्ध है और 115 में से लगभग 83 विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। धीरे-धीरे अन्य व्यावसायिक विद्यालयों में भाषा का यह माध्यम परिवर्तन अवश्यंभावी है। एक ओर केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होगा और दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा और आम जनता द्वारा भारतीय भाषाओं का प्रयोग उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में किया जाएगा। इस प्रकार जो भावी आवश्यकता होगी वह अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से अन्य

भारतीय भाषाओं में तथा परस्पर एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की होगी। सभी भारतीय भाषाओं के विकास के साथ जो विविधता उत्पन्न होगी उसमें समन्वय और एकता बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि परस्पर अनुवाद के द्वारा व्यावहारिक कामकाज, विचारों और भावों की धारा निर्बाध रूप से उन सभी भाषाओं के बीच बहती रहे और एक भाषा और दूसरी भाषा के बीच कोई व्यवधान या दूरी न रह जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि न केवल हिंदी और प्रत्येक भारतीय भाषा में परस्पर अनुवाद और भाषांतर की सुविधाएं उपलब्ध हों वरन् विभिन्न कार्य-क्षेत्रों के लिए अनेक स्तरों पर अनुवादकों और दुभाषियों को अनुवाद और भाषांतर कला में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करनी होगी। साथ ही भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान, सौहार्द्र और सद्भाव बढ़े इस उद्देश्य से शब्दावली, वाक्य-विन्यास, मुहावरे आदि भाषागत विशेषताओं और उनके साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान करना भी आवश्यक होगा। आगे चलकर संभवतः हिंदी से विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं से हिंदी में भी अनुवाद और भाषांतर की सुविधाएं उपलब्ध कराना और समुचित प्रशिक्षण द्वारा उनके लिए योग्य और सक्षम अनुवादक और दुभाषिए तैयार करना आवश्यक होगा। □□□

---

(पृष्ठ 15 का शेष)

अर्थशास्त्र तथा दूसरी में जीव-विज्ञान के मूलभूत शब्दों के अखिल भारतीय पर्याय निर्धारित कर दिये गये हैं।

इस प्रकार कार्य का सूत्रपात हो चुका है और लगभग एक हजार अखिल भारतीय पर्याय निर्धारित कर दिये गये हैं। अभी पर्याप्त कार्य शेष हैं और इस दिशा में जोरों से काम शुरू करना होगा। संक्षेप में आगामी कार्य की रूपरेखा इस प्रकार होगी—

**मूलभूत विज्ञान** की विभिन्न शाखाओं में लगभग सवा लाख शब्द और उनके पर्याय आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिये गये हैं जिसमें संयुक्त तथा व्युत्पन्न शब्द भी हैं। साथ ही लिप्यंतरित शब्द भी हैं। मोटे रूप में लगभग 10 हजार शब्दों के अखिल भारतीय पर्याय निर्धारित करने पड़ेंगे, साथ ही लगभग 20 हजार लिप्यंतरित अंग्रेजी के शब्द अखिल भारतीय रूप से प्रयोग में लाये जायेंगे। इसी पैमाने पर अन्य शाखाओं के अखिल भारतीय शब्दों के अनुमान इस प्रकार होंगे—

आयुर्विज्ञान—5 हजार अखिल भारतीय तथा 10 हजार लिप्यंतरित शब्द।

इंजीनियरी—5 हजार अखिल भारतीय तथा 10 हजार लिप्यंतरित शब्द।

कृषि—2 हजार अखिल भारतीय तथा 5 हजार लिप्यंतरित शब्द।

सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी—10 हजार अखिल भारतीय तथा 5 हजार लिप्यंतरित शब्द।

योजना की पूर्ति से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सम्पन्न हो जाएगा।

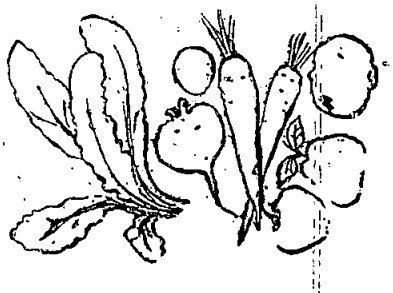

# केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण

—गुरूप्रसाद चड्ढा,
भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग

**योजना का इतिहास :**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह विहित है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। उसी सिलसिले में जुलाई, 1952 में शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिये हिन्दी का शिक्षण प्रारम्भ किया। बाद में, जून, 1955 में भारत सरकार के राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सीखने की जरूरत के बारे में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये। इन सुझावों पर किस प्रकार अमल किया जाए, इसके बारे में एक अंतर्मंत्रालय समिति बनाई गई। इस समिति ने अगस्त, 1955 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया कि "हिन्दी कक्षाएं गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालय समय में चलाई जानी चाहिएं"।

इस निर्णय के अनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिन्दी कक्षाएं दफ्तर के समय में चलाई जा रही हैं। शुरू में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिये था, जो अपनी इच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते थे। बाद में, अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के अधीन, हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया, जो (1 जनवरी, 1961 को) 45 वर्ष के नहीं हुए थे। इसी प्रकार टंककों और आशुलिपिकों के लिये भी हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशु-लिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। तीसरी श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं किया गया।

हिन्दी शिक्षण योजना को वर्तमान रूप जुलाई, 1960 में प्राप्त हुआ। उस समय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध किया कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिया जाना है, उनके बारे में वे अपने दफ्तरों और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ दफ्तरों में एक रोस्टर रखने का प्रबंध करें। यह भी तय किया गया कि हर एक मंत्रालय उसके सम्बद्ध एंव अधीनस्थ कार्यालयों को अपने यहां एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी को नामजद करना चाहिए, जो अपने मंत्रालय, विभाग, कार्यालय में इस योजना से संबंधित सारे काम का प्रभारी हो। यह भी कहा गया कि उसे गृह मंत्रालय में इस योजना के प्रभारी उप-सचिव के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो रही है और सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिये जो सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, उनका पूरा लाभ उठाया जा रहा है।

**हिन्दी शिक्षण योजना का संचालन :**

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जहां-जहां पर्याप्त संख्या में एक जगह मिले हैं, वहां-वहां आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक केन्द्र खोले गयें हैं। इन केन्द्रों (क्षेत्रीय मुख्यालयों को छोड़कर) के संचालन की स्थानीय देखभाल सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी करते हैं। इन सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों के काम में ताल-मेल रखने और योजना के कार्य-संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिये नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और जबलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं। इस समय हिन्दी शिक्षण योजना के देश भर में लगभग 135 पूर्णकालिक तथा अंशकालिक प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। 19 प्रशिक्षण-केन्द्र हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि के लिये चलाये जा रहे हैं। इनके अलावा कोचीन, भुवनेश्वर, गोहाटी, श्रीनगर, चंडीगढ़ और जयपुर में हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के 6 नये केन्द्र खोलने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है।

**पाठ्यक्रम :**

हिन्दी शिक्षण योजना के नीचे लिखे तीन पाठ्यक्रम हैं, जिनमें से हर एक पाठ्यक्रम, यदि कक्षाएं एक घंटे प्रतिदिन लगाई जाएं तो एक वर्ष का और एकांतर दिनों में लगायी जाएं, तो 6 महीने का होगा :—

**प्रबोध :**—यह शुरू का पाठ्यक्रम है और खासकर उन कर्मचारियों के लिये है, जिनकी मातृभाषा कोई दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो।

**प्रवीण :**—यह बीच का पाठ्यक्रम है और लगभग मिडिल स्कूल के स्तर का होता है। यह उन कर्मचारियों के लिये है, जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, असमिया, सिंधी या इनसे सम्बद्ध भाषा हो।

**प्राज्ञ :**—यह आखिरी पाठ्यक्रम है और लगभग हाई स्कूल के स्तर का होता है। यह उन सभी कर्मचारियों के लिये है, जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पश्तो या इनसे सम्बद्ध भाषा हो।

**हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण :**

राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण उन सभी पात्र अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों/आशुलिपिकों (अराजपत्रित और राजपत्रित) के लिये अनिवार्य है, जिनकी उम्र 1–1–1961 को 45 वर्ष से कम थी। हिन्दी टाइपिंग –प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने की है और उसकी कक्षाएं एकांतर दिनों में 1 घंटे के लिये लगती हैं। हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की है और इसकी कक्षाएं प्रतिदिन लगाई जाती हैं। इस प्रशिक्षण में हिन्दी टाइपिंग भी शामिल हैं। अगस्त, 1975 से यह निर्णय लिया गया है कि सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा हिन्दी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी टाइपिंग की कक्षाओं में दाखिला दिया जा सकता है।

**प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रोत्साहन :**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अनेक सुविधायें दी गई हैं। जैसे उनसे पढ़ाई और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती। उन्हें पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं। हिंदी कक्षाएं दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं और कक्षाओं में आने-जाने के मार्ग-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती हैं। परीक्षाओं में बैठने के लिये नियमानुसार यात्रा-भत्ता या वास्तविक खर्च दिया जाता है। परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की छूट है। निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवा-पंजी में उसका इन्दराज किया जाता है तथा नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं। जैसे 12 महीने के लिये एक वेतन-वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नकद या एकमुश्त पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इसके अलावा परिचालन कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों को, जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं, निजी प्रयत्नों से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर क्रमशः 300 रु०, 250 रु० तथा 250 रु० का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है। स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की मैट्रिक या उससे उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को 300 रु० का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है।

हिन्दी की तरह हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। उनसे भी पढ़ाई और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती तथा पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं। कक्षाएं दफ्तर समय में लगाई जाती हैं तथा कक्षाओं में आने-जाने के मार्ग-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। परीक्षा में बैठने के लिये नियमानुसार यात्रा-भत्ता या वास्तविक खर्चा दिया जाता है। परीक्षाओं के लिये विशेष छुट्टी दी जाती है। मान्यता प्राप्त टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों पर दफ्तर के समय प्रशिक्षण लेने के लिये जाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सरकार/प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने वाले पात्र कर्मचारियों को फीस के लिये एडवांस दिया जाता है। निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में इन्दराज किया जाता है। नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर तथा पात्र आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि परीक्षा विहित प्रतिशत या उससे अधिक अंश लेकर पास करने पर 12 महीने के लिये एक वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीने के लिये दो वेतन वृद्धि तथा अगले 12 महीनों के लिये एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षा में विहित अंक या इससे अधिक अंक लेकर पास करने पर 100 रु०, 200 रु० तथा 300 रु० का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाता है। उन कर्मचारियों को, जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा पास करने पर सभी प्रोत्साहन और पुरस्कार दिये जायेंगे। स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी टाइपिंग की विहित परीक्षा पास करने पर सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक और हिन्दी अनुवादक भी उपर्युक्त प्रोत्साहनों/पुरस्कारों के हक़दार होंगे। ऐसे स्थानों पर तैनात आशुलिपिकों को, जहां हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं, हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर 150 रु० और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर शेष 150 रु० का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है।

**सरकारी उपक्रमों/उद्यमों, स्वायत्त संगठनों और सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारियों का हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण**

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, के नवम्बर, 1976 के आदेश के अनुसार सभी सरकारी उपक्रमों/उद्यमों के कर्मचारियों के लिये हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। बड़े स्वायत्त संगठन आदि चाहें तो इसके लिये अलग से अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। जो संगठन अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते उनके लिये राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रबन्ध किया जाएगा। लेकिन इस संबंध में होने वाला खर्च संबंधित उद्यमों से वसूल किया जाता है।

**हिन्दी का पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण :**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये 90 दिवसीय और 60 दिवसीय दो गहन पाठ्यक्रम केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा चलाये जाते हैं। दिसम्बर 1979 तक कुल मिलाकर 37 पाठ्यक्रम पूरे किये जा चुके हैं। इनमें अब तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लगभग 650 अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

**हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण : हिन्दी कार्यशालाएं :**

हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। वर्ष 1979–80 में इस प्रकार की लगभग 80 कार्यशालाएं आयोजित की गईं और उनमें करीब 1550 कर्मचारियों/अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन कार्यशालाओं में दिसम्बर, 1979 तक लगभग 5000 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। कार्यशालाओं को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिये, इन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित करने का प्रश्न राजभाषा विभाग के विचाराधीन है।

**पत्राचार पाठ्यक्रम :**

हिन्दी शिक्षण योजना की तीनों परीक्षाओं प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। दिसम्बर, 1979 तक कुल मिलाकर लगभग 5000 कर्मचारी पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी परीक्षाएं पास कर चुके हैं।

राजभाषा विभाग ने निर्णय किया है कि (केन्द्रीय हिन्दी समिति में हुए निर्णय के आधार पर) ये पत्राचार पाठ्यक्रम हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाए जाएं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से यह कार्य लेने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

जनवरी, 1980 से हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी टाइपलेखन के लिये भी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। जनवरी 1980 सत्र में लगभग 63 कार्यालयों के 200 कर्मचारियों को इस पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों में 76 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और 3 परीक्षार्थी 89 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण नकद पुरस्कार के भी हक़दार होंगे। पहले प्रायोगिक पाठ्यक्रम में 76 प्रतिशत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण होना पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण के सफल प्रयोग और उसकी उपयोगिता तथा सार्थकता का द्योतक है।

**हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना :**

केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार के नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिये हिन्दी, हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के गहन प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि देश के प्रमुख नगरों में, जहां केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालय हैं, उपसंस्थान भी खोले जायें। यह प्रस्ताव इस समय वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

**परीक्षाओं की व्यवस्था :**

हिन्दी/हिन्दी टाइपलेखन/हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं वर्ष में दो बार होती हैं। हिन्दी परीक्षाएं प्रति वर्ष जून और दिसम्बर में होती हैं तथा हिन्दी टाइपलेखन और आशुलिपि की परीक्षाएं जनवरी और जुलाई में। परीक्षाओं के आवेदन पत्र परीक्षाओं से अलग लगभग तीन-चार महीने पहले भरे जाते हैं। हिन्दी कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र योजना के संबंधित उपनिदेशकों तथा सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से अग्रेषित किये जाते हैं। अब तक (जून, 1980 तक), प्राज्ञ, प्रवीण हिन्दी परीक्षाओं तथा हिन्दी टाइपलेखन और आशुलिपि परीक्षाओं का संचालन शिक्षा निदेशालय (परीक्षा शाखा), दिल्ली द्वारा किया जाता था, लेकिन अक्तूबर, 1980 से, यह कार्य हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत परीक्षा स्कंध ने संभाल लिया है तथा उपनिदेशक (परीक्षा), इस परीक्षा-स्कन्ध के प्रभारी होंगे। परीक्षा संबंधी व्यवस्था और सूचना के लिये नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार किया जा सकता है :—

उप निदेशक (परीक्षा),
परीक्षा-स्कन्ध,
संयुक्त निदेशक का कार्यालय,
हिन्दी शिक्षण योजना,
दसवीं मंजिल, मयूर भवन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन इस समय तीन पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ चल रहे हैं। पुनरीक्षण समिति

(शेष पृष्ठ 35 पर)

# संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं

----डॉ० इलपावुलुरि पांडुरंगराव
विशेषकार्य अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग

किसी भी व्यक्ति को अपने को व्यक्त करने की शक्ति वाणी से ही प्राप्त होती है। इसलिए वाणी या भाषा ही व्यक्तित्व प्रदान करती है। जैसे व्यक्ति का, वैसे ही राष्ट्र का भी व्यक्तित्व उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम (भाषा) पर निर्भर होता है। सशक्त राष्ट्र की वाणी सशक्त होती है और स्वतंत्र राष्ट्र की वाणी स्वतंत्र होती है। इसी सात्विक और स्वाभाविक विचारधारा से प्रेरित होकर नवभारत के निर्माताओं (नेताओं) ने स्वाधीन भारत के लिए एक समन्वयात्मक सारस्वत साधन या सामासिक अभिव्यंजना के लिए एक सशक्त माध्यम चुन लिया है और इसे हिंदी का नाम दिया है। महात्मा गांधी जैसे मनीषियों के पुनीत संकल्प के बल पर भारत के संविधान में इसे वैधानिक रूप भी मिला है। पर इस सात्विक साधना के सांविधानिक स्वरूप को आत्मसात करने में प्रगतिशील समाज के प्रतिभाशाली सदस्यों को काफी समय लग रहा है। फिर भी सही दिशा में, धीरे-धीरे ही सही, जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे भारत की जनता आशान्वित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। पर अनुच्छेद 343 (2) में इसे लागू करने के लिए पन्द्रह वर्ष की अवधि दी गई है और अनुच्छेद 343(3) में इस अवधि के बाद भी आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का अधिकार सरकार को दिया गया है। संविधान की इसी व्यवस्था के अनुसार सरकार की भाषा नीति आगे बढ़ रही है। संघ की राजभाषा के सम्बन्ध में संविधान की जो व्यवस्था और सरकार की जो नीति है, उससे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग का निकट संबंध है क्योंकि भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने के उद्देश्य से ही संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसलिए शासन की भाषा से आयोग की परीक्षाओं में माध्यम की समस्या का सीधा संबंध होना स्वाभाविक है। पर साथ ही इन परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार जिन विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं से उच्च शिक्षा पाकर आते हैं, वहाँ के शिक्षा माध्यम पर भी आयोग को बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ता है।

इन सभी बातों को दृष्टि में रख कर आयोग की परीक्षाओं में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 344 की अपेक्षा के अनुसार 1955 में गठित राजभाषा आयोग ने पहली बार शैक्षिक दृष्टि से विचार किया था। राजभाषा आयोग ने राजभाषा संबंधी और भी बहुत सी बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के बारे में समग्र रूप से विचार करने के बाद सरकार के सामने अपना यह मंतव्य प्रस्तुत किया था कि समुचित पूर्व सूचना देकर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सकता है। इस अनुशंसा के साथ आयोग ने इस बात की ओर भी संकेत दिया था कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को भी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार करना, कुछ समय के बाद ही सही, आवश्यक हो सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात की आवश्यकता भी महसूस की थी कि किसी भी भाषा को माध्यम बनाने के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने वाला एक मानदंड तैयार किया जाए कि कौन सी भाषा किस दशा में कितना विकास प्राप्त करने के बाद माध्यम के रूप में स्वीकार की जा सकती है। आयोग इस बात से भी अवगत था कि एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब अनेक भाषाओं के माध्यम से ये प्रतियोगिता परीक्षाएं चलने लगें तो विभिन्न भाषाओं में दिए गए उत्तरों के मूल्यांकन में समतुल्यता लाना असंभव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य बन सकता है और इसके लिए उनका सुझाव था कि या तो कम से कम भाषाएं माध्यम के रूप में स्वीकार की जाएं या फिर परीक्षा प्रणाली में ही ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम बन जाने से मूल्यांकन की समतुल्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक संसदीय

समिति का गठन किया जिसका विचार था कि अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को कुछ समय के बाद वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सकता है। पर संभवतः काफी समय तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ-साथ चलाना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में, प्रयोग करने के संबंध में, इस समिति ने कोई आपत्ति तो प्रकट नहीं की, पर इस बात की संभावना से वे आतंकित थे कि कहीं इस रूप में इन परीक्षाओं में कोटा पद्धति न घुस जाए। समिति ने यह भी कहा कि जब हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को भी वैकल्पिक माध्यम बनाना हो तो इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

समिति की इस अनुशंसा पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने के बाद अप्रैल, 1960 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया था कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर गृह मंत्रालय हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाने का प्रयास करे। इस पर संघ लोक सेवा आयोग ने कई पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार को बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में 1963 से हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सकता है। पर सरकार ने यह निर्णय किया कि यह काम 1965 से शुरू किया जाए क्योंकि तब तक पंद्रह साल की अवधि भी पूरी हो जाएगी और हिंदी संघ सरकार की एकमात्र नहीं तो कम से कम प्रमुख राजभाषा बन जाएगी। तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने 1965 की भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में दो अनिवार्य विषयों (निबंध और सामान्य ज्ञान) के अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक विषयों में भी हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के लिए आवश्यक तैयारी की और तदनुसार सरकार को सूचित कर दिया था।

लेकिन इसी समय सरकार की भाषा नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक 2 जून, 1965 को सम्पन्न हुई, उसमें यह निर्णय किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में चलाने का प्रबंध किया जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में वहां की क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से सरकारी कामकाज चलाने और विश्वविद्यालयों में प्रांतीय भाषाओं को माध्यम बनाने संबंधी कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। इस निर्णय के अनुसार सरकार ने दिसम्बर, 1965 में आयोग को सूचित किया कि अखिल भारतीय और उच्च केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को एक साथ माध्यम बना दिया जाए, भले ही यह विकल्प शुरू में कुछ ही प्रश्न-पत्रों तक सीमित क्यों न हो। आशय यह था कि धीरे-धीरे यह विकल्प अन्य प्रश्न-पत्रों के लिए भी लागू हो सके। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग ने हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के लिए जो भी तैयारी की, उसी प्रकार का प्रारंभिक कार्य फिर दूसरी भाषाओं में भी करना पड़ा और इसमें कुछ समय लगा। आखिर आयोग के परामर्श से भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि 1969 की भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं के निबंध और सामान्य ज्ञान (दो अनिवार्य विषयों) के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में देने की अनुमति दी जाए। यह ायोग की परीक्षाओं में भाषा माध्यम की प्रगति में एक महत्वपूर्ण सोपान है जिसने अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने के सात्विक प्रयास में हिंदी को सारी भारतीय भाषाओं का सहारा दिलाया और हिंदी की प्रगति को अन्य भारतीय भाषाओं की समन्वित प्रगति के साथ समेकित कर दिया।

यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक अन्य परीक्षा अर्थात सहायक ग्रेड परीक्षा में 1964 से ही हिंदी को वैकल्पिक माध्यम बनाया जा चुका है। पहले केवल निबंध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में यह सुविधा दी गई थी। और बाद में 1974 से गणित के प्रश्न-पत्र में भी यह लागू कर दी गई। अब ये प्रश्न-पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं।

इसी प्रकार आशुलिपिक परीक्षा में भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र में हिंदी माध्यम की सुविधा दी गई है। अनुभाग अधिकारियों के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। पर इसका उपयोग जितना सहायक ग्रेड परीक्षा के उम्मीदवार कर पा रहे हैं, उतना अन्य परीक्षाओं के उम्मीदवार नहीं कर पा रहे हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में 1969 से दो प्रश्न-पत्रों में वैकल्पिक माध्यम की जो सुविधा दी गई थी, उसका भी बहुत कम लाभ उठाया गया है। नीचे दिए गए आँकड़ों को देखकर आश्चर्य होता है कि पिछले ग्यारह साल से इस सुविधा का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

भारतीय भाषाओं के माध्यम से "निबंध" लिखने वालों और अंतिम रूप से चयन किए गए

| माध्यम | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1969 | | 1970 | | 1971 | | 1972 | |
| असमिया | 08 | — | 06 | — | 04 | — | 08 | — |
| बंगला | 106 | 04 | 84 | 04 | 91 | 03 | 90 | 02 |
| गुजराती | 17 | — | 23 | — | 28 | — | 34 | 01 |
| हिंदी | 877 | 12 | 791 | 16 | 932 | 32 | 1148 | 22 |
| कन्नड़ | 11 | 01 | 03 | — | 10 | — | 09 | — |
| कश्मीरी | — | — | 01 | — | — | — | 02 | — |
| मलयालम | 25 | — | 17 | — | 18 | 02 | 16 | 01 |
| मराठी | 30 | 01 | 27 | 01 | 30 | — | 23 | — |
| उड़िया | 18 | — | 12 | 01 | 15 | 01 | 16 | 01 |
| पंजाबी | 35 | 01 | 40 | — | 57 | — | 57 | 01 |
| संस्कृत | — | — | 01 | — | — | — | 01 | — |
| सिंधी (देवनागरी) | 01 | — | — | — | — | — | — | — |
| सिंधी (अरबी) | — | — | 01 | — | 02 | — | 02 | — |
| तमिल | 30 | — | 29 | — | 27 | 01 | 47 | 01 |
| तेलुगु | 27 | 01 | 14 | 01 | 10 | — | 20 | 01 |
| उर्दू | 22 | — | 19 | 01 | 19 | — | 16 | — |
| कुल संख्या | 1207 | 20 | 1068 | 24 | 1243 | 39 | 1489 | 30 |

भारतीय भाषाओं के माध्यम से "सामान्य ज्ञान" लिखने वालों और अंतिम रूप से चयन किए गए

| माध्यम | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1969 | | 1970 | | 1971 | | 1972 | |
| असमिया | 03 | — | 03 | — | 04 | — | 05 | — |
| बंगला | 68 | 02 | 46 | — | 54 | 02 | 46 | 02 |
| गुजराती | 17 | — | 20 | — | 27 | — | 33 | 01 |
| हिंदी | 630 | 03 | 458 | 07 | 539 | 12 | 648 | 10 |
| कन्नड़ | 09 | 01 | 02 | — | 08 | — | 06 | — |
| कश्मीरी | — | — | — | — | — | — | — | — |
| मलयालम | 21 | — | 12 | — | 12 | 01 | 10 | — |
| मराठी | 28 | 01 | 17 | — | 21 | — | 18 | — |
| उड़िया | 15 | — | 08 | 01 | 06 | — | 09 | 01 |
| पंजाबी | 26 | — | 24 | — | 30 | — | 21 | — |
| संस्कृत | — | — | 01 | — | — | — | 01 | — |
| सिंधी (देवनागरी) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| सिंधी (अरबी) | 01 | — | 01 | — | 02 | — | 01 | — |
| तमिल | 24 | — | 24 | — | 17 | — | 30 | 01 |
| तेलुगु | 20 | — | 09 | — | 06 | — | 17 | 01 |
| उर्दू | 10 | — | 08 | — | 12 | — | 09 | — |
| कुल संख्या | 872 | 07 | 633 | 08 | 738 | 15 | 854 | 16 |

उम्मीदवारों की संख्या

| परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन लिए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | | 1974 | | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
| 04 | — | 02 | — | 06 | — | 05 | — | 09 | 01 |
| 130 | 08 | 167 | 07 | 129 | 08 | 130 | 05 | 137 | 05 |
| 58 | — | 27 | 01 | 38 | 01 | 55 | — | 61 | — |
| 1556 | 39 | 1917 | 38 | 2098 | 43 | 2529 | 44 | 2933 | 60 |
| 11 | — | 15 | 01 | 08 | — | 21 | — | 21 | — |
| 04 | — | 02 | — | 01 | — | — | — | 01 | — |
| 25 | 02 | 38 | 01 | 26 | — | 36 | — | 29 | — |
| 34 | — | 50 | — | 47 | — | 61 | 02 | 72 | 01 |
| 17 | — | 25 | 01 | 33 | 01 | 40 | — | 28 | 01 |
| 96 | 04 | 113 | 02 | 152 | 05 | 169 | 05 | 225 | 03 |
| — | — | — | — | 01 | — | 01 | — | 01 | — |
| 01 | — | — | — | — | — | 01 | — | 02 | — |
| 04 | — | 01 | — | 02 | — | — | — | 02 | — |
| 56 | 02 | 76 | 02 | 115 | 05 | 133 | 04 | 162 | 03 |
| 29 | 01 | 41 | — | 44 | 02 | 33 | 01 | 56 | — |
| 41 | 01 | 32 | 01 | 46 | 02 | 38 | 02 | 56 | — |
| 2066 | 57 | 2506 | 54 | 2746 | 67 | 3253 | 63 | 3794 | 74 |

उम्मीदवारों की संख्या

| परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | परीक्षा में बैठे | अंतिम रूप से चयन किए गए | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | | 1974 | | 1975 | | 1976 | | 1977 |
| 02 | — | 01 | — | 05 | — | 03 | — | भारतीय प्रशासनिक |
| 51 | 03 | 77 | 03 | 73 | 04 | 71 | 02 | सेवा आदि परीक्षा |
| 43 | — | 26 | 01 | 35 | 01 | 54 | — | 1977के लिए सामान्य |
| 746 | 12 | 896 | 07 | 1046 | 10 | 1219 | 11 | ज्ञान का प्रश्न-पत्र |
| 07 | — | 08 | 01 | 05 | — | 15 | — | पूर्णतः वस्तुपरक |
| 01 | — | 01 | — | — | — | — | — | प्रकार का था, इस |
| 17 | 01 | 21 | 01 | 14 | — | 18 | — | लिए प्रश्न-पत्र का |
| 24 | — | 38 | — | 33 | — | 43 | 02 | उत्तर भाषा माध्यम में |
| 08 | — | 12 | 01 | 16 | 01 | 26 | — | देने का प्रश्न ही |
| 46 | 01 | 45 | — | 67 | 02 | 59 | 01 | नहीं उठता। |
| — | — | — | — | 01 | — | — | — | |
| — | — | — | — | 02 | — | 01 | — | |
| 04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | 50 | 01 | 83 | 03 | 83 | 03 | |
| 19 | 01 | 27 | — | 31 | — | 15 | — | |
| 11 | 01 | 17 | — | 26 | 01 | 21 | 01 | |
| 1019 | 19 | 1219 | 15 | 1437 | 22 | 1628 | 19 | |

निबंध एक ऐसा विषय है जिसका विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या पाठ्य विषयों से कोई विशेष संबंध नहीं होता इसमें केवल सामान्य प्रतिभा के आधार पर सर्व-सामान्य विषयों पर सुलझे हुए विचारों की स्पष्ट अभिव्यंजना अपेक्षित है। शिक्षा से इसका इतना संबंध नहीं है जितना भाषा विशेष में विचारों की अभिव्यंजना की क्षमता से है। इसलिए यह अपेक्षा थी कि इस विषय को अपनी भाषा के माध्यम से लिखने की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाएगा पर पिछले दस साल का अनुभव इससे भिन्न है।

प्रतियोगिता-परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में उम्मीदवारों की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रबल तर्क यह दिया जाता था कि भारतीय भाषाओं में लिखने की जो छूट दी गई है, वह केवल दो प्रश्न पत्रों तक सीमित है; अगर यह छूट पूरी परीक्षा के लिए लागू होती तो शायद अधिक से अधिक उम्मीदवार इसका लाभ उठा पाते। लेकिन वैकल्पिक माध्यम के अलावा ऐच्छिक विषयों में भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसकी प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं थी। यह सुविधा भी 1969 से उपलब्ध रही है। अब तक हिंदी, पंजाबी, बंगला, तमिल और उर्दू को छोड़कर और किसी भी भाषा के साहित्य को ऐच्छिक विषय के रूप में लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या किसी भी वर्ष 100 से अधिक नहीं रही, हालांकि यह संख्या कुछ भाषाओं में बढ़ती जा रही है। इस बात की पुष्टि नीचे की तालिका से हो जाती है :—

| क्रमांक | भारतीय भाषाएं (वैकल्पिक विषय) परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| 1. असमिया | 07 | 06 | 09 | 10 | 15 | 06 | 13 | 15 | 20 |
| 2. बंगला | 44 | 35 | 50 | 55 | 98 | 133 | 126 | 143 | 164 |
| 3. गुजराती | 06 | 15 | 16 | 19 | 26 | 14 | 31 | 34 | 35 |
| 4. हिंदी | 689 | 516 | 565 | 648 | 715 | 748 | 775 | 931 | 975 |
| 5. कन्नड़ | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 12 | 16 | 26 | 37 |
| 6. कश्मीरी | — | — | — | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 |
| 7. मलयालम | 13 | 22 | 19 | 20 | 30 | 28 | 34 | 33 | 24 |
| 8. मराठी | 18 | 10 | 09 | 12 | 21 | 31 | 36 | 61 | 63 |
| 9. उड़िया | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 15 | 31 | 27 | 28 |
| 10. पंजाबी | 32 | 46 | 47 | 67 | 138 | 156 | 216 | 229 | 325 |
| 11. संस्कृत | 189 | 166 | 159 | 155 | 199 | 201 | 231 | 216 | 225 |
| 12. सिंधी | 04 | 03 | 01 | 01 | 03 | 02 | 06 | 06 | 04 |
| 13. तमिल | 39 | 54 | 70 | 95 | 176 | 277 | 393 | 550 | 538 |
| 14. तेलुगु | 12 | 16 | 09 | 20 | 24 | 27 | 40 | 31 | 54 |
| 15. उर्दू | 35 | 37 | 47 | 49 | 78 | 89 | 123 | 138 | 142 |
| कुल संख्या | 918 | 776 | 861 | 1025 | 1349 | 1540 | 1843 | 2227 | 2637 |

उम्मीदवारों की इस हेतुक या अहेतुक उदासीनता के होते हुए भी समूची परीक्षा में भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक माध्यम लागू करने की दिशा में बराबर प्रयास चलते रहे—सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से भी। आयोग चाहता था कि जल्दी से जल्दी सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं बन जाएं और लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से चलें ताकि इन भाषाओं को अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार करने में आयोग को कोई व्यावहारिक कठिनाई न हो। पर इसके लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करना भी ठीक नहीं था। इसलिए इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने फरवरी, 1974 में डा० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने सभी बातों पर समग्ररूप से विचार कर 29 मार्च, 1976 को सिविल सेवा परीक्षा की एक नई योजना आयोग के सामने रखी। यह योजना कुछ सामान्य परिवर्तन के साथ अब सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है और इसके अनुसार पहली सिविल सेवा परीक्षा 1979 में आयोजित की गई।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी के अलावा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से देने की पूरी छूट है। इससे पहले केवल निबंध और सामान्य ज्ञान—दो ही विषयों तक यह छूट सीमित थी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की उच्चतम प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी भारतीय भाषा के माध्यम से उम्मीदवार अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साक्षात्कार में भी अगर उम्मीदवार चाहें तो

अपनी ही भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। प्रतियोगिता-परीक्षाओं के इतिहास में भाषा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाने में हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं की सहयोगिता और सहभागिता मिली है।

इतना ही नहीं, सिविल सेवा परीक्षा की इस नई योजना के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को संविधान की आठवीं अनसूची में उल्लिखित किसी न किसी भारतीय भाषा में एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र में भी उत्तीर्ण होना है। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। इसलिए कोई भी उम्मीदवार किसी भी भारतीय भाषा की जानकारी के बिना ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और देश की अन्य प्रशासनिक सेवाओं में सम्मान के साथ प्रवेश कर सकता था और देशी भाषा या भाषाओं का ज्ञान वह आवश्यकता और सुविधा के अनुसार बाद में प्राप्त कर सकता था। इससे भारतीय भाषाओं का महत्व बहुत कम था। प्रायः यह देखने में आता था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपने को भारतीय भाषा में कच्चे और अंग्रेजी में अच्छे साबित करने में कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रतिष्ठा का अनुभव करते थे। राष्ट्रीयता की दृष्टि से यह कितनी दयनीय स्थिति थी, इसका कोई भी राष्ट्रप्रेमी या भाषाभिमानी आसानी से अनुमान कर सकता है। परीक्षा की इस नई योजना में इस प्रकार की स्थिति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल भारतीय भाषाओं के इन प्रश्न-पत्रों का स्तर केवल मैट्रिक रखा गया है। लेकिन यह अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी है।

अब यह देखना चाहिए कि इस अवसर का लाभ कितने लोग उठाते हैं और राष्ट्र में इसका कितना हार्दिक स्वागत होता है। सन् 1979 की परीक्षा में, जो कि इस नई योजना के अनुसार पहली बार आयोजित हुई है हिंदी के माध्यम से वैकल्पिक विषयों में उत्तर लिखने वालों की संख्या 800 थी जो कि कुल उम्मीदवारों में ग्यारह प्रतिशत के करीब है। दूसरी भारतीय भाषाओं के माध्यम से उत्तर लिखने वालों की संख्या कुल मिलाकर 97 है। यह तो केवल आरंभ है। धीरे-धीरे इस दिशा में क्या प्रगति होगी, यह तो आने वाले वर्ष ही बता सकेंगे।

इतना तो स्पष्ट है कि इस नई योजना में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को जो उचित स्थान और सम्मान मिला है, वह अभिनंदनीय है। इससे कम से कम उन उम्मीदवारों की समस्या का समाधान हो गया है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दस-पंद्रह वर्षों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है। हिंदी, गुजराती, पंजाबी और बंगला में यह प्रगति काफी संतोषजनक रही है। लेकिन यह सारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब शासन, शिक्षा और समाज के प्रबुद्ध और प्रतिभाशाली प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन की सही गरिमा समझ लें और तदनुसार अपने कार्य क्षेत्र में भारतीयता को प्रतिष्ठित कर लें। शिक्षा और प्रशासन दो प्रमुख भुजाएँ हैं जिनके बल पर संघ लोक सेवा आयोग का स्कंध सुदृढ़ बन सकता है। स्कंध चाहे कितना भी मजबूत हो, भुजाओं की सजग क्रियाशीलता के बिना सामर्थ्य का समग्र रूप हमारे सामने नहीं आ सकता। अतः शिक्षा और शासन रूपी भुजाओं को सबल बनाकर सेवा स्कंध की स्थिरता में सहयोग देना राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। □□□

---

**"हिंदी न केवल देश के 20 करोड़ लोगों की सांस्कृतिक भाषा है, बल्कि वह बोलने समझने की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। . . . . भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा-भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है।"**

**—फ़ादर कामिल बुल्के**

---

# पारिभाषिक हिंदी शब्दावली : आगामी कार्यक्रम

—डॉ० गोपाल शर्मा

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने पिछले तीन दशकों में लगभग 4 लाख पारिभाषिक शब्द निर्धारित किए हैं और उन्हें अनेक विद्या वर्गों (डिसिप्लिन) के अंतर्गत कोष रूपों में प्रकाशित भी किया है। विश्वविद्यालय स्तरीय हिंदी ग्रंथ निर्माण योजना में इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पत्र-पत्रिकाओं में, समाचारों या फीचरों में भी अधिकांश रूप से इन्हीं शब्दों का प्रयोग हो रहा है। **इनमें से लगभग एक तिहाई शब्द अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों के लिप्यन्तरण** हैं। अर्धपारिभाषिक शब्दों के संबंध में प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अपनी साहित्य और चिंतन परम्परा के अनुरूप पर्याय चुनने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु इस संगठित प्रयत्न के बावजूद अभी विभिन्न प्रदेशों की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली में एकरूपता नहीं है। जब शब्दावली आयोग का गठन किया गया था तब आशा की जाती थी कि सभी प्रदेशों के वैज्ञानिकों और विषय-विशेषज्ञों के सहयोग से एक रूप पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जा सकेगी। काफी सीमा तक इसमें सफलता भी मिली है। संस्कृत का इसमें प्रधान योगदान रहा है। परन्तु फिर भी बहुत सी शास्त्रीय संकल्पनाओं के लिए सारे भारत में एक पारिभाषिक शब्द का व्यवहार नहीं हो रहा है। **भविष्य में भारत सरकार का प्रयत्न पारिभाषिक शब्दावली में यथा संभव एकरूपता लाने की दिशा में होगा।**

### एकरूपता का ऐतिहासिक दाय

पारिभाषिक शब्दावली में अखिल भारतीय एकरूपता की आवश्यकता क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में अलग-अलग लोगों की भिन्न-भिन्न रायें हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय भाषाओं में धर्म, साहित्य दर्शन, कला, आर्युवेद और विधि के क्षेत्र में कई शताब्दियों से एकरूप शब्दावली का प्रयोग होता आ रहा है। इस एकरूपता की विधायिका संस्कृत भाषा रही है। अनेक प्राकृतों और अपभ्रंशों के विकास के बावजूद पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ही लिए जाते रहे हैं। आज भी प्रादेशिक भाषाओं में शास्त्रीय चिन्तन के लिए अधिकांशतः परम्परागत संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। भारतीय भाषाओं के कोष स्वयं इसके प्रमाण हैं। यह अवश्य देखा गया है कि कालान्तर में कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग सर्वविदित अर्थ से भिन्न अर्थों में पाया जाता है। इस विषय में एक व्यापक शोधकार्य की आवश्यकता है। तेलुगू में 'प्रभुत्व' शब्द 'शासन' के अर्थ में प्रयुक्त होता है और 'उत्तरमु' का अर्थ होता है 'पत्र'। किन्तु इन सीमित अपवादों को छोड़कर विपुल पारिभाषिक शब्दावली एक सी ही है। हां, तमिल में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तमिल शासन के लिए 'अरसांगम' शब्द का प्रयोग करती है। जहाँ संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है वे ध्वनियों की दृष्टि से तमिलानुकूलित, शब्द हैं। फिर भी तमिल में काफी संख्या में संस्कृत शब्दों का प्रयोग आज भी होता है।

एक अन्य ऐतिहासिक दौर, अर्थात् मुगल शासनकाल ने, भारतीय भाषाओं को अनेक तुर्की, अरबी और फारसी शब्द दिए हैं जिनका प्रयोग सभी भारतीय भाषाओं में जन सामान्य के स्तर तक होता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी इन शब्दों का प्रयोग कानून, राजस्व, स्थापत्य, शिल्प आदि क्षेत्रों में होता रहा है और आज ये भारतीय भाषाओं में रचपच गए हैं। सुदूर दक्षिण, अर्थात् तमिलनाडु की आंचलिक तमिलों, में भी तमिलानुकूलित मुगलकालीन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे **इल्लाजु (इलाज), अमुल (अमल), काता (खाता), कायता (कायदा), साबनु (साबित), ताना (थाना), इत्यादि।** तेलगु में तो बड़े परिमाण में अरबी-फारसी शब्द हैं। कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला सभी में समान रूप से इस तरह के पारिभाषिक या सामान्य सांस्कृतिक शब्द सहज रूप से प्रयोग में आ रहे हैं। उनकी अलग पहचान लुप्त हो गई है।

इन सभी तथ्यों से यह भाषिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज भी अखिल भारतीय स्तर पर काफी सीमा तक एकरूप पारिभाषिक शब्दावली के व्यवहार की संभावना है। भारत सरकार द्वारा तय की गई शब्दावली का व्यवहार अनेक भाषा क्षेत्रों में आज भी हो रहा है, किन्तु अभी कई क्षेत्रों में इसका सही तरीके से प्रचार करना आवश्यक है। साथ ही एक दृष्टि से हमें वर्तमान शब्दावली का और पुनरीक्षण करना चाहिए। यह सर्वविदित है कि यूरोप, अमरीका, जापान आदि देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी चिन्तन में एक जैसी पारिभाषिक शब्दावली का व्यवहार हो रहा है। परिवर्तन 'धातु' या तने में न होकर रूप बनाने में अपने व्याकरण के उपयोग तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए ELECTRODE POTENTIAL इस पारिभाषिक शब्द के लिए फ्रेंच में POTENTIEL M. D. ELECTRODE और स्पेनिश में POTENCIAL M DE ELECTRODO जैसे रूप तय किए गए हैं। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं।

**भारत सरकार की पारिभाषिक शब्दावली के अन्तर्राष्ट्रीय और संस्कृतमूलक भागों के संबंध में अब इसी दृष्टि से विचार करना है और अन्य भारतीय भाषाओं को साथ लेते हुए एक सुनियोजित प्रयत्न करना है।**

**एकरूपता क्यों?**

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के मूलत: तीन प्रयोजन होते हैं एक तो है, वैज्ञानिक संकल्पनाओं को सही तरीके से भाषा में बांधना। दूसरा यह है कि एक भाषा के वैज्ञानिक न केवल उस संकल्पना को उस शब्द के जरिए आत्मसात् कर सकें वरन् उसके द्वारा अन्य वैज्ञानिकों को अपने विचार ठीक-ठीक सम्प्रेषित कर सकें। यदि प्रत्येक वैज्ञानिक की अपनी पारिभाषिक शब्दावली हो तो उसके सहयोगियों को अनेक वज्ञानिकों को अपनी-अपनी शब्दावली से परिचित होना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसंधान को तब तक मान्यता नहीं मिलती जब तक दूसरे अनुसंधानकर्त्ता भी उसे अपनी प्रयोगशाला में दुहरा न सकें। इसके लिए भाषा और विचार दोनों में एकरूपता होनी चाहिए। अगर शब्दावली भिन्न हो तो बड़ी कठिनाई सामने आती है। इस स्थिति में उस भाषा माध्यम से विज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती।

तीसरी बात यह है कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सूचना के आदान-प्रदान के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि विज्ञान का प्रसार शिक्षा के माध्यम से भी हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि ऊपर से नीचे तक सभी स्तरों की विज्ञान शिक्षा में एक से ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अतएव, प्रादेशिक भाषाओं में अथवा अंतप्रादेशिक भाषा में पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता का प्रयोजन उनकी शैक्षिक क्षमता बढ़ाना है, जिससे कि विज्ञान और टैक्नोलाजी का विद्यार्थी विभिन्न लेखकों की पुस्तकों का बिना कठिनाई के अध्ययन कर सके, वैज्ञानिक भी अपने भाषाक्षेत्र के सभी भागों में एक ही शब्दावली से अपना विचार व्यक्त कर सकें या दूसरों के विचार ग्रहण कर सकें और शिक्षा के आरंभिक क्रम के सभी सोपानों में तकनीकी संकल्पनाओं के लिए एकरूप प्रतीकों का व्यवहार करते हुए विद्या या कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सके।

**प्राकृतिक परिवेश और प्रादेशिक बोलियां**

अक्सर लोग यह कहा करते हैं कि हमारी बोलियों में प्रकृति की वस्तुओं और घटनाओं को व्यक्त करने वाली सहज शब्दावली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तथा इसका प्रयोग बालकों अथवा वयस्कों के लिए विज्ञान को समझने और ग्रहण करने में बहुत उपयोगी हो सकता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस राय से किसी का मतभेद नहीं हो सकता। किन्तु जहां व्यक्ति के बौद्धिक विकास और ज्ञान सीमा के विस्तार का प्रश्न सामने हो तो हमें इस विषय में कुछ गहराई से सोचने की जरूरत पड़ जाती है। जो बात भाषा विज्ञान की दृष्टि से सही लगे, जरूरी नहीं कि वह शैक्षिक अनिवार्यताओं और सम्प्रेषण की आधुनिक अपेक्षाओं की दृष्टि से भी उपादेय और स्वीकार्य हो। आज हमारे किसान नित नया ज्ञान हासिल करते हुए कृषि का विकास कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में नए ज्ञान के साथ-साथ नए भारतीय अथवा विदेशी शब्दों से भी उनका परिचय होता चला जा रहा है। इस प्रकार आज गांव के स्तर पर भी भाषा में बदलाव आ रहा है। यह बदलाव गांव के किसान या शिल्पी के उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के कारण आ रहा है। यह समाज-भाषिक परिवर्तन समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो रहा है।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम-स्तर की भाषा और शब्दावली से आगे जाने की जरूरत समाज की विकास संबंधी आवश्यकताओं से पैदा होती है। मनुष्य निरंतर अपने विचारों का दायरा बढ़ाता जाता है जिसका असर उसकी भाषा और शब्दावली पर पड़ता है और व्यवहार का दायरा बढ़ाने के साथ मनुष्य एक बड़े वर्ग में प्रयुक्त परिनिष्ठित भाषा को अपनाने लगता है। इस सामाजिक प्रक्रिया में उसकी भाषा, प्रसंगानुसार, अपनी स्थानीयता अथवा आंचलिकता को क्रमश: छोड़ती चली जाती है या मिश्रित रूप धारण कर लेती है। एक प्रादेशिक क्षेत्र की मानक भाषा ही, इसलिए उसके समाज की विस्तृत व्यवहार की सक्षम भाषा के रूप में निचले स्तरों तक प्रतिष्ठित होती जाती है।

**अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली की कल्पना**

विज्ञान मनुष्य के प्रकृति संबंधी परम्परागत विचारों में परिवर्तन लाता है। विज्ञान की भाषा भी उक्त बदलाव को अपने साधनों से प्रदर्शित करती है। इस नए ज्ञान के अर्थ संस्कृति सापेक्ष नहीं माने जाते। हम 'बिजली' या 'विद्युत' शब्दों का प्रयोग सदियों पहले भी करते थे परन्तु आज इनका प्रमुख अर्थ कुछ और हो गया है; और सभी देशों के वैज्ञानिकों या उपभोक्ताओं के लिए भी इनका वह बदला हुआ अर्थ ही सार्थक है। वैज्ञानिक इस कारण क्षेत्रीय व्यक्ति नहीं होता। उसका व्यक्तित्व अपनी सीमाओं से बाहर फैल जाता है। यह उसके आदान-प्रदान की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण शर्त है, इसीलिए वह एक बड़े भाषा-दायरे से शब्दों या नामों को चुनता है। यूरोप और अमरीका की समान पारिभाषिक शब्दावली का यही रहस्य है। ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय शब्द माने जाते हैं और बाद में विज्ञान के लिए प्रयुक्त और विकसित की जाने वाली भाषा में भी उन्हीं रूपों में स्वीकार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारों और मापों के नाम, द्विनामावली, तत्वों के नाम इत्यादि।

अपनी ऐतिहासिक परम्परा के तथ्य को स्वीकार करते हुए हम दूसरे स्तर पर यह भी यत्न कर सकते हैं कि भारत उपमहाद्वीप की पारिभाषिक शब्दावली प्रादेशिक विविधता से ऊपर उठाई जा सके। इससे अंतप्रादेशिक आदान-प्रदान और अध्यापन व्यवस्था में बड़ी सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। विद्यार्थी और अध्यापक यदि एक प्रदेश के विश्वविद्यालय से दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालय में जाएँ तो उन्हें विज्ञान और टेकनोलाजी के पारिभाषिक शब्द तो एक ही मिल सकेंगे।

(शेष पृष्ठ 41 पर)

# राजभाषा नीति से संबंधित सरकारी संकल्प : एक परिचय

--हरिबाबू कंसल

भू० पू० उपसचिव, राजभाषा विभाग

संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था है कि "संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी"। यद्यपि यह व्यवस्था संविधान के प्रवृत्त होने के दिन से ही लागू है, किन्तु असली तौर पर यह संविधान के अपनाए जाने से पंद्रह वर्ष बाद, अर्थात् जनवरी 1965, से लागू होनी थी। इस बीच हिंदी का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट कामों के लिए ही किया जा सकता था। उस अनुच्छेद के खंड (3) में यह व्यवस्था भी की गई थी कि जनवरी 1965 के बाद के लिए संसद कानून बना कर विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के बारे में कानून बना सकेगी। इस खंड (3) में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया जिसमें जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग, हिंदी के साथ-साथ, जारी रखने का उपबंध किया गया।

उक्त अधिनियम के कुछ भाग 1967 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किए गए। जिस समय संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया तभी राजभाषा नीति से संबंधित एक सरकारी संकल्प भी प्रस्तुत किया गया और संसद ने राजभाषा (संशोधन) विधेयक पारित करने के साथ-साथ यह संकल्प भी पारित किया। वास्तव में उस विधेयक तथा इस संकल्प दोनों का परस्पर अभिन्न संबंध था और अब भी है। जब तक संकल्प के विभिन्न अंशों का आशय भली भाँति नहीं समझ लिया जाता तब तक संविधान के अनुच्छेद 343, राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का ठीक ढंग से समझ पाना अथवा कार्यान्वयन संभव नहीं होगा।

जब राजभाषा विधेयक 1963 संसद में प्रस्तुत हुआ और काफी सरगर्मी के बाद उसने अधिनियम का दर्जा लिया तब अनेक क्षेत्रों में यह धारणा रही कि भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी का दर्जा समाप्त कर दिया है और भविष्य में सरकार का सभी काम अंग्रेजी में ही होता रहेगा। इस बात पर बहुत कम लोगों ने गौर किया कि इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी को समाप्त करके अथवा हिंदी को हटाकर नहीं, बल्कि हिंदी के "अतिरिक्त" किए जाने की अनुमति दी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग " in addition to Hindi" किया जा सकेगा। यदि हिंदी को हटाना होता तो " in replacement of Hindi" या "in substitution of Hindi" जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता। वास्तव में यह अधिनियम दो बातों के बीच का संतुलन था, एक यह कि हिंदी संघ की राजभाषा बनी रहेगी और दूसरा यह कि जिन लोगों को हिंदी में काम करने में कठिनाई है उनके लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रह सकेगा। यह आशय सन् 1968 के राजभाषा नीति संबंधी संकल्प से और सुस्पष्ट हो जाता है और इसलिए उस संकल्प का विशेष महत्व है।

उपर्युक्त संकल्प में चार पैराग्राफ हैं। पहला पैरा सरकारी काम-काज में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है, दूसरा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास से, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र अपनाए जाने और चौथा केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में परीक्षा के माध्यम के संबंध में है। इस प्रकार यह संकल्प सरकार की भाषा नीति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।

संकल्प का पहला पैराग्राफ इस प्रकार है :—

1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्त्तव्य हिंदी भाषा की प्रसारवृद्धि करना और उसका विकास करना है ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

   सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग के हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी, और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

इस पैराग्राफ से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं :—

(क) इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी;

(ख) भारत सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उसका उत्तरोत्तर प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करे;

(ग) कार्यक्रम बना देना ही काफी नहीं होगा, उसे कार्यान्वित भी किया जाएगा और इसका दायित्व सरकार पर होगा;

(घ) उक्त कार्यक्रम बनाने और उसे कार्यान्वित करने का काम सरकारी कार्यालयों के रुटीन काम के समान नहीं होगा अपितु लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों एवं उनकी प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

यह सर्वविदित है कि यह संकल्प उपेक्षित नहीं पड़ा रहा। इसके उपर्युक्त पैराग्राफ के अनुपालन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय (1975 से राजभाषा विभाग) संकल्प पारित होने के पश्चात प्रतिवर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों से परामर्श करके हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के संबंध में नियमित रूप से वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता रहा है और उनके कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का लेखा-जोखा "वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट" के रूप में संसद को प्रस्तुत करता रहा है। ये कार्यक्रम यथासंभव केन्द्रीय हिंदी समिति का अनुमोदन प्राप्त करके अपनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री भी सदस्य होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समिति के सदस्य होते हैं। इनके अलावा राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य तथा भारत के विभिन्न भागों के हिंदी की प्रगति में रुचि रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। वार्षिक कार्यक्रम को केन्द्रीय हिंदी समिति जैसी उच्च स्तरीय समिति के सामने रखकर उसका अनुमोदन प्राप्त करने की पद्धति से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उपर्युक्त संकल्प को तथा उसके कार्यान्वयन को कितना महत्व देती है।

संकल्प के उपर्युक्त पैराग्राफ के अनुसरण में भारत सरकार ने विभिन्न वर्षों में यह निर्धारित किया कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में किस-किस प्रकार का काम तथा कितना-कितना प्रतिशत काम हिंदी में करने का प्रयत्न किया जाएगा, नए टाइप-राइटरों की खरीद करते समय कितने प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी लिपि के खरीदे जाएंगे, केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कितने कर्मचारियों को हिंदी सिखाई जाएगी, कितने टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, आदि-आदि।

संकल्प का दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार है :—

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिएं :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

संकल्प के इस भाग के अनुसरण में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। कुछ लोग यह विचार व्यक्त करते हैं कि संघ सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं के विकास के क्षेत्र में समुचित रुचि नहीं दिखाई है। तथापि, संकल्प के उपर्युक्त पैराग्राफ से स्पष्ट है कि सरकार की न केवल इस क्षेत्र में गहरी रुचि रही है अपितु उसने इस दिशा में निश्चित कार्यक्रम बनाकर आवश्यक उपाय करने का निश्चय भी किया है।

देश के विद्यालयों आदि में छात्रों को किन-किन भाषाओं की शिक्षा दी जाए इस बारे में समय-समय पर उच्च स्तर पर विचार हुआ है। देश की विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र (फार्मूला) अपनाने का निश्चय किया गया था। उस निश्चय को इस संकल्प के पैरा 3 में इन शब्दों में दोहराया गया है :

3. एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिएं :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी-भाषी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा और अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

आमतौर से विभिन्न प्रान्तों में इस त्रैभाषिक सूत्र को अपनाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन कई जगह कमियाँ भी रही हैं जिन्हें दूर करने के प्रयत्न जारी रहने चाहिएं। यदि इस सूत्र का सही रूप में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तो भाषा संबंधी अनेक समस्याएं आसानी से सुलझ सकेंगी। इतना ही नहीं, यह फार्मूला भाषाई पुल का काम करते हुए सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी आवश्यक उपाय है।

केंद्रीय सरकार की नौकरियों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का माध्यम कौन-सी भाषा अथवा भाषाएं हों यह लम्बे अरसे से चर्चा और विवाद का विषय रहा है। जब शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं अंग्रेजी का स्थान लेती जा रही हैं, और काफी हद तक वे यह स्थान ले भी चुकी हैं, तो केंद्रीय सरकार की नौकरियों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी का पहले जैसा स्थान बने रहना उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही, यह भी देखना आवश्यक था कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा या कोई अनुचित हानि न हो। कुछ सेवाएं तथा पद केवल केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के हैं जहां काम-काज हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाता है। दूसरी ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनमें नियुक्त अधिकारी मुख्यतः राज्यों में और बाकी केंद्रीय सरकार में कार्य करते हैं। राज्यों में उन्हें संबंधित राज्यों की राजभाषाओं में काम करना होता है। किसी एक राज्य का निवासी, सेवा में चुने जाने पर, किसी भी अन्य राज्य में तैनात किया जा सकता है। इन सेवाओं की भर्ती परीक्षा में देश के सभी भागों के व्यक्ति बैठते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में संकल्प के पैरा 4 में यह निर्धारित किया गया कि :—

> 4. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण रूप से परित्राण किया जाए;
>
> यह सभा संकल्प करती है कि :—
>
> (क) उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों, जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा; और
>
> (ख) परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय-एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

संकल्प के पैरा 4 (क) को अभी आंशिक रूप में ही कार्यान्वित किया गया है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित सभी परीक्षाओं में अभी अंग्रेजी विषय का प्रश्न-पत्र अनिवार्य है, "हिंदी या अंग्रेजी" का विकल्प नहीं दिया गया है। हां, अनेक परीक्षाओं में इस बात की छूट दे दी गई है कि अभ्यर्थी अंग्रेजी के अलावा अन्य विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। पैरा 4 (ख) को काफी अंश में मूर्त रूप दे दिया गया है और अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं।

संकल्प के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की भाषा नीति निर्धारित करते समय अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है तथा प्रत्येक पहलू अन्य पहलुओं से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उन्हें एकांगी रूप में देखना किसी भांति ठीक नहीं होगा। संकल्प के पैरा 1 से इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो जाती है कि संसद के दोनों सदनों ने, इस संकल्प को पारित करके भारत सरकार को यह निदेश दिया तथा सरकार पर यह उत्तरदायित्व डाला है कि वह संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाते रहने के लिए सतत सुनियोजित प्रयत्न करे। यदि हिंदी की उपेक्षा करने की भावना होती तो उपर्युक्त बातें इतनी स्पष्ट रूप में इस संकल्प में न रखी जातीं और वह भी उस समय जब राजभाषा अधिनियम, 1963 को संशोधित करने वाले विधेयक पर संसद में विचार चल रहा था। यदि राजभाषा अधिनियम के साथ-साथ इस संकल्प की भली प्रकार जानकारी हो सके तो अधिनियम तथा संकल्प के पीछे संसद का जो संतुलित एवं सुनिश्चित दृष्टिकोण था वह सामने आ सकेगा और उससे अनेक गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इससे सरकार की भाषा नीति को कार्यान्वित करना अपेक्षाकृत सुगम हो सकेगा। □

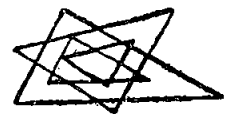

# हिंदीतर भाषी प्रदेशों में हिंदी : कुछ सुझाव

—प्रो० जी० सुंदर रेड्डी

इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि भारत की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है लेकिन सरकार की मान्यता के अलावा जनता की स्वीकृति की मुहर भी उतनी ही आवश्यक है। कई ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारणों के परिणामस्वरूप हमारे देश में राजभाषा का स्थान अंग्रेजी को मिला हुआ है। आज भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकांश कार्यकलाप उसी के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। देश को इस अवस्था से मुक्त कर, हिंदी को राजभाषा के आसन पर बिठाने के लिये, देश में, विशेषकर हिंदीतर प्रांतों में, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना बहुत आवश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने हिंदीतर प्रांतों में हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के लिये विविध योजनाएं आरम्भ कीं, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान तथा हिंदी शिक्षण योजना आदि की स्थापना हुई है। उक्त तीनों प्रमुख संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्रमशः भारत के हिंदीतर प्रांतों में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार, हिंदीतर-भाषी प्रांतों के हिंदी प्राध्यापकों का प्रशिक्षण तथा हिंदीतर प्रांतों के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाना आदि रहा है। हिंदीतर प्रांतों में राज्य सरकारों द्वारा भी हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को काफी सहयोग मिला। लेकिन इन योजनाओं की सक्रियता में पंगुपन आ जाने तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रांतीय भाषाओं को अधिक मान्यता दिए जाने के कारण हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। अतः हिंदीतर प्रांतों में हिंदी के प्रचार में जो जो उलझनें सामने आ रही हैं उनको दृष्टि में रखकर भारत सरकार को अपनी योजनाओं की रीति-नीति कुछ बदलनी चाहिए।

दक्षिण भारत की अपेक्षा शेष भारत के हिंदीतर प्रांतों में हिंदी का प्रचार-प्रसार सुगम है। दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़कर शेष तीनों सरकारें हिंदी के प्रचार और प्रसार में अधिक दिलचस्पी न लेने पर भी कोई अड़चन उपस्थित नहीं कर रही हैं। हां, इतना अवश्य है कि ये राज्य सरकारें प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता देने के कारण हिंदी के प्रचार और प्रसार में पहले से कुछ कम क्रियाशील जान पड़ती हैं।

भारत के स्वतन्त्र होने के बाद दक्षिण के चारों प्रदेशों के स्कूलों में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य बना दिया गया। इसके पीछे केंद्रीय शासन की शिक्षा नीति, हमारे संविधान में हिंदी को दिया गया स्थान और दक्षिण में हिंदी प्रचार के क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि, तीनों का योग रहा है। केंद्र की नीति यह रही कि दक्षिण के हर एक स्कूल में हिंदी अध्यापक की नियुक्ति हो और उस अध्यापक के वेतन का पूरा भार पाँच वर्षों तक केंद्रीय सरकार ही वहन करे। पाँच साल के बाद उसका सारा वेतन राज्य सरकार दे। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि आंध्र तथा केरल के लगभग सभी प्राइमरी तथा हाई-स्कूलों में हिंदी का प्रवेश हुआ, यानी अध्यापकों की नियुक्ति हुई। तमिलनाडु की स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ कालेज एवं विश्वविद्यालयों में भी वह वांछित स्थान नहीं पा सकी है।

अब रही अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात। आंध्र, केरल, तथा कर्नाटक में हिंदी प्रशिक्षण विद्यालय चल रहे हैं। इन में वहां के स्कूलों के अध्यापक प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में जो अध्यापक भेजे जा रहे हैं उनका सारा व्यय, यानी उनके स्थान पर नियुक्त होने वाले अन्य अध्यापक का वेतन तथा प्रशिक्षणार्थी की छात्र-वृत्ति, केंद्रीय सरकार से प्राप्त होनी चाहिए। यह बात खासकर दक्षिण भारत के लिये इसलिये लागू होती है क्योंकि हिंदीतर भाषा-भाषी आर्य प्रदेशों की बनिस्बत हिंदीतर भाषा-भाषी द्रविड़ प्रदेशों के हिंदी के पठन-पाठन की समस्याएं अधिक जटिल हैं। केंद्रीय सरकार की नीति सभी हिंदीतर-भाषी प्रदेशों के लिए एक-सी रही है। इस नीति में परिवर्तन लाना नितान्त आवश्यक है।

हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिये हिंदी की पठन-सामग्री पर भी यथेष्ट ध्यान देना आवश्यक है। स्कूलों में हिंदी की पठन-सामग्री का राष्ट्रीयकरण हो गया है। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल तथा कालेजों के अध्यापकों की सम्मिलित समितियों द्वारा हिंदी के 'रीडर' तैयार किये जा रहे हैं। इन रीडरों पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद् की राय भी प्राप्त की जाती है। लेकिन इन रीडरों को, हिंदीतर प्रांतों के विद्यार्थियों के लिये और भी चित्ताकर्षक, वैज्ञानिक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है।

एस० एस० एल० सी० या दसवीं कक्षा पास होने पर विद्यार्थी पी० यू० सी० अथवा इंटर में प्रवेश करते हैं। केरल में एस० एस० एल० सी० में हिंदी के प्रश्नपत्र में 35 प्रतिशत अंक पाना समूची परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए

आवश्यक है। आंध्र प्रदेश में ये अंक बहुत कम हैं और कर्नाटक में तो नाम मात्र के लिए अंक पाना उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त है। इस कारण पी० यू० सी० अथवा इन्टर में आने वाले हिंदी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान समान स्तर का न होकर भिन्न-भिन्न स्तरों का हुआ करता है। कई विद्यार्थी नागरी अक्षर तक शुद्ध रूप से नहीं लिख पाते। कई लड़के हिंदी ठीक नहीं पढ़ सकते किन्तु कई लड़के शुद्ध लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इन सब लड़कों को एक वर्ग में बिठाकर पढ़ाना एक बड़ी समस्या बन जाती है। यदि विद्यार्थियों की संख्या काफी हो तो उनकी हिंदी की जानकारी के आधार पर अलग-अलग उपवर्ग बनाए जा सकते हैं। किन्तु उनकी संख्या एक वर्ग लिए ही मुश्किल से पर्याप्त होती है, तब इस समस्या को कैसे हल किया जाए? हमारे इन दिनों के एम० ए० उपाधिधारी जो बी० एड् या अन्य प्रकार से प्रशिक्षित नहीं हैं इन्टर कक्षाओं के अध्यापक बनकर आते हैं। भिन्न-भिन्न स्तर वाले छात्रों को पढ़ाने का उनका ढंग हास्यास्पद-सा लगता है। अतः पी० यू० सी० अथवा इन्टर की कक्षाओं के लिए हिंदी कितनी और कैसी पढ़ाई जाए इस पर गम्भीरता से विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि इसी स्तर के लोग आगे चलकर डिग्री कक्षाओं में प्रवेश पाते हैं।

स्नातक कक्षाओं में हिंदी पढ़ाये जाने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि साधारण डिग्री का लड़का किसी साधारण विषय को चाहे वह साहित्यिक हो या साहित्येतर, चाहे विज्ञान संबंधी हो या वाणिज्य संबंधी, आसानी से हिन्दी में अभिव्यक्त कर सके।

आन्ध्र प्रदेश में हायर सेकेंड्री यानी बारहवीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी और उसमें उत्तीर्णांक प्राप्त करना भी आवश्यक था। लेकिन राज्य सरकार की शिक्षा-नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप हायर सेकेंड्री के स्थान पर आज जो इंटर की कक्षाएं चल रही हैं उनमें हिंदी को वैकल्पिक विषय बना दिया गया है। इससे अधिकतर विद्यार्थी मातृभाषा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं और इस तरह हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में बाधा उपस्थित हो रही है। इसी प्रकार स्नातक स्तर में बी० काम में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज वैकल्पिक विषय बन गई है।

स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गांधीजी के प्रभाव में आकर हिंदी प्रचारकों तथा प्रचारक संस्थानों ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर निःस्वार्थ रूप से हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया। आज इसी निष्काम भावना का लोप हो जाना हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए अवरोध बन गया है। इन प्रचारकों की तथा प्रचार संस्थाओं की क्रियाशीलता शिथिल होने के कारण हिंदी के प्रचार में बाधा उपस्थित हो गई है।

हिंदी के प्रचार प्रसार में सब से बाधक एवं कटु समस्या है रोजगार की। आज दक्षिण के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी के स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान विभाग चल रहे हैं। प्रतिवर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय से लगभग 30–40 विद्यार्थी एम० ए० (हिंदी) की उपाधियाँ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग अपने को अन्य विषयों में एम० ए० की उपाधि पाने वालों की तुलना में अधिक पीड़ित समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी को अपना विषय चुना है। दक्षिण में हिंदी के ये स्नातक हिंदी से संबंधित नौकरियों के अतिरिक्त भला और कौन-सी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं?

इधर प्रादेशिक भाषाओं को महत्ता देने के लिए हिंदी को अनिवार्य विषय से हटाकर वैकल्पिक विषय बनाये जाने से हिंदी पढ़ाने वालों की संख्या घटने लगी है और हिंदी के अनेक प्राध्यापकों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में हिंदी उपाधिधारी भी हिंदी संबंधी नौकरियां न मिलने पर कहीं लिपिक या अंग्रेजी टंकक या अपनी स्नातक उपाधि के आधार पर किसी स्कूल में अंग्रेजी या गणित या विज्ञान के अध्यापक बनकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। आखिर इनकी हिंदी की उपाधियां इनके किस काम आईं? इस तरह जब हिंदीतर प्रांतों में हिंदी पढ़ना एक अभिशाप सिद्ध हो रहा है तब हिंदी का प्रचार एवं प्रसार कैसे संभव हो सकेगा?

जब हिंदी पढ़े लिखे स्नातकोत्तर उपाधिधारी हिंदीतर प्रान्तों में मौजूद हैं तो हिंदी शिक्षण योजना जैसी हिंदी संबंधी नौकरियां हिंदीतर प्रांतों में उन्हीं प्रांतवालों को दी जानी चाहिएं क्योंकि ऐसा करने से हिंदी सीखने वाला अपनी मातृभाषा की सापेक्षता में हिंदी का अध्ययन कर सकता है। ऐसा न होने पर हिंदी सीखने वाले के मन पर उल्टा प्रभाव पड़ने और हिंदी के प्रति उसके मन में उदासीनता पैदा हो जाने की भी संभावना है। इन उलझनों को दृष्टि में रखते हुए हिंदी के प्रचार को सुगम बनाने और भारत की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा हिंदी को राजभाषा के पद पर अधिष्ठित करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

पहली बात यह है कि हिंदीतर प्रांतों के लोगों के मन में यह शंका बराबर बनी रहती है कि यदि हिंदी सारे भारत में छा जायेगी तो प्रादेशिक भाषाओं का तथा उनके साहित्य का क्या होगा? अतः प्रादेशिक भाषाओं के अपने अलग महत्व को साबित करना नितान्त आवश्यक है। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य तथा हिंदी साहित्य के बीच अनुवाद के माध्यम से यथेष्ट आदान-प्रदान हो तो इस शंका से बचा जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि हिंदीतर भाषियों की सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जाये जिससे उन प्रांतों की संस्कृतियाँ हिंदी के माध्यम से व्यक्त हो सकें और भारत की सामासिक संस्कृति के निर्माण में सहायक हो सकें। तीसरी बात यह है कि हिंदीतर प्रांतों में पढ़ने वाले हिंदी के सभी योग्य विद्यार्थियों को तथा शोधार्थियों को

# चित्र-समाचार

(1)

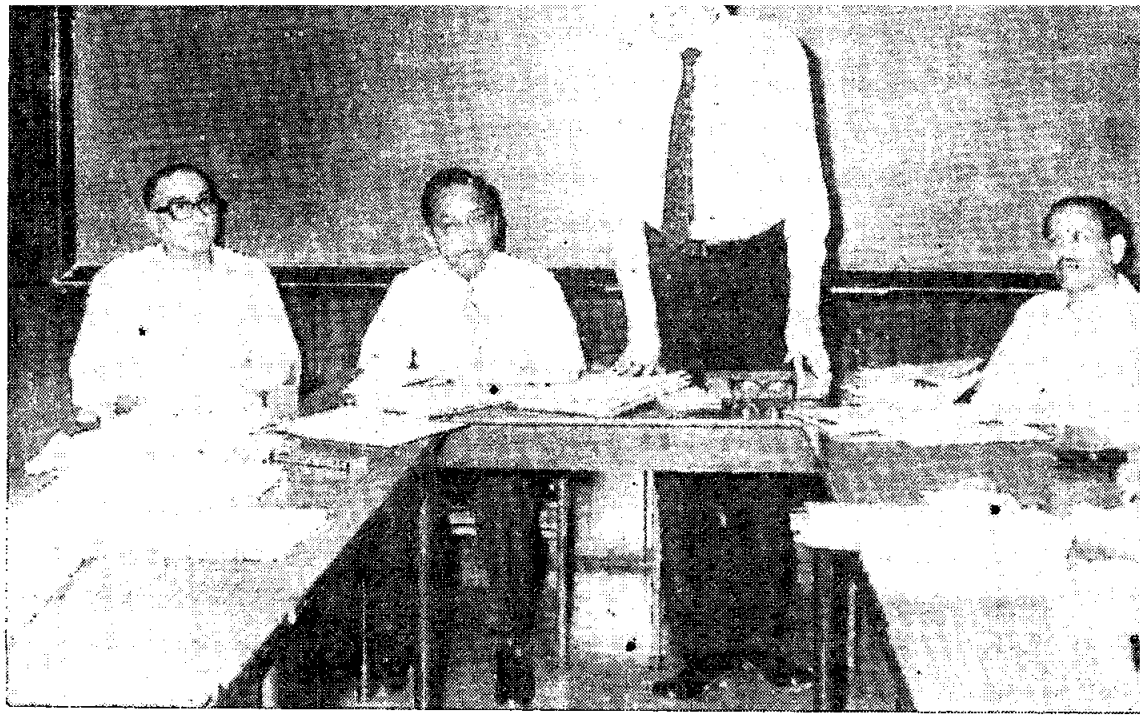

बम्बई में भारत पेट्रोलियम द्वारा आयोजित तेल कम्पनियों की बैठक को संबोधित करते हुए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार तथा राजभाषा सचिव श्री जयनारायण तिवारी

(2)

बम्बई के कस्टम हाउस में हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित अधिकारी और कर्मचारीगण

(3)

बम्बई के कस्टम हाउस में हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित दर्शकगण

(4)



बंगलौर में आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हुए तत्कालीन रेल-मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी तथा अन्य अधि-कारी और सदस्यगण

(6)

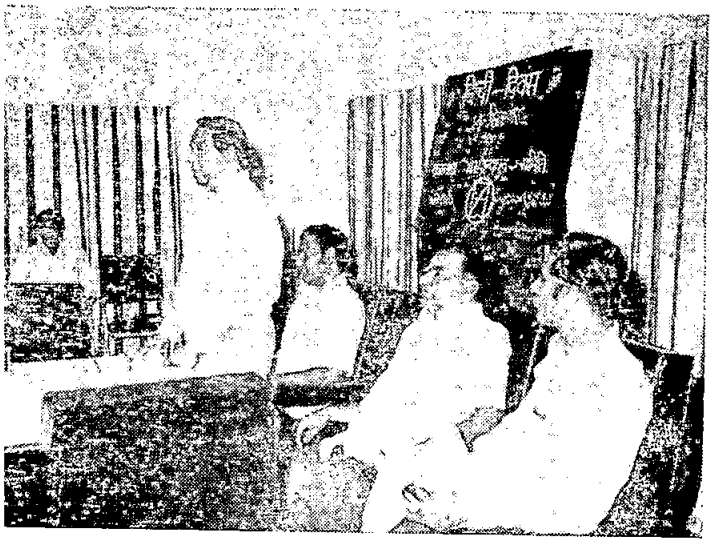



हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापट्टनम के कारखाना प्रबंधक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जे० एन० पांडेय हिंदी दिवस के अवसर पर बोलते हुए

(8)

बम्बई में आयोजित हिंदी सप्ताह के दौरान प्रेमचंद शताब्दी समारोह के अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सादिक अली

(5)

बंगलौर में आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में श्री गंगा शरण सिन्हा, डॉ० मलिक मुहम्मद तथा अन्य सदस्यगण

(7)

विशाखापट्टनम् में हिंदी दिवस के अवसर पर बोलते हुए प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी

(9)

पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी समिति, लखनऊ की ओर से आयोजित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जयंती समारोह में दिखाई दे रहे हैं, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्रीनारायण [illegible]री और शुक्ल जी [illegible]त्री श्रीमती [illegible]ारी

(10)

शिमला में हिंदी दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री अमीनुद्दीन खां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

(11)

संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति के संयोजक श्री ओम मेहता का स्वागत करते हुए आंध्र प्रदेश के महालेखाकार श्री टी० नरसिंहन तथा अन्य सदस्य

(12)

जावर माइन्स में आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर बोलते हुए उप-महाप्रबंधक श्री लाहिड़ी

छात्रवृत्तियों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए और हिंदी का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् उनके लिए केंद्रीय सरकार की नौकरियों में नियमित रूप से कुछ नौकरियां दी जाएं। हिंदीतर प्रांतों के हिंदी स्नातकों की रोजगार की समस्या को हल करने के लिये विशेष योजनाएं बनाई जाएं जिससे हिंदी का प्रचार एवं प्रसार सुगमता से हो सके।

चौथी बात यह है कि केंद्रीय सरकार में हिंदीतर प्रांतों के अनुभवी हिंदी विद्वानों को चुनकर उनके अनुभवों से लाभ उठाया जाए।

हिंदी के प्रचार कार्य को सुचारु ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि दक्षिण भारत में भी 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय' की एक शाखा की स्थापना हो और सारे देश में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार संबंधी संस्थाओं की बागडोर हिंदीतर प्रांतों के अनुभवी विद्वानों के हाथों में सौंपी जाए, क्योंकि वे ही लोग देश में, विशेष रूप से हिंदीतर प्रांतों में, हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के मार्ग में आने वाली अड़चनों को भली-भांति समझकर उन्हें दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। □ □ □

---

(पृष्ठ 21 का शेष)

की सिफारिश के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के स्थान पर संशोधित पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री के निर्माण का निर्णय लिया गया है, क्योंकि मौजूदा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में सरकारी काम-काज की भाषा का प्रयोग कम किया गया था। इसलिये सरकारी काम-काज की हिंदी का अधिक प्रयोग करने के उद्देश्य से संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किये जाने थे। संशोधित पाठ्यक्रम की सामग्री के निर्माण का कार्य केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने पूरा कर दिया है। नई पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण की व्यवस्था की जा रही है और तत्पश्चात् वे वर्तमान पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर निर्धारित की जाएंगी।

अनुभव से यह मालूम हुआ है कि कर्मचारी सामान्यतः हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी, जिन्हें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन का कार्य सौंपा जाता है, इस कार्य को बहुत कम समय दे पाते हैं और उनके द्वारा जो कर्मचारी प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं, उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होती। प्रशिक्षण के लिये भेजे गये कर्मचारियों में से अनेक तो कक्षाओं में प्रवेश ही नहीं लेते और जो पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं उनमें से बहुत से परीक्षा में नहीं बैठते। हिंदी के लिये सद्भावना पैदा करके, शिक्षण विधि का सुधार करके एवं संगठन कार्य को अधिक प्रभावी बनाकर इन कमियों को दूर करने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस योजना की सफलता अधिकतर सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के उन्नयन के लिये भारत सरकार की नीति केवल विश्वासोत्पादक तरीके अपनाने की रही है और राजभाषा विभाग की सलाह आम तौर से यह रही है कि हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनिवार्य आवश्यकताओं को लागू करने के लिये अनौपचारिक अनुशासनिक कार्रवाई को छोड़कर सभी संभव तरीके अपनाये जायें।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा हिंदी में अपना काम करने के मामले का एक पहलू और है। अधिनियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना काम अपनी इच्छानुसार अंग्रेजी अथवा हिंदी किसी भाषा में कर सकता है। अब धीरे-धीरे ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपना काम सरलता से हिंदी में कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो उसे हिंदी में अंग्रेजी से बेहतर कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1979 तक, 4,14,000 कर्मचारियों ने हिंदी में, 25,300 कर्मचारियों ने हिंदी टाइपलेखन में तथा 5,100 कर्मचारियों ने हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर, कई वरिष्ठ तथा पुराने कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के हिंदी में काम करने से परेशानी होती है। इस तरह से जो छूट एक तबके के लिये सुविधा का कारण है, वही छूट दूसरों के लिये परेशानी का। इसका एकमात्र हल यही है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ऊपर लिखी अड़चन दूर हो सके। शुरू में यह जरूरी नहीं कि सभी को, दोनों भाषाओं में "समझ तथा अभिव्यक्ति" दोनों ही का एक समान ज्ञान और अधिकार प्राप्त हो जाए। जरूरी यह है कि हर एक कर्मचारी को एक भाषा बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए ताकि वह उसमें अपने विचार सरलता से व्यक्त कर सके और दूसरी भाषा का इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस भाषा में किसी लिखी गई बात को समझने में दिक्कत न महसूस करे। ●

# देवनागरी लिपि : संशोधन और परिवर्धन

--काशीराम शर्मा
संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि को राजभाषा की लिपि के रूप में स्वीकार करने के कदाचित् अनेक कारण रहे हैं। मुख्य कारण तो यही है कि हिंदी सामान्यत: देवनागरी लिपि में लिखी जाती रही है। दूसरा, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि देवनागरी का प्रयोग भारत के बहुत बड़े भाग में अन्य भाषाओं के लिए भी होता है। उदाहरणार्थ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का बहुत-सा साहित्य देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध है। मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। नेपाली आदि कुछ पड़ोसी भाषाओं ने भी इस लिपि को अपना रखा है। देश के अधिकांश भाग में संस्कृत भाषा भी इसी लिपि के माध्यम से पढ़ी-पढ़ाई जाती है। इसलिए देवनागरी लिपि को राजभाषा हिंदी की लिपि के रूप में स्वीकृति मिलना स्वाभाविक था।

परन्तु देश के मुद्रकों और टंकणकर्त्ताओं आदि का यह अनुभव रहा है कि देवनागरी लिपि में अंतर्निहित कुछ दोषों के कारण यंत्रयुग में उसका प्रयोग रोमन लिपि की तुलना में कुछ कठिनाई उपस्थित करता है। इसलिए विद्वानों का ध्यान इस दिशा में जाना स्वाभाविक था कि देवनागरी लिपि में ऐसे उपयुक्त संशोधन किए जाएं कि वह यंत्रों के प्रयोग में उतनी असुविधाजनक न रह जाए। समय-समय पर अनेक लोगों ने देवनागरी लिपि में सुधार-संशोधन सुझाए थे परन्तु वे विविध कारणों से सर्वमान्य न हो पाए। अंतत: भारत सरकार ने देवनागरी लिपि के संशोधन और मानकीकरण का कार्य भी अपने हाथ में लिया और उसके लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने देवनागरी लिपि के मुख्य ढाँचे में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा और प्राय: ऐसे ही संशोधन सुझाए जिनसे अक्षरों आदि की द्विरूपता तो समाप्त हो जाए पर विशिष्ट लक्षण बने रहें।

देवनागरी लिपि के कुछ विशिष्ट लक्षण जो ब्राह्मी मूल की सभी भारतीय लिपियों में समान रूप से विद्यमान हैं, इस प्रकार हैं :—

1. 'अ' स्वर को छोड़कर सभी स्वरों के दो-दो रूप हैं— अक्षर रूप और मात्रा रूप। जब स्वर का प्रयोग किसी व्यंजन के ठीक बाद में हो तो उसका मात्रा रूप में प्रयोग होता है, अन्यथा अक्षर रूप में।
2. व्यंजन का मानक रूप 'अ' स्वर युक्त व्यंजन का है। शुद्ध व्यंजनों का लेखन करना हो तो मानक रूप के नीचे हलंत का चिह्न ( ् ) लगाना होगा। इस प्रकार अकेले व्यंजन को व्यक्त करने के लिए दो लिपि चिह्न हैं जबकि एक लिपि चिह्न व्यंजन तथा 'अ' स्वर, अर्थात् दो वर्णों के लिए, प्रयुक्त होता है।
3. शुद्ध व्यंजन के ठीक बाद 'अ' से भिन्न जो भी स्वर आता है वह व्यंजन के 'अ' युक्त मानक रूप में स्वर की मात्रा लगाकर व्यक्त किया जाता है।
4. अनुस्वार जिस स्वर के बाद आता है उसके ऊपर लिखा जाता है।
5. स्वरों की द्योतक मात्राएं अक्षर से पहले, पीछे, ऊपर और नीचे अर्थात् सभी ओर लगाई जाती हैं।
6. व्यंजन के पश्चात् व्यंजन आने पर संयुक्त व्यंजन माना जाता है। व्यंजन संयोजन की दो पद्धतियां हैं, एक पूर्व व्यंजन में हलंत चिह्न लगाने की और दूसरी उसके मानक रूप को खंडित कर देने की। कभी-कभी दोनों का संयुक्त रूप ऐसा आकार ग्रहण कर लेता है कि संयोजी व्यंजनों को पहचानना कठिन हो जाता है।

देवनागरी लिपि के उपर्युक्त विशिष्ट लक्षण ही वे तत्व हैं जो उसके यंत्रोपयोगी बनने में बाधक हैं। इन्हीं के कारण हिंदी के कोशों आदि का वर्णक्रम प्राय: कठिन प्रतीत होता है। इन्हीं के कारण रोमन के माध्यम से पढ़े हुए लोगों को देवनागरी सीखने में काफी कष्ट होता है। इन्हें चाहे दोष मानें चाहे गुण—पर ये देवनागरी के विशिष्ट लक्षण हैं और केवल देवनागरी ही नहीं ब्राह्मी कुल की सभी लिपियों के विशिष्ट लक्षण हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इन लक्षणों से कोई छेड़छाड़ करने का यत्न नहीं किया।

अस्तु यहां देवनागरी लिपि के गुण-दोषों पर विचार न करके उन संशोधनों पर विचार किया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सुझाए थे और जिन्हें सरकार से स्वीकृति मिली।

**संशोधन**

सुझाए गए संशोधन मुख्य रूप से अक्षरों के उपलब्ध दो-दो रूपों में से एक-एक रूप को ही स्वीकार करने के

विषय में हैं चाहे वह द्विरूपता एकल अक्षर के दो रूप प्रचलित होने के कारण रही हो चाहे व्यंजन-संयोजन की दो रीतियाँ होने के कारण। संशोधन इस प्रकार हैं :—

(1) देवनागरी लिपि में कुछ अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते थे, जैसे अ, अ, ऋ, ऋ, ज्ञ ज्ञ, ण ण, ल ल, श श। इनके विषय में यह निर्णय किया गया कि निम्नलिखित रूप ही स्वीकृत होंगे:—
1 अ, 2 ऋ, 3 ज्ञ, 4 ण, 5 ल, 6 श।

(2) जिन अक्षरों में भ्रम की गुंजाइश है, यथा ख, घ, भ, उनके भ्रम का निवारण करने के लिए निर्णय किया गया कि इन अक्षरों के ये रूप स्वीकार किए जाएँ:—

ख, ध, और भ।

(3) संयुक्त व्यंजनों में क्ष और ज्ञ के भी दो-दो रूप चलते थे: क्ष क्ष और ज्ञ ज्ञ, जिनमें ये रूप स्वीकृत किए गए: क्ष, ज्ञ।

(4) परम्परागत देवनागरी लिपि में व्यंजन के संयोजन की दो पद्धतियाँ प्रचलित थीं:—(क) आगे-पीछे; और (ख) ऊपर-नीचे। आगे-पीछे संयोजन की पद्धति को ही चालू रखने और ऊपर-नीचे संयोजन की पद्धति को समाप्त करने का निर्णय किया गया।

(5) आगे-पीछे संयोजन की पद्धति के विषय में यह भी निर्णय किया गया कि जिन अक्षरों में खड़ी पाई (।) है उन्हें किसी व्यंजन से पूर्व मिलाते समय खड़ी पाई हटा दी जाए। सुविधा की दृष्टि से 'क' और 'फ' अक्षरों में बाद में आने वाले मोड़ को खड़ी पाई मान लिया जाये। यों खड़ी पाई हटाकर संयोजन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित होंगे—क्य, ख्य, ग्य, ज्य, व्य, फ्य, आदि।

6. जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं है उनको किसी व्यंजन से पूर्व मिलाने के लिये हलंत का चिह्न प्रयुक्त किया जाए। जैसे:—द्य, द्व, ड्ड, ड्ढ, आदि।

7. ऊपर के सभी निर्णयों में एक अपवाद माना गया है। वह है 'र' व्यंजन के विषय में। 'र' व्यंजन चार रूपों में मिलता है। एक 'अ' स्वर से युक्त रूप : 'र', एक व्यंजन से पहले आने वाले 'र' का रूप जो अक्षर के ऊपर प्रयुक्त होता है : ' ' और एक अक्षर के नीचे प्रयुक्त होने वाला रूप ' ' या जो पाई वाले अक्षरों में एक प्रकार से मिलता है प्र, भ्र, आदि और बिना पाई वालों में दूसरे प्रकार से ट्र, ड्र, आदि।

टिप्पणी : 'र' के सभी रूपों को स्वीकार करने के साथ-साथ समिति ने यह भी निर्णय किया कि तालव्य 'श्' के साथ 'र' का मेल होने पर 'श' का जो रूप (श्र) परम्परागत शैली में प्रचलित हैं वह उसी रूप में चलने दिया जाए। अर्थात् श्र, श्री, आदि जिस रूप में अब तक लिखे जाते रहे हैं उसी रूप में लिखे जाते रहें।

इस प्रकार देवनागरी लिपि के संशोधन से संबंधित समिति ने लिपि में न्यूनतम संशोधन सुझाये और यथा संभव उसके मूल स्वरूप में मौलिक परिवर्तन उचित नहीं होगा। हां, हिंदी की वर्णमाला में सामान्यतः न प्रयुक्त होने वाले वर्ण ळ का भी देवनागरी लिपि में समावेश कर दिया गया जो मराठी और संस्कृत में पहले ही प्रयुक्त होता था।

## परिवर्धन

संस्कृत की भी स्वीकृत लिपि होने के कारण देवनागरी लिपि अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त कर सकती है, ऐसा बहुत से विद्वानों का विश्वास रहा है और उनका यह सुझाव भी रहा है कि यदि सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में उपलब्ध हो जाए तो भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने की दिशा में बहुत सफलता मिल सकती हैं। प्रायः यह देखा गया है कि लिपियों का अन्तर परस्पर अवबोध में बाधक होता है। उदाहरणार्थ हिंदी और उर्दू में भेद का एक बहुत बड़ा आधार प्रायः लिपि ही है। अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य भी यदि देवनागरी लिपि में उपलब्ध हो तो इसमें सन्देह नहीं है कि देवनागरी लिपि से परिचित व्यक्ति को उसे समझने में कम परिश्रम करना पड़ेगा। स्पष्ट कारण यह है कि भारतीय भाषाओं में परस्पर समानता बहुत अधिक है और उनमें शब्दावली का साम्य भी अद्भुत है। विचारधारा का साम्य भी बहुत है। इसलिए लिपि के कारण जो दूरी उत्पन्न हो जाती है वह लिप्यन्तरण होते ही हट जाती है। इस दृष्टि से बहुत से विद्वानों का यह आग्रह रहा है कि देवनागरी लिपि में आवश्यक परिवर्धन करके उसे इस योग्य बना दिया जाए कि अन्य भारतीय भाषाओं से भी उसमें लिप्यन्तरण करने में कठिनाई न रहे। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए भी सन् 1962 में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के निर्णय यथा समय प्रकाशित कर दिए गये थे। उन पर पुनर्विचार करने के लिए सन् 1979 में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में पुनः एक समिति की नियुक्ति की गई और देवनागरी लिपि में जो मुख्य परिवर्धन किए गए हैं उनका परिचय संक्षेप में इस प्रकार है :—

(1) समिति का विचार था कि देवनागरी की वर्णमाला में मराठी में प्रचलित ळ का समावेश करने के बाद वह निम्नलिखित भाषाओं के लिए निर्बाध रूप से प्रयुक्त हो सकती है :—(1) असमिया, (2) उड़िया, (3) गुजराती, (4) पंजाबी, (5) बंगला, (6) मराठी, (7) संस्कृत, और (8) हिंदी। इन भाषाओं की सामग्री को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने के लिए केवल संबंधित भाषा की लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि के अक्षरों का प्रयोग करना होगा।

(2) द्रविड़ परिवार की मानी जाने वाली दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में ह्रस्व 'ए', 'ओ' भी मिलते हैं। तदनुसार देवनागरी लिपि में ह्रस्व 'ऐ', 'ओ' (मात्रा रूप, ॆ, ॊ) की व्यवस्था कर देने पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा एँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं।

(3) ह्रस्व 'ऐ', 'ओ' की उपर्युक्त व्यवस्था हो जाने पर तमिल और मलयालम के स्वरों की भी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है पर इन भाषाओं में कुछ व्यंजन भी हैं जिनके लिये अतिरिक्त लिपि चिह्न अवश्यक हैं। वे व्यंजन तथा उनके लिये सुझाये गए लिपि चिह्न ये हैं:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| तमिल ழ | मलयालम ഴ | के लिए | ऴ |
| तमिल ன | मलयालम ന | के लिए | ऩ |
| तमिल ற | और मलयालम റ | | ऱ |

इन परिवर्धनों के साथ देवनागरी लिपि उत्तर और दक्षिण की उन अधिकांश भाषाओं को लिखने के लिये उपयुक्त हो जाती है जिनकी लिपि मालायें देवनागरी से मेल खाती हैं। अब समस्या रह जाती है उन तीन भाषाओं की जो अब तक फारसी-अरबी लिपि के संशोधित रूप में लिखी जाती रही हैं। वे हैं– उर्दू, कश्मीरी और सिंधी।

(4) उर्दू की कुछ विशिष्ट ध्वनियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिये देवनागरी लिपि में देवनागरी वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की प्रथा प्रचलित रही है। समिति ने उस प्रथा को चालू रखना उचित माना है। ये वर्ण हैं:—

क़, ख़, ग़, ज़, झ़, फ़।

उर्दू के ऐन् के लिये 'अ़' रूप स्वीकार किया गया है।

(5) सिंधी में भी अरबी-फारसी मूल के ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग होता है। उन शब्दों के लिये वही पद्धति अपनाई जाए जो उर्दू के प्रसंग में सुझाई गई है।

पर सिंधी में कुछ विशिष्ट ध्वनियां हैं जो अन्य किसी भारतीय भाषा में नहीं है। वे हैं—अन्त:स्फुट व्यंजन—ग, ब, ज, और द। इनके अन्त:स्फुट रूप को व्यक्त करने के लिये बहि:स्फुट रूप के नीचे रेखा देने का सुझाव दिया गया है। यथा:—ग, ज, द, ब।

(6) कश्मीरी भाषा में उ, ऊ, के कुछ विशिष्ट उच्चारण भी हैं और उनको व्यक्त करने के लिये भी अधो रेखाँकित करने की पद्धति का निर्णय किया गया है :—उ, ऊ, ु, ू। इसी प्रकार कश्मीरी के दन्त्य चवर्ग के लिये भी व्यवस्था की गई है :—च़, छ़।

इन परिवर्धनों के पश्चात् देवनागरी लिपि इस योग्य हो जाती है कि उसके माध्यम से संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएं लिखी जा सकेंगी। इस दिशा में व्यावहारिक प्रयोग किया जा चुका है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की 'भाषा' पत्रिका विविध भारतीय भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करती रही है और उनमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है। साहित्य अकादमी ने भी कुछ हिंदीतर भाषाओं का साहित्य देवनागरी में प्रकाशित किया है इसलिए यह माना जा सकता है कि समिति द्वारा सुझाये गये निर्णय उपयुक्त हैं और भारत का संपूर्ण श्रेष्ठ वाङ्मय परिवर्धित देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध हो जाये तो वह भारतीय साहित्य की परस्पर दूरी को कम करेगा और भारतीय साहित्यकारों और साहित्य रसिकों को परस्पर निकट लाने का प्रयत्न कर सकेगा। □ □ □

# मुद्रण निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ मुद्रणालयों में राजभाषा संबंधी गतिविधियां

—शिवनाथ चक्रवर्ती

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक

निर्माण और आवास मंत्रालय भारत सरकार, से संबद्ध 'मुद्रण निदेशालय' एक लम्बी अवधि से भारत सरकार का प्रकाशन तथा मुद्रण का कार्य निष्पादित करता आ रहा है। सम्प्रति मुद्रण निदेशालय का कार्यालय बी विंग-निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इस निदेशालय के अंतर्गत इस समय 22 मुद्रणालय तथा शाखाएं अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं जिनके प्रधानों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
2. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली।
3. सहायक प्रबंधक (तकनीकी), भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद (हरियाणा)।
5. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी (हरियाणा)।
6. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
7. प्रबंधक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़।
8. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश)।
9. सहायक प्रबंधक (तक०), भारत सरकार मुद्रणालय, गंगतोक (सिक्किम)।
10. महा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, (पब्लिकेशन यूनिट), संतरागाछी (हावड़ा) पश्चिम बंगाल।
11. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, टेंपल स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।
12. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फार्म यूनिट संत्रागाछी (हावड़ा) पश्चिमी बंगाल।
13. प्रबंधक, भारत सरकार फार्म स्टोर, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल शाखा)।
14. सहायक निदेशक, मुद्रण (बाह्य मुद्रण शाखा), कलकत्ता-शाखा।
15. प्रबंधक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
16. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक (महाराष्ट्र)।
17. उप-प्रबंधक, भारत सरकार पेटेंट प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई।
18. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बत्तूर (तमिलनाडु)।
19. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी, त्रिचूर (केरल)।
20. प्रबंधक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, मैसूर (कर्नाटक)।
21. उप प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय वेलिंग्टन, तमिलनाडु।
22. प्रबंधक, भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)।

अभी तक नई दिल्ली (रिंग रोड एवं मिन्टो रोड़), फरीदाबाद, अलीगढ़, नीलोखेड़ी और नासिक के छह प्रेसों में हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष अधिकांश मुद्रणालयों में भी हिंदी अनुवादक के पदों का सृजन तथा उन्हें भरने की कार्यवाही की जा रही है। मुद्रण निदेशालय में भी हिंदी अनुभाग की स्थापना की गई है।

भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में जिससे मेरा संबंध है, जुलाई 1980 से है, राजभाषा संबंधी कार्यवाही अत्यंत संतोषजनक स्थिति में है। यहां पर पहले राजभाषा संबंधी कार्य मुद्रणालय के सहायक प्रबंधक (प्रशासन) श्री के० एल० खानझोडे देखते थे, परंतु जुलाई, 1979 से यहां पर श्री हरिदत्त, हिंदी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुद्रणालय में आते ही मुद्रणालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर राजभाषा के प्रति रुचि जगाने

के लिए उचित वातावरण तैयार किया और राजभाषा के कार्य को गति प्रदान की।

यहां समय-समय पर राजभाषा संबंधी कार्य का निरीक्षण गृह मंत्रालय तथा मुद्रण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है। जुलाई 1979 में मुद्रण निदेशालय से श्री म० मो० जोशी, उप-निदेशक, प्रशासन व संपर्क अधिकारी हिंदी एवं श्री घनश्याम, हिंदी अधिकारी ने इस प्रेस का निरीक्षण दौरा किया था। उन्होंने मुद्रणालय से सभी लिपिकीय अनुभागों में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यवाही तथा मुद्रणालय के कर्मचारियों की हिंदी शैक्षणिक योग्यता का सर्वेक्षण किया । उनके सर्वेक्षण के अनुसार यहां 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले पाए गए। इस स्थिति से वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए।

गत वर्ष मंत्रालय के राजभाषा विभाग से श्री राजमणि तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी एवं संपादक "राजभाषा भारती" तथा श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी उप-संपादक भी हमारे प्रेस में आए । उन्होंने भी यहां राजभाषा संबंधी कार्य की प्रगति को उत्साहवर्धक बताया । इसके पश्चात मुद्रण निदेशालय से संयुक्त निदेशक (प्र०) स्वर्गीय श्री प्रभाकर कुलकर्णी तथा श्री आर० डी० आनन्द उप-निदेशक (प्रशासन) राजभाषा संबंधी दौरे पर आए और राजभाषा के प्रति कर्मचारियों की रुचि से काफी प्रभावित हुए ।

गृह मंत्रालय के बंबई क्षेत्र से श्रीमती ना० ज० राव उप-निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) ने सितंबर, 1980 में हमारे प्रेस का दौरा किया। इस अवसर पर एक राजभाषा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में उन्होंने प्रेस में राजभाषा विषयक प्रशिक्षण के पूरा हो जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी कार्यवाही में प्रवृत्त करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने पर बल दिया।

इस मुद्रणालय के 90 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा हिंदी की अपेक्षित अर्हता रखने के कारण इस मुद्रणालय को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में अधिसूचित कर दिया गया है। इस मुद्रणालय के साथ-साथ भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला, फरीदाबाद, (मिन्टोरोड तथा रिंग रोड) नई दिल्ली, अलीगढ़ एवं भारत सरकार पेटेंट प्रिंटिंग प्रेस, बंबई, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़ आदि 9 प्रेसों को भी नियमानुसार राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

चूंकि हमारे मुद्रणालय औद्योगिक संस्थान घोषित किए गए हैं, अतः यहां पर गृह मंत्रालय की सेवाकालीन हिंदी शिक्षण योजना अनिवार्य रूप से लागू न करके ऐच्छिक रूप से लागू की गई है । ऐसी स्थिति में अन्य कार्यालयों में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी परीक्षाएं पास करने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन पुरस्कार भी यहां नहीं दिए जा सकते । यही कारण है कि यहां पर कर्मचारियों की हिंदी शिक्षण के प्रति रुचि घटती जा रही है । इतना होने पर भी भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की अपेक्षा हमारे मुद्रणालय में राजभाषा का कार्यान्वयन किसी मायने में पीछे नहीं है। अगर उक्त औद्योगिक संस्थान के नियम से मुद्रणालयों को मुक्त कर दिया जाए या इसमें कुछ ढील देकर उन्हें भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिलाए जाएं तो यहां के कर्मचारी भी रुचि लेकर आशातीत प्रगति करने लगेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे भी मुद्रणालयों का कार्य प्रकाशन संबंधी है। आजकल सभी सरकारी प्रकाशन राजभाषा में अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित होते हैं । अगर यहां पर कर्मचारियों के लिए उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए तो निःसंदेह भारत सरकार के सभी प्रकाशन न केवल उत्कृष्ट रूप में छपेंगे अपितु भाषागत दोष से भी सर्वथा मुक्त रहेंगे ।

हमारा मुद्रणालय "ख" क्षेत्र में स्थित होने तथा यहां के अधिकांश कर्मचारी मराठी भाषी होने पर भी राजभाषा में पर्याप्त रुचि लेते हैं। इस समय यहाँ के प्रशासनिक स्कंध में 22 लिपिकीय अनुभाग हैं जिनमें से 13 अनुभागों में 25 से 50 प्रतिशत तक कार्यवाही राजभाषा में होती है शेष अनुभाग भी 15 से 20 प्रतिशत कार्य हिंदी म करते हैं। यहां पर मुद्रणालय के सभी अधिकारियों को नियमित सदस्य के रूप में तथा लिपिकीय तथा औद्योगिक अनुभागों के पर्यवेक्षकों को आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित करके एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है । यह समिति पिछले 4-5 वर्षों से नियमित बैठकें आयोजित करती आ रही है। इन बैठकों में राजभाषा विभाग, निर्माण एवं आवास मंत्रालय तथा हमारे मुख्यालय से प्राप्त आदेशों/अनुदेशों के इस मुद्रणालय में कार्यान्वयन के विषय में चर्चा की जाती है। इसके साथ-साथ मुद्रणालय में राजभाषा के प्रसार तथा विकास के लिए कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा होती है । यहां पर उक्त बैठकों में अभी तक राजभाषा के प्रसार तथा विकास के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

1. सभी रुटीन ड्राफ्ट/मसौदे और पत्राचार संबंधी टिप्पणियां हिंदी में तैयार कर उन्हें साइक्लोस्टाइल अथवा छपवा कर उन पर हिंदी में ही कार्रवाई प्रारम्भ करना ।

2. प्रत्येक लिपिक द्वारा एक दो पत्र रोज हिंदी में लिखना प्रारंभ कर के हिंदी पत्राचार का अभ्यास करना ।

3. यहां से भेजी जाने वाली पावतियों अनुस्मारकों, रिटर्नों के अग्रेषण पत्र तथा हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में भेजना ।

4. यहां से मुख्यालय (मुद्रण निदेशालय) को सारा पत्राचार हिंदी में करना तथा "क एवं ख" क्षेत्र के कार्यालयों से 30 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करना ।

5. सभी मोहरें/फार्म/सामान्य आदेश/नामपट्ट/परिपत्र द्विभाषी करना। (यहाँ इन पर पूर्ण रूप कार्रवाई से हो रही है)

6. सभी लिपिक अपनी दैनिक डायरी हिंदी में भरें।

इस मुद्रणालय में अप्रैल, 1980 से एक हिंदी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिसमें पत्राचार द्वारा 16 लिपिकों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजभाषा संबंधी कार्य के समुचित प्रोत्साहन के लिए मुद्रणालय में प्रशिक्षण योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं के सहयोग से "राष्ट्रभाषा प्रोत्साहन पत्रिका" का प्रकाशन किया जा रहा है। फिलहाल गणतंत्र-दिवस तथा स्वतंत्रता-दिवस पर दो विशेषाँक प्रकाशित किए गए हैं। इस पत्रिका के अब तक नौ अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। 26 जनवरी, 1981 को प्रकशित होने वाले "राजभाषा" विशेषांक का संपादन कार्य प्रगति पर है। इस पत्रिका में राजभाषा के प्रसार तथा विकास के अलावा प्रेस कर्मचारियों की सामाजिक, साहित्यिक तथा साँस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री भी प्रस्तुत की जाती है। इस पत्रिका को प्रारम्भ करने तथा चलाने के लिए हमें मुद्रणालय के अनेक अधिकारियों तथा विविध समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनमें से प्रमुख हैं यहाँ पर कार्यरत वर्कर्स कमेटी; श्रमकल्याण निधि समिति; श्रमाधिकारी एवं समय-समय पर कार्यरत अधिकारी वर्ग; हिंदी शिक्षण योजनांतर्गत हिंदी प्राध्यापक श्री देवीलाल शर्मा तथा श्री सी०डी० सिंह, प्रबंधक वर्ग जैसे श्री नवनीत कृष्णन, अ०वा० बोडस, सुशील कुमार वर्मा तथा मुद्रण निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारीगण जैसे सर्वश्री एस० एम० जाम्बोलकर, राजेन्द्र कुमार आनन्द, शांत कुमार चौहान तथा एम० जे० सिंह, मुद्रण निदेशक, सु० सु० प्रकाशराव, संयुक्त निदेशक श्री लक्ष्मीपति, उप-निदेशक (मुद्रण) तथा मुद्रणालय के सभी संबंधित कर्मचारी यहाँ के सभी प्रशिक्षु भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि इस पत्रिका के माध्यम से वे अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं।

उक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अलावा यहां पर समय-समय पर राजभाषा संबंधी गोष्ठियां, निबंध प्रतियोगिताएं, तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती रही हैं। अभी तक यहां पर तीन कार्यशालाएँ 1978, 1979, 1980 में आयोजित की जा चुकी हैं। इनके माध्यम से भी कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें इस ओर क्रियाशीलोन्मुख किया जाता है। मुद्रणालय के रजतजयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 1981 में अनुभागीय स्तर पर कार्यशाला चलाने की योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से मुद्रणालय के सभी कर्मचारी राजभाषा कार्यक्रम से सुपरिचित होकर इसमें रुचि ले सकेंगे और हम भी उनकी कठिनाइयाँ जानकर उनका निवारण कर पाएँगे।

---

(पृष्ठ 29 का शेष)

**अखिल भारतीय शब्दावली की प्रकृति**

अखिल भारतीय शब्दावली को पुरस्सर करने का यह तात्पर्य कभी नहीं होगा कि किसी प्रदेश के साहित्य और संस्कृति द्वारा प्रदत्त शब्दावली का महत्व कम किया जाए। लोकप्रिय शैली के वैज्ञानिक साहित्य में उनका विशेष स्थान होता है किन्तु हमारा उद्देश्य तो विस्तृत क्षेत्र में कार्य और शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रादेशिक-सीमाओं को लाँघकर व्यवहारक्षम भाषिक उपादानों की खोज करना होना चाहिए और विस्तृत अंतर्प्रादेशिक या अखिल भारतीय प्रसंगों में उनके उपयोग की सभावनाएँ बढ़ाना होना चाहिए। कुछ समय पूर्व शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्वावधान में अर्थशास्त्र की शब्दावली में एकरूपता स्थापित करने के लिए एक प्रयोगात्मक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें सभी भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। परिणाम यह हुआ कि लगभग 80 प्रतिशत शब्दों के अखिल भारतीय रूप तय करना संभव हो सका। उदाहरणार्थ :—

| | | |
|---|---|---|
| Account | खाता, लेखा | |
| advalorem | मूल्यानुसार | |
| agrarianism | कृषिवाद | पंजाबी : किसानीबाद<br>तमिल-तेलगु : व्यवसायवाद |
| | तेजड़िया | |
| Cargo | जहाजीमाल | तेलुगु : सरुकु |
| Coin | सिक्का | ते० त० क० म०—नाणे (तमिल, तेलगु, कन्नड़ मलयालम) |
| Commodity | पण्य | |
| Devaluation | अवमूल्यन | |

जहाँ संस्कृत धातु या तना स्वीकार्य हो वहाँ तमिल, मराठी या कन्नड़ प्रत्यय लगाकर भी एकरूपता लाने का प्रयास किया जा सकता है।

भारत सरकार के अंतर्गत अब इस प्रकार का कार्य दूसरे सोपान के रूप में आरंभ हो रहा है। इसे व्यवस्था और शीघ्रता से आगे बढ़ाना आवश्यक होगा।

एक बात हमें और याद रखनी होगी। जब तक विज्ञान और टेकनोलाजी के क्षेत्र में तथा शिक्षा के माध्यम रूप में भारतीय भाषाओं का विस्तृत व्यवहार नहीं होता तब तक केवल शब्दावली और कोष तैयार करने से कुछ न होगा। शिक्षा के माध्यम परिवर्तन के लिए जो प्रयत्न हुए हैं वे एक सीमा तक जाकर अटक जाते हैं। अर्थात्, आज कुछ ही विश्वविद्यालयों में और कुछ ही स्तरों तक शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं के जरिए दी जा रही है। यदि थोड़ी भी उपेक्षा की गई तो हमारा भाषा संबंधी अनुष्ठान विपरीत परिस्थितियों के दबाव में फँसकर क्षीण हो जाएगा। □ □ □

# हिंदी सलाहकार समितियों के कार्यवृत्त

## (क) बेंगलूर में हुई रेलवे हिंदी समिति की सोलहवीं बैठक—संक्षिप्त विवरण

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की सोलहवीं बैठक गत 25 अक्तूबर को "विधान सौध", बेंगलूर में तत्कालीन रेल मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई जिसमें लगभग सभी गैर-सरकारी सदस्य, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव तथा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव के अतिरिक्त अनेक विभागाध्यक्षों और रेल अधिकारियों ने भाग लिया ।

श्री त्रिपाठी ने अहिंदी भाषी क्षेत्र में बैठक के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार न केवल अहिंदी भाषी क्षेत्रों में होने वाले हिंदी के कार्य की जानकारी होती है, वरन् ऐसा वातावरण भी पैदा होता है जिसमें रेल कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय प्रशिक्षण, अनुवाद तथा कार्यान्वयन के त्रिसूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सतत् सचेष्ट है। उन्होंने हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों से हिंदी सीखने और उसी भाषा में काम करने का आग्रह किया । उन्होंने कहा कि जिसे जो हिंदी आती है, उसका प्रयोग करें। हिंदी शब्द ढूँढ़ने में कठिनाई हो तो अंग्रेजी शब्दों को यथावत् रख दिया जाए लेकिन हिंदी का प्रयोग ज़रूर किया जाए क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं होगा, झिझक दूर नहीं होगी और हिंदी के प्रति संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन नहीं हो सकेगा ।

**श्री त्रिपाठी ने कहा कि पत्रादि, आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएँ हिंदी में भी प्रसारित करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों की है और उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि द्विभाषी बाध्यताओं का उल्लंघन न हो।** इस उद्देश्य से उन्हें कार्यालयों का बराबर निरीक्षण करना चाहिए और हिंदी विषयक आदेशों के पालन में सतर्कता बरतनी चाहिए । विभिन्न तकनीकी विषयों में देवनागरी के प्रयोग में पिछड़े होने की ओर उन्होंने अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया ।

समिति के सदस्य-सचिव श्री शिवसागर मिश्र, निदेशक राजभाषा, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पश्चिम, उत्तर और मध्य रेलवे के अनेक हिंदी भाषी मण्डलों और पूर्वोत्तर रेलवे के प्रायः सभी मण्डलों में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिये जा रहे हैं और हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत भी 86 से 92 के बीच रहा । पश्चिम रेलवे के जयपुर और रतलाम मण्डल, में शत-प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में भेजे गए । वाराणसी मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे और रतलाम, कोटा, जयपुर मण्डल, पश्चिमी रेलवे में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत प्रलेखों को द्विभाषी रूप में जारी करने की अनिवार्यता का शत-प्रतिशत पालन किया गया ।

उन्होंने बताया कि बोर्ड के कार्यालय में हिंदी में मूल पत्र-व्यवहार का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के 66 प्रतिशत के मुकाबले अपेक्षाकृत कम रहा और यही स्थिति क्षेत्रीय रेलों पर भी रही । महाप्रबंधकों को निदेश दिए गए हैं कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समस्याओं पर विचार करने के लिए विभागाध्यक्षों के साथ हर महीने अलग से बैठक करें।

श्री मिश्र ने समिति को सूचित किया कि अभी तक रेलों के 246 कार्यालय राजभाषा नियम, 1976, के अधीन अधिसूचित किए जा चुके हैं और अब उन कार्यालयों में राजभाषा नियम की धारा 8(4) लागू करने के आदेश किए गए हैं । बोर्ड कार्यालय में कुल 468 अधिकारियों में से 103 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं, 265 को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है और 6 प्रतिशत प्रशिक्षण ले रहे हैं । अराजपत्रित कर्मचारियों में से केवल 425 का हिंदी प्रशिक्षण शेष है और इनमें से 40 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष अखिल रेल स्तर की निबंध एवं वाक् प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपये, 300 रुपये और 200 कर दी गई है। उसके अलावा चौथा, पाँचवाँ और छठा स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को भी पचास रुपये के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएँगे। रेलवे के तकनीकी विषयों पर मौलिक पुस्तकें लिखने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की भी एक योजना आरम्भ की गई है । इसके अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट लेखक को 5,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया जायगा । तीन-तीन हजार रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार, दो-दो हजार रुपये के दो तृतीय पुरस्कार और एक-एक हजार रुपये के दो सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे तथा प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली कृतियों की चार-चार सौ प्रतियां भी रेल मंत्रालय द्वारा खरीदी जाएँगी ।

सदस्य सचिव ने बताया कि रेलों पर अनूदित नियम पुस्तकों की संख्या 37 से बढ़कर 40 हो गई है जिनमें से 17 हिंदी अथवा द्विभाषी प्रकाशित की जा चुकी हैं। रेलों के दैनिक उपयोग में आने वाले 1456 फार्म भी द्विभाषी रूप में रेल प्रशासनों को भेजे जा चुके हैं और 223 सांविधिक फार्मों का प्रामाणिक अनुवाद भी रेल प्रशासनों को भेज दिया गया है।

श्री मिश्र ने बताया कि रेलों पर हिंदी सप्ताह आयोजन के लिए निर्धारित राशि दस हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गयी है। हिंदी पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद के वास्ते धनराशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। यह भी निश्चय किया गया है कि जिन रेल कार्यालयों में पांच हजार या इससे अधिक पुस्तकें हों उनमें पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष रखे जाएं और पुस्तकों की खरीद रेलों के प्रधान कार्यालय में केंद्रित की जाए। साथ ही ऐसे हर रेल कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय खोले जाएँ जहाँ कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक है और रेलकर्मी लेखकों की पुस्तकें यथासम्भव सभी पुस्तकालयों के लिए खरीदी जाएँ।

सदस्य सचिव की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए श्री कन्हैया लाल नन्दन ने कहा कि दक्षिण रेल कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण और उनके बच्चों के हिंदी शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि रेल कर्मचारियों की मौलिक पुस्तकों पर पुरस्कार की योजना के अन्तर्गत सांत्वना पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर पाँच कर दी जानी चाहिए।

श्री गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि रेल कमचारियों के हिंदी प्रशिक्षण के लिए गैर-सरकारी हिंदी संस्थानों की सहायता ली जा सकती है और उनके बच्चों के लिए गृह एवं शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से केंद्रीय स्कूलों का पाठ्यक्रम अपनाया जा सकता है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा के सचिव श्री राधाकृष्ण मूर्ति ने कहा कि वे हिंदी प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों की व्यवस्था कर सकते हैं।

डॉ० मलिक मोहम्मद ने कहा कि दक्षिण में जो रेल कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन्हें हिंदी में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने अर्जित ज्ञान को भूल न जाएँ।

श्री गिरधारी लाल चाण्डक ने कहा कि जोधपुर में शत-प्रतिशत काम हिंदी में हो रहा है लेकिन वहाँ अंग्रेजी के 18 आशुलिपिक हैं जबकि हिंदी के केवल दो या तीन हैं। अतः अधिक संख्या में हिंदी आशुलिपिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और खासकर उस दशा में जब रेल प्रशासनों को इसके लिए अधिकार प्राप्त हैं।

श्री जयवंशी झा ने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर रेलवे की भांति अन्य रेलों पर भी दिवंगत हिंदी सेवियों के धाम के निकटस्थ स्टेशनों पर उनके जीवन वृत्त से संबंधित पट्ट लगवाये जाने चाहिए जिससे आगंतुकों को उनके बारे में यथावश्यक जानकारी हो सके।

श्री हीरालाल चौबे ने कहा कि रेलवे की तकनीकी विषयों पर मौलिक हिंदी पुस्तकों की पुरस्कार योजना का समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिससे रेल कर्मचारी इसके बारे में अवगत हो सकें।

श्री एच० हनुमन्तैय्या ने आग्रह किया कि इस योजना के अन्तर्गत अहिंदी भाषी लेखकों के पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी जाए। विचार-विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि अहिंदी भाषियों के लिए इस प्रकार की एक अलग योजना पर विचार किया जाए।

श्री काशीनाथ उपाध्याय का यह आग्रह स्वीकार किया गया कि रेलों द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं की प्रतियाँ भी सदस्यों को मिलनी चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि जिस प्रकार दक्षिण भारत में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव के लिए उत्तर भारत के रेल कार्यालयों में भेजा जाता है, उसी प्रकार उत्तर भारत के रेल कर्मचारियों को दक्षिण में भेजने की योजना भी आरम्भ की जानी चाहिए।

सदस्यों को सूचित किया गया कि सभी रेलों द्वारा कुल मिलाकर 53 स्टेशनों पर 583 गाड़ियों के आरक्षण चार्ट हिंदी में बनाये जा रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के शेष संबंधित स्टेशनों पर इस कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और हिंदी टाइप मशीनों की माँग की गई है।

समिति को यह भी बताया गया कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो निर्धारित स्तर से अधिक ऊंचे स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं क्योंकि इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है जिसका लाभ प्रशासन को मिलता है। समिति को यह भी बताया गया कि रेलवे में नयी नियुक्तियों के लिए ली जाने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तें गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्धारित की जाती हैं लेकिन नियुक्त किए गए, जिन प्रोबेशनर अधिकारियों को निर्धारित स्तर का हिंदी ज्ञान नहीं होता, उन्हें ड्यूटी संभालने से पहले निर्धारित स्तर की हिंदी परीक्षा जैसे प्रवीण या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। □ □ □

## (ख) रक्षा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक--महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री शिवराज बी० पाटिल ने हिंदी सलाहकार समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और बैठक के विलम्ब से आयोजित किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए सदस्यों को आश्वासन दिया कि भविष्य में समिति की बैठक यथासंभव शीघ्र आयोजित किये जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इसके पश्चात् कार्य-सूची पर विषयवार चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार और उन पर लिये गये निर्णय संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

**रक्षा संगठन में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति और पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन**

रक्षा संगठन में हिंदी के प्रयोग के संबंध में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि रक्षा मंत्रालय अपने संपूर्ण रक्षा संगठन में शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में अन्य विभागों से आगे हैं। उन्होंने इस दिशा में निरन्तर प्रयास करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया और फिर निम्नलिखित मदों पर चर्चा हुई:—

**1–निमंत्रण-पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग**

संसद सदस्य श्री सुधाकर पांडेय ने यह सुझाव दिया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रक्षा स्थापनाओं द्वारा जारी किये जाने वाले निमंत्रण-पत्रों में यदि उस क्षेत्र की भाषा का भी प्रयोग किया जाए तो उपयुक्त होगा। इस पर मंत्रालय की ओर से यह कहा गया कि सभी निमंत्रण-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किये जाते हैं। तथापि सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में जहां कहीं आवश्यक होगा निमंत्रण-पत्रों में क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा।

**2—रोमन लिपि**

संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सदस्यों का यह आग्रह था कि थल सेना और वायु सेना की भांति नौसेना में भी रोमन लिपि में हिन्दी लिखना बन्द किया जाना चाहिए। नौ सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

**3—राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज में प्रवेश परीक्षा और शिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग**

मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की छूट दिये जाने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है और राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज की परीक्षा में अंग्रेजी के साथ हिन्दी का प्रश्न-पत्र रखने और गणित के प्रश्नपत्र का उत्तर हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में देने की छूट दिये जाने पर विचार हो रहा है। संसद सदस्य श्री सुधाकर पाण्डेय का विचार था कि जब संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रुप में स्वीकार कर चुका है तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम के संबंध में निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस पर श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने 1968 में संसद द्वारा पारित संकल्प के पैरा (4) का हवाला देते हुए कहा कि सैनिक अकादमियों की प्रवेश परीक्षाओं में भी हिन्दी को यथाशीघ्र वैकल्पिक माध्यम बनाया जाए, ताकि अंग्रेजी में प्रवीणता न रखने पर भी हिन्दी और अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त योग्य युवकों को रक्षा अकादमियों में प्रवेश प्राप्त हो सके। हिन्दी को प्रशिक्षण का माध्यम बनाए जाने के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तमिलनाडु और बंगाल में शिक्षा का माध्यम क्रमश: तमिल और बंगला है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी बनाने से इन राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को काफी कठिनाई होगी। श्री रघुबीर सिंह शास्त्री ने रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षण के माध्यम की समस्या हल करने के लिये यह सुझाव दिया कि कैडेटों के 2 सेक्शन बनाये जायें—एक में अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए और दूसरे में हिन्दी माध्यम से। इस पर काफी चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि समिति के विचार संघ लोक सेवा आयोग तथा रक्षा संगठन के संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं ताकि इस विषय पर सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सके।

**4–रक्षा सेनाओं के प्रयोग में आने वाले प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद**

सदस्यों की आम राय थी कि तीनों सेनाओं में प्रयोग होने वाले प्रशिक्षण एवं तकनीकी मैनुअलों का अनुवाद कार्य केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को न सौंप कर संबंधित सेना मुख्यालयों को दिया जाए ताकि अनुवाद की भाषा और शैली उपयोगकर्ताओं की जरूरत के मुताबिक हो सके। मानदेय के आधार पर अनुवाद की व्यवस्था के बारे में डा० जायसवाल का कहना था कि अनुवाद के लिये मौजूदा मानदेय की दर बहुत कम है और यह भी एक कारण हो सकता है कि योग्य व्यक्ति इन मैनुअलों के अनुवाद के लिये आगे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाहर इस प्रकार के प्रकाशनों के

अनुवाद के लिये मानदेय की दर काफी अच्छी है। उन्होंने आग्रह किया कि मानदेय की दर बढ़ाने पर विचार किया जाए। अनुवाद व्यवस्था के बारे में काफी चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि प्रशिक्षण और तकनीकी मैनुअलों के अनुवाद की व्यवस्था तीनों सेना मुख्यालय अपने-अपने यहां करें और अगर संभव हो तो योग्य सेवा-निवृत्त सैनिक अधिकारियों और कार्मिकों को भी इस काम पर लगाये जाने पर विचार करें।

**5–रक्षा संगठन में नियुक्तियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाना**

मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिये जहां कहीं भी विभागीय परीक्षाएं ली जाती हैं उनका माध्यम अंग्रेजी के अलावा हिन्दी भी होता है। आर्डनेन्स फैक्टरियों के महानिदेशालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां अप्रेंटिस-शिप ट्रेनिंग के लिये जो भरती परीक्षा ली जाती है उसका माध्यम अब हिन्दी भी कर दिया गया है और पिछली बार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इस परीक्षा में काफी उम्मीद-वार ऐसे थे जिन्होंने हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी थी। श्री रघुबीर सिंह शास्त्री ने यह जानना चाहा कि रक्षा संगठन में नियुक्तियों के लिये इसी प्रकार ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प कहां तक दिया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से इस बारे में विस्तृत जानकारी अगली बैठक में किये जाने का आश्वासन दिया गया।

**6–रक्षा संगठन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम का प्रयोग**

मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि लगभग सभी गैर-तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है किन्तु तकनीकी पाठ्यक्रमों में अभी ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रशिक्षण सामग्री अभी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। उसे हिन्दी में तैयार करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस पर श्री रघुबीर सिंह शास्त्री ने कहा कि तकनीकी पाठ्यक्रमों में तो हिन्दी का प्रयोग और भी सरलता से हो सकता है क्योंकि सरकारी नीति के अनुसार तकनीकी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण करके लिखा जा सकता है। कुछ सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि मात्र तकनीकी शब्दों का लिप्यन्तरण करने से समस्या हल नहीं हो सकती है।

**7–कार्यसूची में सम्मिलित विषयों के अलावा कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा हुई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए**

(क) सर्वश्री सुधाकर पाण्डेय और रघुबीर सिंह शास्त्री ने सेना दिवस और वायु सेना दिवस के अवसर पर आकर्षक सचित्र प्रकाशन निकालने के लिये थल सेना मुख्यालय और वायु सेना मुख्यालय की सराहना की। उनका कहना था कि नौसेना दिवस के अवसर पर भी इसी प्रकार का प्रकाशन निकाला जाना चाहिए। नौ सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने इस सुझाव को नोट किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में वे भी नौ सेना दिवस के अवसर पर द्विभाषी रूप में इसी प्रकार का प्रकाशन निकालेंगे। सदस्यों के अनुरोध पर मंत्री जी ने यह आदेश दिया कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इस प्रकार की जो भी सामग्री प्रकाशित हो, उसकी एक प्रति हिन्दी सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराई जाए।

**हिंदी के बढ़ते चरण**

(ख) हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक ऐसे स्थान पर रखी जाए जहां कुछ आर्डनेन्स फैक्टरियां आदि हों, ताकि समिति उन फैक्टरियों आदि में जाकर यह देख सके कि हिन्दी का प्रयोग कहां तक किया जा रहा है और इसे कहां तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) संसद सदस्य श्री सुधाकर पांडेय ने अनुरोध किया कि यदि मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारी फाइलों पर थोड़ा बहुत हिन्दी में लिखना शुरू करें तो उससे अन्य कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

उनका यह भी सुझाव था कि रक्षा मंत्रालय में हिन्दी का काम देखने वाले अधिकारी का पद ऊंचा होना चाहिए ताकि वह अपने दायित्व का निर्वाह अधिक प्रभावी ढंग से कर सके।

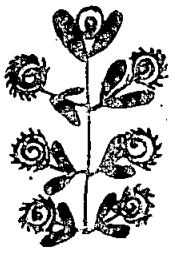

# विविधा

## आंध्र विश्वविद्यालय में अनुवाद प्रशिक्षण

सरकार की राजभाषा नीति के आधार पर देश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों और सरकारी उपक्रमों, कंपनियों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। यदि हम सच्चे दिल से सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग देखना चाहते हैं तो देश के विभिन्न प्रांतों में, इन दिशाओं में उपयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन आवश्यक है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में हिंदी अनुवादकों/अधिकारियों के पदों की माँग को प्रशिक्षित कर्मचारियों से पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विशेषरूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता ज्यादा है क्योंकि यह क्षेत्र हिंदी के वातावरण से बहुत दूर है। इस दृष्टि से आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के तत्वावधान में एक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

21 जुलाई, 1980 को इस पाठ्यक्रम के पहले सत्र का प्रारंभ समारोह संपन्न हुआ जिसमें हिंदी विभाग के अध्यक्ष-एवं प्रोफेसर डा० कर्ण राजशेषगिरिराव ने वर्तमान स्थिति में अनुवाद की आवश्यकता तथा भारत में अनुवाद की परंपरा के ऊपर एक प्रभावशाली भाषण दिया। पाठ्यक्रम के निदेशक डा० एल० कृष्णबाबू ने अपने भाषण में पाठ्यक्रम की रूपरेखा का परिचय देते हुए इसके प्रेरणादाता डा० एस० वी० माधवराव (रीडर, हिंदी विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय) को अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदान की। उसके पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ० सुब्बाराव ने अपने विभाग द्वारा दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करते हुए उनमें इस अनुवाद प्रशिक्षण की महत्ता का उल्लेख किया।

उस दिन से तीन महीने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में तीस विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह एवं रुचि के साथ भाग लिया। इसमें अनुवाद की परिभाषा एवं सिद्धान्त, अनुवाद की परंपरा, अनुवाद की प्रक्रिया, वर्तमान द्विभाषिक स्थिति में अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद का भाषा वैज्ञानिक विवेचन, अनुवाद के प्रकार आदि विषयों का प्रशिक्षणार्थियों को विस्तृत रूप से परिचय दिया गया। साथ ही सरकारी नियम, फार्म, रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न जैसी प्रशासन संबंधी सरकारी सामग्री के स्वरूप का परिचय देते हुए उनके अनुवाद की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया। मूलतः कार्यालयों में हिंदी के पदनाम, विभिन्न शाखाओं से संबंधित तकनीकी शब्दावली, कोशविज्ञान, नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ, सार अनुवाद आदि में प्रशिक्षण दिया गया।

सरकारी कामकाज में किसी प्रकार का अनुभव न रखने वाले हिंदी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के उपयोग के लिए टिप्पण तथा प्रारूप लेखन को भी इस प्रशिक्षण में स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, प्रेस नोट आदि के प्रारूप स्पष्ट करते हुए उन्हें मूल रूप से हिंदी में तैयार करने का प्रशिक्षण भी इसमें दिया गया। राजभाषा संबंधी इन मुख्य विषयों के अलावा प्रशिक्षणार्थियों को पत्रकारिता तथा प्रूफ संशोधन का भी परिचय दिया गया। इसके अलावा लेखा, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरी, विधि आदि विषयों से संबंधित सामग्री का व्यावहारिक रूप से अनुवाद कराया गया।

तीन महीने के इस प्रशिक्षण में विशाखापट्टनम में काम करने वाले अन्य विशेषज्ञों को संबद्ध विषयों पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले-पहले डा० कर्ण राजशेषगिरीराव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर ने अनुवाद की आवश्यकता तथा अनुवाद की प्रक्रिया के ऊपर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। श्री पी० एस० राठोर, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखापट्टनम ने हिंदी और अंग्रेजी के भाषा वैज्ञानिक तत्वों तथा वाक्य निर्माण में विभिन्न तथ्यों के ऊपर एक प्रभावशाली भाषण दिया। श्री वी० शेषगिरिराव, कार्यालय, प्रबंधक (हिंदी), भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम ने प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के महत्वपूर्ण अंशों का विस्तृत परिचय दिया। श्री वाकटि पांडुरंगाराव, सूचना अधिकारी, विशाखापट्टनम, पोर्ट ट्रस्ट ने पत्रकारिता तथा संपादन के विविध अंशों पर प्रकाश डाला।

दिनांक 20-10-80 को इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का समारोह संपन्न हुआ है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड,

विशाखापट्टनम के उपमहाप्रबंधक श्री सी० आर० श्रीनिवासन ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

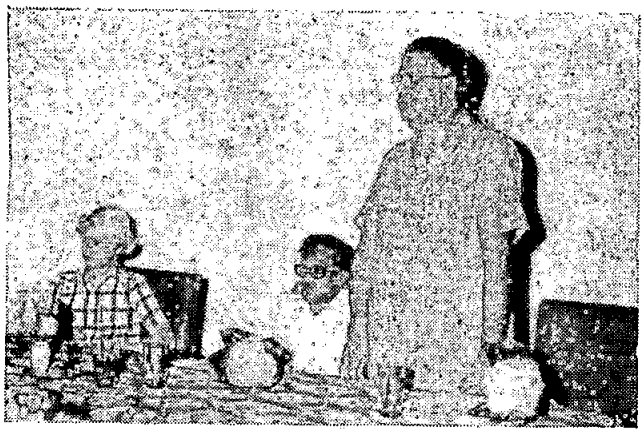

समापन भाषण देते हुए विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र के उपमहाप्रबंधक श्री सी० आर० श्रीनिवासन

अपने भाषण में इस अनुवाद प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं की श्रेष्ठ सामग्री को हिंदी में लाने के लिए यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी है ताकि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का परिचय हिंदी के माध्यम द्वारा एक दूसरे प्राप्त कर सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने का कदापि यह उद्देश्य नहीं कि अन्य भाषाएं सीखने के प्रति उदासीन रहें। वास्तव में जिन विषयों द्वारा समाज में चेतना जागृत होने की संभावना है, उन सभी विषयों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रुपांतरित करना आज अत्यंत आवश्यक है।

# पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक :

पटना स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं विभिन्न कार्यालयों की राजभाषा संबंधी गतिविधियों के समन्वय के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना की गई और उसकी पहली बैठक दिनांक 21-8-80 को भारत सरकार के राजभाषा सचिव, श्री जय नारायण तिवारी की अध्यक्षता में साहू जैन हाल में सम्पन्न हुई। इस समिति का संयोजन आयकर आयुक्त, श्री सुधाकर द्विवेदी ने किया।

**उपस्थिति :**

विभिन्न कार्यालयों के विभागाध्यक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। संयोजक ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए समिति के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं आगत सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

**राजभाषा नीति पर उप सचिव द्वारा प्रकाश :**

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के उप-सचिव श्री विजय बहादुर सिनहा ने भारत सरकार की राज भाषा नीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और उसकी सांविधिक अपेक्षाओं को विभिन्न कार्यालयों में कार्यान्वित करने के लिए उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया। उन्होंने कार्यान्वयन के व्यावहारिक पक्ष पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए और विभागाध्यक्षों के उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे निवेदन किया कि निम्नलिखित मुद्दों पर वे व्यक्तिगत रूचि लेकर सरकार की नीति को सफल बनाएँ।

(क) 1980-81 के अंत तक उनके कार्यालयों के कम से कम दो तिहाई कार्य हिन्दी में हों।

(ख) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाए।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज अर्थात् संकल्प, सामान्य आदेश, करार, निविदा इत्यादि द्विभाषी रूप में जारी किए जाएँ।

(घ) नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष एवं लिफाफों पर छपे पते इत्यादि द्विभाषी हों।

(ङ) हिंदी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के पते केवल हिंदी में हों। उप-सचिव ने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वे हिंदी के प्रयोग के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को उत्साहित करें।

**पटना स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का संयोजक द्वारा विश्लेषण**

श्री सुधाकर द्विवेदी, आयकर आयुक्त ने पटना स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए खेद प्रकट किया कि स्थानीय 82 कार्यालयों में से मात्र 18 कार्यालयों से ही अपेक्षित सूचना प्राप्त हो पाई है। यद्यपि वांछित सूचना भेजने वाले कार्यालयों की संख्या बहुत कम है फिर भी, उनसे स्थानीय कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की एक झलक तो मिल ही जाती है। श्री द्विवेदी ने समिति को सूचित किया कि :—

(1) सभी 18 कार्यालय अधिसूचित किए जा चुके हैं,

(2) अधिसूचित कार्यालयों के दक्ष कर्मचारी हिंदी में टिप्पण लिखना प्रारंभ कर चुके हैं,

(3) हिंदी में किए जाने वाले पत्राचार की प्रतिशतता संतोषजनक नहीं है, सीमा शुल्क कार्यालय में अपेक्षाकृत पत्राचार हिंदी में अधिक हो रहा है,

(4) श्रेणी 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ पत्राचार हिंदी में भी हो रहा है,

(5) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अधिकांशत: हिंदी में दिए जाते हैं। कहीं-कहीं इसका अपवाद भी है,

(6) कार्यालय आदेश, परिपत्र, लाइसेंस आदि को द्विभाषिक रूप में जारी करने की दिशा में प्रगति हो रही है,

(7) विज्ञापन द्विभाषिक प्रकाशित हो रहे हैं,

(8) प्राय: सभी नामपट्ट इत्यादि द्विभाषिक किए गए हैं।

संयोजक ने आशा व्यक्त की कि गृह मंत्रालय के राजभाषा सचिव के मार्गदर्शन एवं सभी विभागाध्यक्षों के सहयोग से समिति के गठन का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा होगा।

**राजभाषा सचिव द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश :**

अध्यक्ष पद से संबोधित करते हुए सचिव महोदय ने भारत सरकार की वर्तमान राजभाषा नीति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। श्री तिवारी ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया एवं उनसे आग्रह किया कि सरकार की नीति है कि अभी तक हिंदी को सबसे पहले हिंदी भाषी क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को तेजी से बढ़ाना उचित नहीं। चूँकि यहाँ के लोगों की मातृभाषा हिंदी है इसलिए वे बिना झिझक हिंदी में कार्य करना प्रारंभ कर दें। यदि यहाँ शत प्रतिशत काम हिंदी में होगा तो अहिंदी भाषी भी हिंदी अवश्य सीखेंगे। हम लोग हिंदी को बढ़ावा इसलिए नहीं देते कि वह हमारी भाषा है और अंग्रेजी विदेशी। हमारी सरकार में जनता के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं और हिंदी के माध्यम से ही सरकार की बात अधिकांश जनता तक पहुँचाई जा सकती है ताकि जनता भी शासन की गतिविधि को समझ सके और दिन-प्रतिदिन के शासन में हिस्सा ले सके। लोकतंत्र प्रणाली में जहाँ कि 95 प्रतिशत जनता हिंदी जानती है और मात्र 5 प्रतिशत अंग्रेजी, वहाँ अंग्रेजी का प्रयोग नहीं चल सकेगा क्योंकि इससे लोकतंत्र कदापि सुदृढ़ नहीं हो सकता। लोकतंत्र वहाँ सफल होगा जहाँ जनता की भाषा ही शासन की भाषा हो।

हम किसी पर हिंदी थोपना नहीं चाहते, सभी लोग इसे उत्साह के साथ अपनाएं। जो कर्मचारी हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं वे जनता से दूर होते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अभी भी सम्पर्क भाषा का काम कर रही है। पहले इसे 15 वर्षों में ही दूर करने का वादा किया गया था मगर वैसा नहीं हुआ। जब तक अहिंदीभाषी लोग स्वेच्छा से अंग्रेजी हटाने की मांग नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। उन्होंने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया एवं उनसे आग्रह किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में इन पर समुचित कार्रवाई करें।

(1) "क" क्षेत्र में यदि कार्यालय आदेश या परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी करना संभव हो तो केवल हिंदी में जारी किए जाएँ।

(2) "क" क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्रों पर पते हिंदी में होने चाहिएं। यदि चेक प्वाइंट में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो विभागाध्यक्ष आदेश देकर उसे आसानी से दूर करा सकते हैं।

(3) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) हिंदी में लिखी जानी चाहिए।

(4) प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक-एक टाइप राइटर रहना आवश्यक है। बड़े कार्यालयों में प्रत्येक 50 कर्मचारियों की संख्या पर एक-एक हिंदी टाइप-मशीन होनी चाहिए। यदि हिंदी टंककों की नियुक्ति में विलम्ब हो तो अंग्रेजी टंककों को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइप का प्रशिक्षण दिलवाया जाए और प्रशिक्षित हो जाने पर उनकी सेवा से लाभ उठाया जाए।

(5) तिमाही प्रगति रिपोर्ट केवल उच्च स्तर पर भेज देना ही काफी नहीं है बल्कि उसमें पाई गई कमियों को दूर करने की चेष्टा भी की जानी चाहिए।

(6) फार्मों को द्विभाषिक रूप में तैयार करा लेना चाहिए।

(7) विभागाध्यक्ष आदेश दें कि निरीक्षण करने वाले कर्मचारी या अधिकारी अपना निरीक्षण प्रतिवेदन हिंदी में तैयार करें तथा हिंदी संबंधी कार्यों का भी निरीक्षण करें।

(8) कार्यशालाओं के गठन को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए ताकि हिंदी जानने वालों की हिंदी में काम करने की झिझक दूर की जा सके।

(9) सभी टंककों और आशुलिपिकों को हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया जाए। अभी इसमें गति नहीं आ पाई है। प्रशिक्षितों को ऐसी जगह तैनात करना चाहिए कि उनका प्रशिक्षण सरकार के लिए उपयोगी हो सके। सभी कार्यालयों में हिंदी टंकक और हिंदी आशुलिपिक अवश्य होने चाहिएं। इस विषय को विभागाध्यक्षों द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए।

(10) योजना का समुचित प्रचार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें शरीक हों सकें।

श्री तिवारी ने हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कुछ चेक प्वाइंटों की भी चर्चा की। वे इस प्रकार हैं:—

(1) जो अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं वे देखें कि हिंदी में पत्राचार हो रहा है या नहीं।

(2) जिस विभाग से आदेश या परिपत्र जारी किए जा रहे हों वहां के अधिकारी देख लें कि वे द्विभाषिक हैं या नहीं।

(3) जहां पत्र, परिपत्र आदि साइक्लोस्टाइल होते हैं वहां के अधिकारी किसी कार्य को केवल अंग्रेजी में स्वीकार न करें।

(4) प्रेषण अनुभाग भी देखें कि पत्रादि द्विभाषिक रूप में भेजे जा रहे हैं या नहीं। यदि किसी कार्यालय से आदेश/परिपत्र केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हों तो उनके अंत में लिख दिया जाए कि "हिंदी प्रति भेज दी जाएगी" और यथाशीघ्र हिंदी रूपांतर भी जारी कर दिया जाए और उसके अंत में लिख दिया जाए कि "अंग्रेजी की प्रति भेजी जा चुकी है।"

हिंदी में मुहरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मुहरें द्विभाषिक हो जानी चाहिए। कहीं-कहीं पाया गया कि ऊपर अंग्रेजी और नीचे हिंदी में मुहरें बनाई गई हैं जो गलत हैं, हिंदी ऊपर और अंग्रेजी नीचे होनी चाहिए। या बाएं हिंदी और दाहिने अंग्रेजी होनी चाहिए। यदि मुहर बड़ी हो तो हिंदी और अंग्रेजी की अलग-अलग मुहर बना ली जाए।

हिंदी में पहले छोटी-छोटी टिप्पणी लिखकर अभ्यास किया जाए, बाद में बड़े-बड़े टिप्पण लिखे जाएं।

जिन कार्यालयों में अब तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं बन पाई है उन कार्यालयों के लिए अच्छा होगा कि एक-एक या दो अधिकारियों को हिंदी के कार्यों को देखने का भार सौंप दें और 2-3 महीने में वे अपनी रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को दें।

कर्नल शिवकुमार, डाक महाध्यक्ष एवं भारतीय स्टेट बैंक के श्री बी० डी० शर्मा ने भी अनेक व्यावहारिक एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिए। श्री प्रयाग नाथ चतुर्वेदी संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग ने प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नए रूप से तैयार हो रहे पाठ्यक्रमों की जानकारी दी तथा पटना में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया।

पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पद का भार रक्षालेखा नियंत्रक श्री हरि मेहता को सौंपा गया।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

## हिंदी दिवस समारोह

### (1) कलकत्ता

श्री आर० के० तिवारी, सहायक महाप्रबंधक (लेखा) तथा सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, प्रधान कार्यालय यूको बैंक, कलकत्ता ने हिंदी दिवस के आयोजन पर अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज हिंदी देश की सम्पर्क भाषा बन चुकी है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी भाषा के माध्यम से, खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जनता की बेहतर सेवा करने का व्रत लेना चाहिए। निज भाषा के बगैर एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हिंदी लिखने में हमें आमफहम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी-कभी ऐसी हिंदी लिखी जाती है जो अंग्रेजी टेक्स्ट न होने पर समझ में ही नहीं आती। हमें इस प्रवृत्ति का त्याग कर राजभाषा हिंदी के विकास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी दिवस के महत्व को अधिक से अधिक लोग समझें, इसका प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रारंभ में "हिंदी दिवस" की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालते हुए बैंक के प्रधान राजभाषा अधिकारी श्री सुभाषचंद्र पालीवाल ने कहा कि 14 सितम्बर, 1949 भारतीय इतिहास की एक गौरवपूर्ण तिथि है। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को "संघ" की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और इसके लिए देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई थी। प्रांतीय भाषाओं का विकास और राजभाषा हिंदी का विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। संविधान निर्माताओं का मत था कि प्रांतीय भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में विकसित हों और अन्तर्देशीय रक्षा तथा राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदी समूचे राष्ट्र और भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके।

उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय 14 सितम्बर, 1949 को हुआ और संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार किया गया। राजभाषा के विषय में उपबन्ध संविधान के भाग सत्रह में निहित अनुच्छेद 343 से 351 में हैं, जबकि यह उल्लेखनीय है कि संविधान के कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने की बात मुंशी-आयंगर सूत्र में निहित थी। 14 सितम्बर, 1949 को यह सूत्र तालियों की गड़गड़ाहट में पारित हुआ। उसी समय से प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह संकल्प दोहराया जाता है कि देश का राजकाज यथासंभव हिंदी में किया जाए। परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि हिंदी के प्रयोग से किसी को असुविधा न हो। सच तो यह है कि हिंदी दिवस भारतीय भाषा दिवस भी है क्योंकि भाग सत्रह में ही संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को भी राज्यों के शासकीय कार्यों हेतु स्वीकार किया गया है।

बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री जौन तालिबुद्दीन ने कहा कि जिस प्रकार घर-घर में बच्चों की वर्षगांठ मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार 14 सितम्बर को घर-घर में "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाना चाहिए। राजभाषा का प्रश्न किसी भी देश के लिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान से कम महत्वपूर्ण नहीं होता।

राजभाषा अधिकारी श्रीमती विमला चटर्जी ने इस अवसर पर सभी से यह संकल्प लेने का अनुरोध किया कि वे हिंदी का कार्य पूरी निष्ठा एवं समर्पण की भावना से करेंगे।

श्री एम० एल० शर्मा, मुख्य अधिकारी (परिसर-लेखा) ने इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि भाषा का प्रश्न सब का अपना होते हुए भी एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हिंदी संघ की राजभाषा है अतः हम सभी लोगों का कर्त्तव्य है कि हम इसके प्रचार-प्रसार में सहायक हों। उन्होंने हिंदी को सरल और सुबोध बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

## (2) हैदराबाद

महालेखाकार श्री श्री० सुन्दरराजन की अध्यक्षता में सोमवार, दिनांक 15-9-1980 को महालेखाकार प्रथम और द्वितीय के कार्यालयों द्वारा हिंदी दिवस समारोह "महाप्राण निराला" जी के "वीणा वादिनी वर दे" नामक गीत से आरंभ हुआ। प्रार्थना के बाद श्री रामराव, अनुभाग अधिकारी, हिंदी अनुभाग, ने मुख्य अतिथि डॉ० श्रीमती सुशीला व्यापारी का परिचय देते हुए कहा कि, "आप उस्मानिया विश्व-विद्यालय की छात्रा रही है। यहीं से आपने हिंदी में एम० ए० किया और बाद में "सूरदास और वामन पंडित" का तुलनात्मक अध्ययन कर डॉक्टरेट किया। आप यहां के हिंदी महाविद्यालय में, उसके आरंभ से ही अध्यापन-कार्य कर रही हैं"।

इसके बाद उत्साहपूर्ण वातावरण में कविता पाठ का कार्यक्रम हुआ जिसमें 1. श्री अवधनाथ राय, लेखा परीक्षक 2. श्री अर्जुन कुमार गीते, लेखापरीक्षक 3. श्री एम० एस० पद्मनाभन, लेखा अधिकारी 4. श्री गो० वि० बीड़कर, प्र० को० लेखा परीक्षक 5. श्री० सी० सुन्दरय्या, लेखा परीक्षक 6. श्री महमूद हामिद, लिपिक 7. श्री वेंकटेश पिंपले, लेखापरीक्षक 8. श्री आर० बी० चक्रवर्ती, अनुभाग अधिकारी 9. श्री नरहरदेव, लेखापरीक्षक, अनुवादक, 10. श्री लक्ष्मीनारायण, लेखा परीक्षक तथा 11. श्री राम प्रसाद सोनी, लेखा परीक्षक आदि कर्मचारियों ने कविताएँ सुनाईं।

कविता पाठ के बाद श्री के० एल० एन० रेड्डी, लेखा परीक्षक द्वारा तेलुगु के भक्त कवि पोतना और हिंदी के महाकवि सूरदास का तुलनात्मक परिचय दिया गया। श्री आ० सत्यवर्धन, आई० ए० ए० एस० सहायक महालेखाकार (प्रशासन) ने भक्तकवि पोतना के बारे में विशेष जानकारी देते हुए पोतना की रचनाओं का रसास्वादन कराया।

इसके बाद मुख्य अतिथि डॉ० श्रीमती सुशीला व्यापारी का भाषण हुआ। अपने भाषण के आरम्भ में उन्होंने अहिंदी भाषी राज्य में स्थित इस कार्यालय में किए जा रहे हिंदी कार्य की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी ही नहीं अपितु भारतवर्ष की लगभग सभी भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत है और हर भाषा को अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृत भाषा की गरिमा का आधार लेकर ही आगे चलना है।

आधुनिक काल के गद्य और पद्य के कई साहित्यकारों के संक्षिप्त परिचय के संदर्भ में डॉ० व्यापारी ने कहा कि साहित्य आधुनिक हो या प्राचीन हो, अनपढ़ संत का, हो या विद्वान का, भाषा का माधुर्य शैली पर ही निर्भर है।

भाषा की प्रगति उसके प्रयोग पर निर्भर है। भाषा का सरल होना या कठिन होना भी उसके जन-सामान्य में चलने पर या न चलने पर आधारित है। केवल सरकारी नियमों से या संविधान के उपबंधों से प्रगामी प्रयोग हासिल नहीं होता। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि हम अपनी भाषा की विशेषताओं को भूलकर अंग्रेजी भाषा के गुलाम बनते जा रहे हैं। हमें बच्चों को बहुभाषी बनाना चाहिए लेकिन पहले अपनी भाषा की बुनियाद जरूरी मानी जाए और हमारे बच्चों को कम से कम प्राथमिक-शिक्षा-स्तर पूरा होने तक मातृ-भाषा में पढ़ाया जाए। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे प्रयत्नों का फल हमें भले ही न मिले, अगली पीढ़ियां भाषा के मामले में आत्म-निर्भर होंगी।

अध्यक्षीय भाषण में श्री श्री० सुन्दरराजन, आई० ए० ए० एस०, महालेखाकार-II ने डॉ० श्रीमती व्यापारी जी के सुरुचिपूर्ण व्याख्यान के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके इस व्याख्यान से श्रोताओं की रुचि हिंदी के अभिजात साहित्य के प्रति बढ़ेगी। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि हमें अपने रोज़ के सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग उर्दू के मेल-मिलाप के साथ करना चाहिए। उन्होंने अच्छी लिखावट (हस्ताक्षर) पर भी ज़ोर दिया और उदाहरण के रूप में कहा कि बुरे हस्ताक्षर से जैसे "सेठजी अजमेर गए। बड़ी बही को ले आना" के बदले "सेठजी आज मर गए। बड़ी बहू को ले आना" जैसी भयानक गलतियों का डर रहता है। अध्यक्षीय भाषण के बाद श्री राजेश्वर प्रसाद, आई० ए० ए० एस० वरिष्ठ उप महालेखाकार (निरीक्षण वाणिज्यिक) ने मुख्य अतिथि तथा श्रोतागण को धन्यवाद देते हुए कहा कि हिंदी और तेलुगु का जो समन्वय यहां देखा गया वह अन्य भाषाओं के साथ भी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

## (3) नागपुर

नागपुर टेलीफोन जिले में हिंदी सप्ताह के दौरान इस वर्ष पहली बार "राजभाषा प्रदर्शनी" का आयोजन

सर्राफ़ चैंबर्स में स्थित जिला प्रबंधक टेलीफोन कार्यालय में किया गया इसका उद्घाटन जिला प्रबंधक टेलीफोन श्री मा० वि० भास्करराव ने किया।

इस प्रदर्शनी में सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार का साहित्य और सामग्री रखी गई। चूंकि प्रदर्शनी का मुख्य ध्येय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में हिंदी के प्रति सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाना और कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था, इसलिए फाइलों इत्यादि पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखी गई टिप्पणियाँ और पत्र आदि के प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया गया।

प्रदर्शनी की शुरुआत राजभाषा अधिनियम, तथा गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना और कार्यान्वयन संबंधी आदेश-पुस्तकों, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य जानकारी से की गई। वस्तुतः इस प्रदर्शनी में राजभाषा अधिनियम के बनने से लेकर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में उसके अब तक कार्यान्वयन की समग्र स्थिति विभिन्न चार्टों कार्टूनों/प्रश्नोत्तर फलकों इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित की गई। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रदर्शनी के लिए भेजी गई सामग्री अर्थात् "राजभाषा भारती" पत्रिका के अब तक के प्रकाशन तथा चार्ट इत्यादि के अलावा डाक-तार महानिदेशालय के हिंदी अनुभाग द्वारा भेजी गई हिंदी में उपलब्ध डाक-तार नियम पुस्तकों आदि को भी प्रदर्शित किया गया। कार्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा किए जा रहे हिंदी कार्य से संबंधित फाइलों/रजिस्टरों/वेतन बिलों/वेतन चिट्ठों/सेवा पंजियों/ द्विभाषी फार्मों/द्विभाषी रबर की मोहरों/द्विभाषी नाम-पट्टों/अनुभाग पटों/द्विभाषी निमंत्रण पत्रों/केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न शब्दावलियों/शब्दकोशों/विभिन्न टेलीफोन जिलों की हिंदी डायरेक्टरियों/केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के विविध प्रकाशनों के अलावा हिंदी से संबंधित अनेक पत्र-पत्रिकाओं को भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यालय के हिंदी पुस्तकालय और उसमें उपलब्ध विविध विषयों की पुस्तकों को पूर्ण जानकारी के साथ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया ताकि कर्मचारियों की रुचि हिंदी पुस्तकें पढ़ने में बढ़े और उनके हिंदी ज्ञान का विकास हो। इसी दृष्टि से हिंदी के करीब 35 साहित्यकारों के चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया।

इस राजभाषा प्रदर्शनी के आयोजन के प्रारम्भ से लेकर समापन तक अर्थात् ता० 15-9-80, 16-9-80 और 18-9-80 को दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) ने विविध समाचार तथा प्रदर्शनी के चित्रों को प्रकाशित किया। नागपुर के आकाशवाणी केन्द्र में दिनांक 16-9-80 तथा 17-9-80 को अपने प्रादेशिक समाचारों में (मराठी में) इसके बारे में समाचार दिए। यह प्रदर्शनी स्थानीय केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/बैंकों/प्रतिष्ठानों आदि के कर्मचारियों का आकर्षण केन्द्र बनी।

इस प्रदर्शनी के संयोजकों में नागपुर टेलीफोन जिले के राजभाषा अधिकारी एवं मंडल इंजीनियर, फोन (सतर्कता व प्रशासन) श्री के० मुरलीकृष्ण और हिंदी अधिकारी डॉ० क० मा० भाटी शामिल थे। इसके आयोजन में जिला प्रबंधक टेलीफोन कार्यालय के श्री अशोक गुप्ता, श्री परांजपे, श्री डराड़े, श्री शरद माहुरकर एवं श्रीमती मेधा भगाड़े का विशेष सहयोग रहा।

### (4) शिमला

शिमला स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों तथा निगमों आदि द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर बोलते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री अमीनुद्दीन खां ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी में हो रहे कार्य के लिए बधाई दी और यह प्रेरणा दी कि हिंदी भाषा की प्रगति के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत अधिकारी वर्ग से हो और सभी अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी रुचि दिखाएँ।

उत्सव को मनोरंजक बनाने में गीत एवं नाटक प्रभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शिमला का योगदान सराहनीय रहा। इस अवसर पर भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए तथा साथ ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र भी वितरित किए गए जिन्होंने हिंदी के प्रयोग को बढावा देने के लिए सराहनीय कार्य किया है।

### (5) बम्बई

अत्यन्त प्राचीन काल से महाराष्ट्र भारत की समन्वित संस्कृति का केन्द्र रहा है। पूरे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक,

**बम्बई नगर हिंदी सप्ताह समिति द्वारा नगर की सभी हिंदी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिंदी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए माननीय महापौर बाबूराव शेकटे।**

धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावनाएँ चारों ओर से यहाँ केन्द्रित होती रही हैं, और फिर यहाँ से चारों दिशाओं में जाती रही हैं। आज भी महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई को वही गौरव प्राप्त है। देश के कोने कोने के लोग अपनी परम्परागत संस्कृति लेकर यहाँ आते हैं और उन सबके मेल से एक "बम्बइया संस्कृति" का जन्म हो रहा है, जो पूरे देश को प्रभावित कर रही है।

आज जनमानस को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला सशक्त माध्यम "चलचित्र" है। बम्बई नगर आज चलचित्र निर्माण का मुख्य केन्द्र बन चुका है। इतना ही नहीं, "भारत-संघ राज्य" की भाषा हिंदी के चलचित्र निर्माण का तो एकमात्र केन्द्र बम्बई ही है और हिंदी चलचित्र के माध्यम से यह महानगर पूरे देश को अनेक प्रकार से प्रभावित कर रहा है।

ऐसी स्थिति में हिंदी सहित सभी देशी भाषाओं में यहां होने वाली गतिविधियों का प्रभाव भी निश्चित रूप से पूरे देश पर पड़ सकता है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से **"नगर हिंदी सप्ताह समिति"** की ओर से सभी संस्थाओं के सहयोग से नगर में "हिंदी सप्ताह" का आयोजन होता है और अलग-अलग स्थानों पर कई प्रकार की गोष्ठियाँ, परिचर्चाएं आदि आयोजित कर, लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि अपनी भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिभाओं का विकास अधिक हो सकता है और अपनी भाषाओं में मौलिक चिन्तन कर राष्ट्र थोड़े समय में अधिक बलवान हो सकता है। आज से पूरे तीन दशक पहले इसी दिन हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को "भारत--संघ" की "राज-भाषा" घोषित किया था और देश का पूरा का पूरा कार्य धीरे-धीरे हिंदी में होने लगा, इसके लिए पंद्रह वर्ष यानी सन् 1965 तक की अवधि रखी गई थी। परन्तु अनेक कारणों से देश इस तथ्य को सिद्ध न कर सका और स्थिति कुछ ऐसी बन गई है, कि इसमें कितना समय लगेगा, नहीं कहा जा सकता। इन तमाम स्थितियों के बीच एक स्थिति "मानसिकता" की भी है। वास्तविकता यह है कि हिंदी सहित सभी राष्ट्रीय भाषाओं के सक्षम होने पर भी, एक विशिष्ट वर्ग उनके प्रयोग के लिए मानसिक रूप से अपने को तैयार नहीं कर पा रहा है। "हिंदी-सप्ताह" जैसे आयोजनों द्वारा, हम लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

**(महाराष्ट्र के गवर्नर श्री सादिक अली प्रेमचंद शताब्दी समारोह के उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित "महाराष्ट्र मानस" के प्रेमचंद विशेषांक का उद्घाटन करते हुए)**

**(हिंदी कवि सम्मेलन में सीमा शुल्क समाहर्ता कवियित्री कु० किरण का स्वागत करते हुए।)**

### (6) उदयपुर

**हिंदी जन-जन की वाणी है:**

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के हिंदी कोष्ठ की ओर से हिंदी सप्ताह (14 सितम्बर से 20 सितम्बर) में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के निमित्त विभिन्न इकाइयों में हिंदी प्रतियोगिताएं, राजभाषा गोष्ठियाँ एवं कवि सम्मेलनों का भव्य आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय के आसपास स्थित कम्पनी की इकाइयों--राजपुरा दरीबा माइंस, मटूर माइंस, जावर माइंस और जिंक स्मेल्टर, देबारी में आयोजित गोष्ठियों में नागरी प्रचारिणी सभा, नई दिल्ली के संयोजक एवं हिंदी के विद्वान् डा० रत्नाकर पांडेय का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हिंदी के कई विद्वानों के प्रवचनों का भी लाभ उठाया गया।

**राजपुरा-दरीबा**

हिंदी दिवस के अवसर पर राजपुरा-दरीबा माइंस इकाई में आयोजित राजभाषा विचार-गोष्ठी में डा० पांडेय ने कहा कि "भाषा जोड़ने का काम करती है, बोल-चाल की व्यावहारिक भाषा से ही हिंदी को सर्वजनव्यापी बनाया जा सकता है।" इस अवसर पर उदयपुर विश्वविद्यालय के आचार्य डा० रामगोपाल शर्मा "दिनेश" ने कहा कि हिंदी जन-जन की

वाणी है। प्रशासन और जनता के बीच की दूरी हिंदी के माध्यम से ही कम हो सकती है। प्राध्यापक डा० प्रेमनारायण जोशी ने हिंदी के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को उजागर करते हुए इस बात पर बल दिया कि हिंदी प्रेमाग्रह से ही आगे बढ़ सकती है। हमें हिंदी के लिए आस्था और निष्ठा से कार्य करना होगा। उन्होंने खुशी प्रकट की कि कम्पनी में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रेरक कार्य किया जा रहा है।

**(राजपुरा-दरीबा इकाई के हिंदी समारोह में बोलते हुए डा० रत्नाकर पांडेय।)**

रात्रि में कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कविता-पाठ करने वाले कवि थे--सर्वश्री विश्वेश्वर शर्मा (बम्बई), अल्हड़ बीकानेरी (दिल्ली) प्रेम जी प्रेम (कोटा), भावसार बा (उज्जैन), सत्येन जोशी (जोधपुर), पुरुषोत्तम छंगाणी (हि० जि०), चन्द्रमोहन भटनागर "चंचल" (हि० जि०), इन्द्रदेव विद्यार्थी (रा० द० मा०), पी० के० राय (रा० द० मा०)।

इस अवसर पर राजभाषा से संबंधित पुस्तकों/शब्द कोशों/पारिभाषिक शब्दावलियों एवं संदर्भ ग्रंथों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें लगभग 200 पुस्तकें अवलोकनार्थ रखी गई थी।

हिंदी दिवस के सिलसिले में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरित कराए गए। 15 सितम्बर को कम्पनी की एक अन्य इकाई मटून माइंस में राजभाषा गोष्ठी एवं कवि-निशा का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में कार्यालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर बल दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डा० पांडेय ने सरल एव सुबोध हिंदी के प्रयोग का महत्व दर्शाते हुए अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को अपनाने को उचित बताया। रात्रि में देश के जाने-माने कवियों का सरस काव्य-पाठ हुआ।

**जावर माइंस**

16 सितम्बर को कम्पनी की खनन इकाई जावर माइंस में राजभाषा गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता इकाई के उप महाप्रबन्धक श्री डी० लाहिड़ी ने की। इस राजभाषा गोष्ठी में इकाई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। गोष्ठी को डा० पांडेय ने संबोधित किया। गोष्ठी के अन्य वक्ता थे : सर्वश्री डी० लाहिड़ी, पुरुषोत्तम छंगाणी, वी० सी० पुरी एवं श्री गोपाल पुरोहित।

**(7) विशाखापत्तनम**

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की विशाखापत्तनम इकाई में पहली बार दिनांक 14 सितम्बर, 1980 को "हिंदी दिवस" मनाया गया।

इस समारोह में प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी, भू० पू० अध्यक्ष एवं सेवामुक्त प्रोफेसर हिंदी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। आंध्र विश्वविद्यालय के ही प्रो० इकबाल, रीडर, हिंदी विभाग एवं पी० एम० ए० फारुख, प्रोफेसर, उर्दू विभाग, विशेष अतिथि के रूप में "हिंदी दिवस" समारोह में उपस्थित हुए थे। श्री जे० एन० पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया और हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की कड़ी बताया। प्रो० इकबाल एवं प्रो० फारुख ने भी "हिंदी दिवस" के अवसर पर हिंदी भाषा पर संक्षिप्त रूप में, लेकिन सारगर्भित विचार व्यक्त किए।

उसके पश्चात् काव्य-गोष्ठी प्रारंभ हुई जिसकी अध्यक्षता श्री जी० सुन्दर रेड्डी ने की और उसका संचालन बिक्री अधिकारी श्री हरकेश सिंह ने किया। कवि-गोष्ठी में जिन लोगों ने गीत-कविताएं सुनाईं उनके नाम हैं--प्रो० फारूक, श्री रामदत्त दधीच, श्री ओ० एस० दशोरा, श्री वी० अनंतराम और श्री हरमन चौहान।

इसके पश्चात् अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आरंभ हुई। जिसमें दो दल "अ" और "ब" में 13-13 व्यक्ति थे। अंताक्षरी के निर्णायकों में उप-कारखाना प्रबन्धक श्री रमेश चन्द्र और संयंत्र प्रबन्धक श्री जितेन्द्र सिंह थे। निर्णायकों ने ग्रुप "ब" को विजयी घोषित किया।

इस अवसर पर "निबन्ध प्रतियोगिता" भी आयोजित हुई जिसमें 9 हिंदी भाषी और 4 अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों ने भाग लिया।

(8) ग्वालियर

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महालेखाकार कार्यालय में 15 सितम्बर, 1980 से 20 सितम्बर, 1980 तक हिंदी सप्ताह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान जहां हिंदी सुन्दर लेखन, हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन, हिंदी निबंध लेखन एवं हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता तथा हिंदी प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु व्यावहारिक प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुईं, वहीं 19 सितम्बर को श्री एस० के० मुखर्जी, महालेखाकार प्रथम एवं श्री के० आर० रवीन्द्रनाथ, महालेखाकार द्वितीय की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसका संचालन श्री रमाशंकर प्रसाद, उप महालेखाकार द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। "देश की भावनात्मक एकता में हिंदी का योगदान" विषय का प्रवर्तन स्थानीय केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के मंत्री श्री मदन गोपाल शर्मा ने किया। इस विचार गोष्ठी में सर्वश्री आजाद रामपुरी, आर० पी० श्रीवास्तव, बद्री प्रसाद सोनिया, बलराम वर्मा, शेष नारायन त्रिवेदी, सजल, सतीश फटेरिया आदि वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। दूसरे दिन 20 सितम्बर को सांयकाल 4 बजे एक विराट कवि सम्मेलन प्रख्यात् साहित्यकार एवं समालोचक डा० विद्याराम मिश्र, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, कला स्नात्तकोतर महाविद्यालय, मुरार की अध्यक्षता में सोल्लास संपन्न हुआ। इस कवि सम्मेलन में सर्वश्री दामोदर शर्मा, मोहन अम्बर, जयंती अग्रवाल, साजन ग्वालियरी, शंकर दीक्षित, जहीर कुरेशी, ओम तिवारी, देवेन्द्र देव को सराहा गया, वहां हास्य व्यंग्य में प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री साजन ग्वालियरी ने गुदगुदाने वाली शिष्ट हास्य व्यंग्य रचनाओं से अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को महालेखाकार प्रथम के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

**हिंदी व्यवहार सप्ताह**

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें अनेकों कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

स्कूली बच्चों में प्रारंभ से ही हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से दिनांक 8-9-80 को अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया। केन्द्रीय विद्यालय इन्दौर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इन्हें "राजभाषा चल वैजयन्ती" प्रदत्त की गई।

"प्रौढ़ शिक्षा", "दहेज" और "सीमित परिवार" जैसे ज्वलंत विषयों पर हिंदी में निबंध लिखने के लिए काफी कर्मचारी आगे आए। इसमें प्रथम पुरस्कार "दहेज" (ले० अशोक जोशी) द्वितीय पुरस्कार "सीमित परिवार" (ले० छोगालाल परमार) को प्राप्त हुआ।

श्री विट्ठल भाई पटेल अंत्याक्षरी की "राजभाषा चल वैजयन्ती" प्रदान करते हुए

देवास नगर में मराठी एवं मालवी आदि भाषा एवं बोलियों का प्रभाव होने के कारण अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में वर्तनी त्रुटि की अधिकता को दूर करने के लिए "शुद्ध लेख" जैसी अभिनव एवं व्यावहारिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसकी यह विशेषता थी कि इसमें मुद्रणालय के अनेकों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। श्री फूल चंद भाटिया, इसमें प्रथम रहे।

शुद्ध और अच्छी हिंदी बोलने तथा अहिंदी भाषियों की बोलचाल की झिझक मिटाने के लिए "वाद-विवाद" प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें मराठी भाषी श्री श्याम पाटिल प्रथम तथा बंगला भाषी श्री समरेन्द्र दास और श्री लक्ष्मण शर्मा (संयुक्त विजेता) द्वितीय रहे।

इसके बाद दिनांक 12 एवं 13 नवम्बर को नगर के औद्योगिक क्षेत्र में जनसंपर्क कर हिंदी अपनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए दिनांक 14-9-80 को मध्यप्रदेश के लोक प्रिय गीतकार, विधायक श्री विट्ठलभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में हिंदी दिवस और सप्ताह का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। साहित्य मासिक पत्रिका "सूखनी" के सम्पादक श्री विश्वंभर बुधौलिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री पटेल ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और अपने उद्बोधन में सरल हिंदी अपनाने का आग्रह किया। इसके बाद सरस काव्य गोष्ठी हुई जिसमें श्री पटेल के अतिरिक्त श्री गोविंद स्थापक, पंवार राजस्थानी, हरीश निगम, श्री धुमकेतु, श्री बुधौलिया आदि ने भाग लिया। 15-9-80 को भारत सरकार के सूचना विभाग के सौजन्य से "मालव संगीत परिषद" ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

**हैदराबाद में संसदीय राजभाषा समिति**

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने श्री ओम मेहता संसद सदस्य, की अध्यक्षता में महालेखाकार I और II आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद के कार्यालयों का निरीक्षण

27-8-80 को किया था। समिति के सदस्यों का स्वागत महालेखाकार I, महालेखाकार-II एवं संयुक्त निदेशक (हिंदी) द्वारा किया गया। समिति के सदस्यों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में इन कार्यालयों द्वारा किए गए एवं किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। हिंदी के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करने में इन कार्यालयों द्वारा किए गए प्रयत्नों पर, समिति ने संतोष एवं हर्ष व्यक्त किया। समिति की बैठक समाप्त होने के पश्चात् सदस्यों को एक अलग कक्ष में ले जाया गया जहां पुस्तकालय की पुस्तकों, दैनिक पत्रिकाओं, अन्य पत्रिकाओं, रबर की मुहरों, पत्रों, टाइपराइटरों आदि को प्रदर्शित किया गया था। सदस्यों ने इनमें काफी रुचि लेकर इनका निरीक्षण किया एवं हिंदी के प्रसार में कार्यालय द्वारा दिखाए गए उत्साह की प्रशंसा की और कहा कि जब वे अन्य संगठनों में निरीक्षण के लिए जाएंगे तो इस कार्यालय को एक उदाहरण के रूप में उद्धत करेंगे।

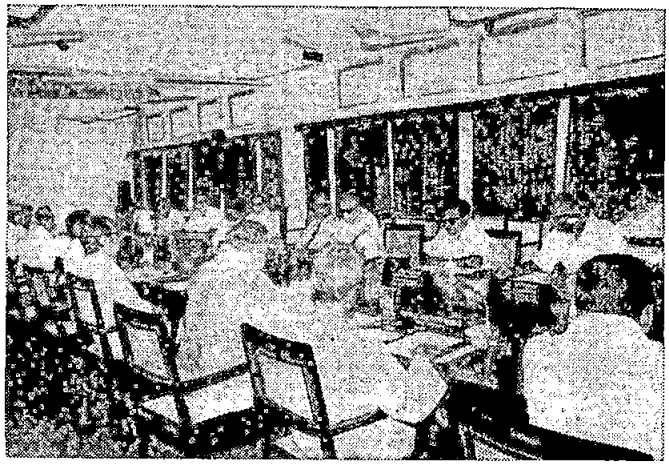

**महालेखाकार आंध्र प्रदेश कार्यालय में उपसमिति की बैठक का दृश्य**

## तेल कंपनियों की संयुक्त हिंदी गोष्ठी

दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को हिंदी से संबंधित सभी तेल कंपनियों के अधिकारियों की राजभाषा विभाग के निरीक्षक दल के साथ एक बैठक का आयोजन अध्यक्ष कार्यालय के कान्फ्रेंस रूम में किया गया। उक्त बैठक में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग के सचिव श्री जयनारायण तिवारी, उप सचिव श्री वी० सिन्हा तथा रिसर्च अधिकारी श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा ने भाग लिया।

तेल कंपनियों की ओर से श्री आर० जी० देसाई—जनसंपर्क प्रबंधक तथा कुमारी सरोज जैन—हिंदी अधिकारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, श्री एस० डी० मणी, मंत्री राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा अनिल कासखेडीकर, हिंदी अधिकारी ने इंडियन आयल कार्पोरेशन की ओर से बैठक में भाग लिया। भारत पेट्रोलियम की ओर से इस बैठक में श्री वी० कुमार प्रशासनिक प्रबन्धक, श्री पी० सी० गिरी, श्री पी० आर० गुप्ता, सदस्य राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिंदी अधिकारी श्री आर० डी० शुक्ला ने भाग लिया।

बैठक का उद्घाटन भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के अध्यक्ष श्री आर० एन० भटनागर ने किया तथा अध्यक्षता राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री बी० यू० राणा ने की। बैठक के प्रारंभ में भारत पेट्रोलियम के हिंदी अधिकारी श्री आर० डी० शुक्ला ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया।

अपने सारगर्भित भाषण में राजभाषा विभाग के सचिव श्री जे० एन० तिवारी ने इस बात को स्वीकार किया कि स्वतंत्रता के 33 वर्ष के बाद भी हम हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि **सरकारी क्षेत्रों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होना जरूरी है, नहीं तो जनता और सरकार के बीच अनजाने में एक दीवार खड़ी हो जाएगी और यह स्थिति हमारे देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगी।** उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी जनसंपर्क की भाषा है, क्योंकि इसे करोड़ों लोग बोलते तथा समझते हैं। सरकार ने हिंदी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं बरती है और न ही भविष्य में बरतना चाहती है परंतु फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सभी स्तरों पर हिंदी का प्रयोग होना चाहिए।

**श्री जे० एन० तिवारी ने अंत में कहा कि जैसे पानी में प्रवेश किए बिना तैरना नहीं आता है वैसे ही बिना प्रयोग किए हिंदी का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप सरल बोलचाल वाली हिंदी भाषा का प्रयोग करें तथा इसे शुभ कार्य समझकर शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करें।**

**तेल कम्पनियों की गोष्ठी का एक दृश्य।**

## सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिंदी अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन

भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिंदी

अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन बैंक आफ महाराष्ट्र के आमंत्रण पर, प्रधान कार्यालय के "लोकमंगल" भवन, पुणे के स्व० अप्पासाहब जोग सभागृह में शुक्रवार दिनांक 19-9-1980 को बड़े उत्साहजनक वातावरण में प्रारंभ हुआ इसका उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा० के० एस० कृष्णस्वामी ने किया। सबसे पहले, समिति के सचिव श्री नारायण प्रसाद पांडेय ने सम्मेलन आरंभ होने की घोषणा की। फिर बैंक आफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने श्री आनंद मोदक के निर्देशन में सरस्वती वंदना गीत प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मुख्य अधिकारी और समिति के अध्यक्ष श्री के० बी० चोरे ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैंक आफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डा० एम० वी० पटवर्धन ने सभी प्रतिनिधयों का स्वागत करते हुए कहा, "14 सितम्बर हिंदी दिवस है और 16 सितम्बर हमारे बैंक का स्थापना दिवस। इस शुभ संयोग पर आयोजित इस सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं" इसके बाद उन्होंने बैंक में हिन्दी के प्रयोग में अब तक हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया।

श्री डी० के० एस० कृष्णस्वामी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकारी क्षेत्र के हिंदी अधिकारियों के प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार बैंकों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जाएगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर बैंक के कामकाज में सरलता लाने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन भी करने होंगे। उन्होंने आशा प्रकट की कि सम्मेलन की कार्यवाही से उपस्थित बैंक प्रतिनिधि अवश्य लाभान्वित होंगे।

भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के उप निदेशक (हिंदी) डा० विश्वदेव शर्मा ने "राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विशिष्ट संदर्भ में सरकार की राजभाषा नीति" संबंधी अपना निबन्ध पढ़कर सुनाया। डा० शर्मा ने अधिनियम और नियमों की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कई संदर्भों को अधिक स्पष्ट किया तथा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जे० एन० पाठक ने "बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित समस्याओं पर एक बैंक कार्यपालक के विचार" शीर्षक अपने निबंध का पाठ किया।

भारतीय स्टेट बैंक के डॉ० शंकर शेष ने "अनुवाद की विधाओं" पर न केवल निबंध प्रस्तुत किया बल्कि अनुवाद के कई उदाहरण बताते हुए अपने व्याख्यान को रोचक बनाया। सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री रा० वि० तिवारी ने बैंकिंग उन्मुख प्रशिक्षण निबंध प्रस्तुत किया।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप प्रबंधक (हिंदी) डा० पी० जयरामन किसी कारणवश सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। बैंक आफ महाराष्ट्र की प्रतिनिधि डा० विदुला गुप्ते ने उनके निबंध का पाठ किया, विषय था "हिंदी में टिप्पण और आलेखन"। अंतिम निबंध था इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रतिनिधि श्रीमती सीता कुंचितपादम् का। उन्होंने "अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन की समस्याएं" पर ब्योरेवार चर्चा की। उनके निबंध से प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि अहिंदी क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण में; हिंदी का काम करने वाले अधिकारियों को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

रात के भोजन के बाद 8.30 बजे धन्यवाद प्रस्ताव के बाद कवि-सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता डा० विश्वदेव शर्मा ने की। उन्होंने और दस बैंक प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी कविताएं प्रस्तुत कीं। इस आयोजन के कारण बैंक-प्रतिनिधियों के साहित्यिक गुणों का परिचय मिल सका।

इस सम्मेलन में हर बैंक की ओर से तीन प्रतिनिधि आए थे—एक कार्यपालक अधिकारी, मुख्य हिंदी अधिकारी और एक हिंदी अधिकारी।

# हिंदी के बढ़ते चरण

## खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स (राजस्थान) में हिंदी की प्रगति

खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स (के० सी० सी०) भारत सरकार के उद्यम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में से एक है। यह नई दिल्ली से 190 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में तथा राजस्थान राज्य में जयपुर से 180 मिली-मीटर दूर उत्तर में स्थित है। **इस परियोजना में कुल 25 विभाग हैं और उनमें लगभग 8600 कर्मचारी कार्यरत हैं ।**

राजभाषा संबंधी नियमों एवं कानूनों की यहां यथासंभव पूर्ण अनुपालना की जा रही है। इन नियमों तथा भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त होने वाले अनुदेशों आदि के अनुपालन का कार्यभार यहां के राजभाषा-कक्ष को सौंपा गया है। इस कक्ष का श्रीगणेश एक हिंदी अनुवादक की नियुक्ति के साथ जून, 1977 में हुआ। तदनन्तर 1979 के उत्तरार्द्ध में एक हिन्दी अधिकारी तथा एक हिन्दी आशु-लिपिक की नियुक्ति के साथ इस कक्ष को विस्तार मिला। एक फील्ड क्लर्क की नियुक्ति विचाराधीन है।

**राजभाषा कार्यान्वयन समिति**

इस समिति का हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति के बाद पुनर्गठन किया गया। इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है और लिये गये निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की इसकी हर आगामी बैठक में समीक्षा की जाती है। समिति की बैठकों को प्रभावशाली बनाने के लिये समय-समय पर खान-मंत्रालय तथा प्रधान कार्यालय से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये संबंधित अधिकारियों को आमंत्रित भी किया जाता है।

**विभागीय समितियों की बैठकों की कार्य सूची में हिन्दी की प्रगति पर एक मद का नियमित रूप से शामिल होना :**

विभागीय स्तर पर भिन्न उद्देश्यों से गठित अन्य समितियों की बैठकों की कार्यसूची में भी हिन्दी की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिये एक मद को जोड़ने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

**हिन्दी निरीक्षण समिति**

समय-समय पर इस समिति द्वारा विभिन्न विभागों का हिन्दी की प्रगति जानने तथा कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में अपने समुचित विचार प्रस्तुत करने के निमित्त निरीक्षण किया जाता है।

**प्रशिक्षण कार्यक्रम**

अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों के लिये हिन्दी में तथा अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिय अलग-अलग सेवाकालीन उपयुक्त व्यवस्था की गई है। अब तक भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हमारे यहां से प्रबोध परीक्षा में 17, प्रवीण में 9 और हिन्दी टंकण में 1 तथा हिन्दी आशुलिपि में 3 कर्मचारियों ने सफलता प्राप्त की है। इस समय हिन्दी टंकण में 7 कर्मचारी, प्रबोध में 4, प्रवीण में 2 और प्राज्ञ में 5 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे प्रशिक्षण केन्द्र में निम्नलिखित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाता है:—(क) प्रौढ़-शिक्षा पाठ्यक्रम (ख) पूर्णकालिक प्राथमिक सहायता पाठ्यक्रम (ग) विभिन्न प्रशिक्षु पाठ्यक्रम (घ) प्रभावोत्पादक पाठ्यक्रम (ड़) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (च) मैटीरियल हैण्डलिंग एवं सुरक्षा पाठ्यक्रम। इसके अलावा समय-समय पर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनारों आदि में भी अधिक से अधिक हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है।

साक्षरता एवं व्यावसायिक दक्षता परीक्षायें भी हिन्दी माध्यम से ही ली जाती हैं।

**हिन्दी प्रोत्साहन योजना**

अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये बढ़ावा देने के निमित्त एक हिन्दी प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि आदि परीक्षायें उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।

**परीक्षा शुल्क का भुगतान**

हिन्दी की विभिन्न परीक्षाओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा-शुल्क का भगतान संबंधित कर्मचारियों की बजाय कम्पनी की ओर से ही किया जा रहा है।

**यात्रा खर्च आदि की प्रतिपूर्ति**

परीक्षा-केन्द्र खेतड़ी नगर से अन्यत्र पड़ने पर परीक्षार्थियों को यात्रा खर्च आदि की प्रतिपूर्ति भी की जाती है तथा परीक्षा अवधि के लिये विशष छुट्टी प्रदान की जाती है।

**हिन्दी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हिन्दी पुस्तकों को निःशुल्क उपलब्ध कराना :**

हमारे यहां हिन्दी प्रशिक्षण पा रहे सभी कर्मचारियों को उनके पाठ्यक्रमों से संबंधित हिन्दी पुस्तकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

**अंग्रेजी टंककों को अतिरिक्त भुगतान**

आवश्यकता पड़ने पर **अंग्रेजी टंककों एवं आशुलिपिकों से अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में काम करवाने पर उन्हें प्रतिदिन एक रुपए के हिसाब से यथास्थिति 25-26 रुपए मासिक देने का निर्णय भी कार्यान्वित किया जा चुका है**

**हिन्दी में प्रकाशन**

कम्पनी की पत्रिका "कॉपर कालिंग" का हिन्दी संस्करण "ताम्र संदेश" नियमित रूप से निकाला जाता है और उसमें विशेष तौर पर हिन्दी एवं हिन्दी साहित्य की प्रगति से संबंधित खण्ड भी जोड़ा गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के लेख, लघु कथाएं, कवितायें, समालोचनायें, आदि भी प्रकाशित की जाती हैं। हिन्दी-भाषा साहित्य के प्रचार-प्रसार एवं प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति और समृद्धि के उद्देश्य से खेतड़ी नगर में गठित हिन्दी साहित्य परिषद के समस्त आयोजनों एवं गतिविधियों को भी इस पत्रिका में **नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।**

इसके अलावा चिकित्सा संबंधी विभिन्न हिदायतों, संक्रामक रोगों से बचाव संबंधी लेखों को भी हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है।

**द्विभाषी व्यवस्था का अनुपालन**

विभिन्न विभागों से जारी होने वाले सामान्य आदेशों, परिपत्रों आदि को यथासंभव द्विभाषिक रूप में या केवल हिन्दी में ही जारी किया जाता है।

**हिन्दी में टंकण एवं प्रारूपण आदि**

सभी कर्मचारियों को हिन्दी या अंग्रेजी में काम करने की पूरी छूट दी गई है। इसके साथ ही राजभाषा-कक्ष के कर्मचारियों को भी पूरा संरक्षण दिया गया है ताकि वे निर्भीकतापूर्वक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर सकें। हिन्दी में प्रस्तुत की जाने वाली फाइलों पर उच्च अधिकारियों द्वारा भी टिप्पणी एवं प्रारूप आदि हिन्दी में ही तैयार किये जाते हैं तथा हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर यथासंभव हिन्दी में ही दिया जाता है।

यूनियन एवं प्रबन्धक वर्ग के बीच होने वाले सभी प्रकार के समझौतों आदि को भी अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में ही निकाला जाता है।

**हिन्दी में तार का पता**

राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत तार का पता "कॉपर" हिन्दी में भी करवा दिया गया है।

**कम्पनी के उत्पादनों पर हिन्दी का लिखा जाना**

उत्पादित माल यथा बायरबार, उर्वरक थैलों आदि पर कम्पनी का नाम एवं अन्य विवरण भी हिन्दी में दिया जा रहा है।

**देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था**

**अब तक 12 देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जा चुके हैं और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें विभिन्न विभागों को इस्तेमाल के लिए दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 4 और देवनागरी टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था की जा रही है।**

**साइन बोर्डों/नाम पट्टों को हिन्दी में प्रदर्शित करना :**

कम्पनी के अधिकांश साइन बोर्डों एवं नाम पट्टों आदि को हिन्दी में भी तैयार किया गया है।

**चैक प्वाइंट्स**

सभी विभागाध्यक्षों एवं विभागीय समितियों के अध्यक्षों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि उनके यहां से जारी होने वाले सभी सामान्य आदेशों, परिपत्रों एवं बैठकों के कार्यवृत्तों को हिन्दी में भी तैयार किया जाए, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दें। औद्योगिक संस्थान होने के नाते लागू किये गये चेक प्वाइन्ट्स अभी पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं।

**सहायक/प्रचार साहित्य**

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के विभिन्न प्रकाशनों को मंगाया गया है। कुछ अंग्रेजी-हिन्दी का शब्दकोष एवं तकनीकी शब्दावलियां भी खरीदी गई है। कमचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के निमित्त नये सामुदायिक विकास केन्द्र के पुस्तकालय में अधिकांशत हिन्दी के ही पत्र एवं पत्रिकायें मंगाई जाती हैं। पाठकों के साहित्यिक रुझान को बल देने के लिये अनेक हिन्दी उपन्यास तथा कहानी-संकलन खरीदे गये हैं।

विभागीय पुस्तकालय में भी अनेक हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष एवं हिन्दी की ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों के मंगाये जाने की योजना है।

राजभाषा-कक्ष द्वारा तैयार की गई एक अंग्रेजी-हिन्दी शब्द-संचयिका भी सभी विभागों को उपलब्ध कराई गई है।

**हिन्दी सप्ताह, 1980**

परियोजना की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 14 सितम्बर, 1980 से 20 सितम्बर, 1980 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह का प्रारम्भ 14 सितम्बर, 1980 के उस महत्वपूर्ण दिन से किया गया जिस दिन स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि को राष्ट्र लिपि स्वीकार करके राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया था। इस अवसर

पर के० सी० सी० के महाप्रबन्धक महोदय ने अपने संदेश में परियोजना के सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने विभाग में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अब तक हुई प्रगति का लेखा-जोखा करें तथा अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में अपना यथा-संभव योगदान दें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को वही सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिले जो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा के लिये अपेक्षित है।

महाप्रबन्धक महोदय ने अपने संदेश में यह भी अनुरोध किया कि "हिन्दी सप्ताह" के दौरान जो भी पत्र हिन्दी में प्राप्त हों उनका जवाब भी हिन्दी में ही दिया जाये। सभी लोग अपने अपने उपस्थिति रजिस्टर में हिन्दी में हस्ताक्षर करें, जिन्हें हिन्दी नहीं आती है वे लोग भी कम से कम अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करना सीख लें। सप्ताह के दौरान सभी जारी होने वाले पत्रों आदि पर हस्ताक्षर हिन्दी में किये जायें। ज्यादा से ज्यादा मूल पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाये। विभागों की नाम-पट्टिकायें और रबड़ की मोहरें आदि जो अभी अंग्रेजी में हैं, उन्हें भी हिन्दी में तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया जाये। उन्होंने गैर-हिन्दी भाषियों को भी के० सी० सी० के प्रशिक्षण केन्द्र में भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे हिन्दी प्रशिक्षण को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया तथा सभी को इस बात का दृढ़ संकल्प करने के लिये कहा कि अब से आगे अपना रोजमर्रा का काम ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में ही करें।

इस अवसर पर राष्ट्रभाषा से संबंधित विषयों पर परियोजना के निवासियों तथा सभी स्कूलों के बच्चों के लिये क्रमशः भाषण तथा वाद-विवाद प्रतियोगताओं का आयोजन भी किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

सप्ताह के दौरान के० सी० सी० की हिन्दी निरीक्षण समिति द्वारा विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

"हिन्दी-सप्ताह" की उल्लेखनीय सफलता, महाप्रबन्धक श्री के० जी० गाडी द्वारा पूरे सप्ताह टेलीफोन कान्फ्रेंस के दौरान समस्त विभागाध्यक्षों के बीच आपसी बातचीत, अंग्रेजी के स्थान पर केवल हिन्दी में ही करने की घोषणा करना था।

**अन्य विभागों के समारोहों में हिन्दी**

वर्ष के दौरान के० सी० सी० में मनाये जाने वाले अन्य समारोहों जैसे— सुरक्षा-सप्ताह, सड़क सुरक्षा-सप्ताह, हाउस-कीपिंग-सप्ताह, आदि की अधिकांश प्रचार सामग्री आदि हिन्दी में ही तैयार की जाती है। इस दौरान होने वाली निबन्ध प्रतियोगिताओं का माध्यम भी हिन्दी ही रखा जाता है।

के० सी० सी० की खेल-कूद परिषद् द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में भी अधिकाधिक हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है।

**आगामी कार्यक्रम**

हर वर्ष राष्ट्रभाषा-सप्ताह/राष्ट्रभाषा-दिवस मनाने की योजना है। आवश्यकतानुसार देवनागिरी टाइपराइटरों की व्यवस्था की जायेगी। विभिन्न विभागों में प्रयुक्त किये जा रहे सांविधिक तथा असांविधिक प्रकृति के जो फार्म, नियम आदि अभी अंग्रेजी में हैं उनमें से कुछ का हिन्दी रूपान्तरण राजभाषा-कक्ष द्वारा क्रमबद्ध रूप से तैयार करने तथा कुछ का अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करवाने में प्रयत्न-शील हैं। अधिकाधिक अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देना, वर्तमान अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षित करना इत्यादि कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हिन्दी की और प्रगति की हमारे यहां अभी पर्याप्त गुन्जाइश है। यह द्विभाषिक स्थिति भी कभी कभी उबाने वाली लगती है। हमारी यह कामना है कि वह समय जल्दी से जल्दी आए जब राष्ट्रभाषा हिन्दी अपने पद पर आसीन हो। कार्यालयों का सारा काम मूल रूप से हिन्दी में होने लगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही अंग्रेजी का सहारा लिया जाए।

---

# आयकर विभाग, इलाहाबाद में हिंदी के बढ़ते कदम

**—श्री के० एम० चौधरी**

कार्यालय, आयकर आयुक्त, इलाहाबाद प्रभार का सृजन अगस्त, 1976 में हुआ था। इस प्रभार में हिन्दी अनुवादक का पद जुलाई, 1978 में भरा गया। हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति सितम्बर, 1979 में हुई। प्रभार के कार्यालय काफी दूर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में 24 स्टेशनों पर स्थित हैं। इस प्रभार में 69 अधिकारी एवं 448 कर्मचारी सेवारत हैं। सभी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इस प्रभार को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार 6 जून, 1978 को अधिसूचित किया गया है। इस प्रभार में 94 अंग्रेजी टाइपराइटर और 16 हिन्दी टाइपराइटर हैं। इस तिमाही में 15 हिन्दी टाइप-राइटर मंगाए जा रहे हैं। हमारे पास 67 आशुलिपिक तथा 94 टंकक हैं जिनमें क्रमशः से 6 और 9 हिन्दी आशु-लिपि तथा टंकण जानते हैं। इस सत्र में कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं।

30 जून, 1980 को समाप्त तिमाही के अनुसार कर निर्धारण कार्यों में हिंदी की प्रगति इस प्रकार है :—

**(क) (1) सामान्य प्रशासन कार्य :**

| | |
|---|---|
| हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या | 1535 |
| हिंदी में उत्तर दिये गये पत्रों की संख्या | 1262 |

**(2) "क" क्षेत्र में भेजे गए मूल पत्र :**

| | |
|---|---|
| हिंदी में | 3063 |
| अंग्रेजी में | 643 |

| **(ख) निर्धारण कार्य :** | **कुल** | **हिंदी में** | **अंग्रेजी में** |
|---|---|---|---|
| (1) नई फाइलें खोली गईं | 2998 | 2800 | 198 |
| (2) निर्धारण आदेश | 5215 | 3176 | 2039 |
| (3) मांग नोटिस जारी की गई | 4633 | 3020 | 1613 |
| (4) निर्धारण संबंधी फाइलें | 6826 | 6011 | 815 |
| (5) रजिस्टरों में प्रविष्टियां | 77936 | 55927 | 22009 |
| (6) कर वसूली कार्यालयों में : | | | |
| पत्राचार | 150 | 100 | 50 |
| खोली गई फाइलें | 3500 | 3500 | — |

इस प्रभार में हिंदी अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय में निम्नलिखित 24 मदों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है और हमारे प्रभार में निम्नलिखित सभी कार्य केवल हिंदी में किये जा रहे हैं :—

1. सभी नामपट्ट, लेटर पैड।
2. सभी कागजों पर महरें हिंदी में लगाई जाती हैं।
3. सभी लिफाफों पर नाम पते।
4. सभी संक्षिप्त निर्धारण कार्यवाहियां।
5. सभी कर्मचारियों की सेवापुस्तकों में इन्दराज।
6. सभी फॉइल कवरों पर विषय शीर्षक।
7. हाजिरी रजिस्टर।
8. वेतन बिल रजिस्टर।
9. कर्मचारियों से सारा पत्राचार।
10. छपे हुए आयकर की नोटिसों व चालानों और अन्य फार्मों का हिंदी अंश भरना।
11. डी० सी० आर०, ब्लू बुक और जी० आई० आर० में नामपते।
12. दवा खर्च का रजिस्टर।
13. मामलों का नियतन रजिस्टर।
14. प्रॉसेसे सर्वर रजिस्टर।
15. हिंदी के पत्रों का जवाब।
16. कार्यालय में जारी सभी आदेश, सूचनायें या हिदायतें।
17. फॉइलों और आर्डर शीटों पर टिप्पणियाँ।
18. सभी तार-पते।
19. करदाताओं के बीच प्रचार के लिये आयकर संबंधी प्रकाशन।
20. करदाताओं से कार्यालयीय पत्र-व्यवहार।
21. सुनवाई के लिये मामलों की सूची तथा आम सूचना।
22. पेनाल्टी रजिस्टर, अपील रजिस्टर।
23. रिफण्ड वाउचर में नाम-पते।
24. छोटी-मोटी लेखा-परीक्षा आपत्तियाँ :।

यद्यपि हिंदी आशुलिपिकों तथा टंककों के अभाव में निर्धारण तथा तकनीकी व न्यायिक प्रकृति के कार्य अंग्रेजी में किये जा रहे हैं, परन्तु हमारे कुछ अधिकारीगण निर्धारण व अपीलीय आदेश हिंदी में भी पारित करते हैं। इस प्रसंग में श्री वी० आर० चतुर्वेदी, आयकर अधिकारी, भदोही व श्री आर० के० मेहरोत्रा, आयकर अधिकारी, गाजीपुर का उल्लेख करूंगा जो बड़े-बड़े एवं 4–5 पष्ठों के भी निर्धारण आदेश हिंदी में लिखकर पारित करते हैं। श्री रामप्रसाद मणि त्रिपाठी, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, वाराणसी ने अपना कई अपीलीय आदेश हाथ से लिखवाकर हिन्दी में पारित किया है। हमारे चार्ज के 31 अधिकारी तथा 280 कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में 25 से 100% तक हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। शेष सभी अधिकारी और कर्मचारी भी हिंदी में कार्य करते हैं।

सभी कर्मचारियों को सहायक और संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराए गए हैं। सभी कर्मचारियों के लिये एक-एक हिंदी-अंग्रेजी (डा० भोलानाथ तिवारी) तथा अंग्रेजी-हिंदी (डा० कामिल बुल्के) शब्दकोष के सेट खरीद कर वितरित किये जा रहे हैं। हिंदी अधिकारी श्री हरिओम श्रीवास्तव ने आयकर मैनुअल के कठिन हिंदी शब्दों का हिंदी-अंग्रेजी शब्द संग्रह तैयार किया है जिसे कार्यालयों में वितरित किया गया है। हमारे कार्यालय में एक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना इसी वर्ष की गई है। जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। कुछ हिंदी दैनिक-पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्रिकायें भी पुस्तकालय में मंगाई जाती हैं, ताकि अधिकारी /कर्मचारी-गण हिंदी में रुचि लें। परिणाम प्रभावकारी रहा है।

# स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में हिंदी के बढ़ते चरण

—आत्माराम सिंघल,
प्रभारी अधिकारी,
हिन्दी विभाग

सन् 1969 में देश के प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही हमारे बैंक में हिंदी में काम किये जाने की शुरुआत हो गई थी। इस प्रयोजनार्थ प्रधान कार्यालय में एक हिंदी कक्ष की स्थापना की गई व जनता के सम्पर्क में आने वाले फार्मों का हिंदी अनुवाद किया जाना शुरू किया गया। साथ ही इसके प्रमख परिचालन क्षेत्र, राजस्थान, जो कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र ही है, में स्थित अपनी कुछ शाखाओं को हिंदी के काम की शुरुआत करने के लिये चुना गया जिसकी संख्या आगामी वर्षों में बढ़ाई जाती रही। इस बीच 1976 में राजभाषा नियम लागू हो जाने से बैंकों के आन्तरिक कार्य में भी हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया। अतः इसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये हिंदी कोष्ठ को क्रमोन्नत कर नवम्बर, 1976 में पूरे विभाग का दर्जा दे दिया गया। तबसे भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार बैंक में हिंदी की बहुत प्रगति हो चुकी है जिनमें से प्रमुख का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:—

### (1) हिंदी में भरे गए प्रपत्र

एक समय था जबकि हिंदी में हस्ताक्षरित व भरे गए चैकों का पहले प्रधान रोकड़िए के पास अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाना आवश्यक था और हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले खातेदारों को एक क्षतिपूरक फार्म पर भी हस्ताक्षर करना होता था, मगर अब वह बीते जमाने की बातें हो चकी हैं और न केवल हिंदी में जारी किए गए व हिंदी में हस्ताक्षरित चैक बिना किसी अन्य औपचारिकता के स्वीकार किये जाने लगे है बल्कि ग्राहकों द्वारा भरे जाने वाले किसी भी प्रकार के फार्म यथा—खाता खोलने का फार्म, ऋण आवेदन पत्र, जमा पर्चियाँ आदि भी हिन्दी में स्वीकार किये जाने लगे हैं। ये फार्म उन्हें द्विभाषिक रूप में यानी हिन्दी व अंग्रेजी में उलब्ध कराये जाते हैं। ग्राहकों द्वारा मांगें जाने पर अब ड्राफ्ट भी हिन्दी में जारी किये जाने लगे हैं।

### (2) नाम पट्ट व लेखन सामग्री

कार्यालयों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पट्ट, काउन्टरों आदि के सूचक बोर्ड द्विभाषिक रूप में लगाये जाते हैं। न केवल बैंक के पत्र-शीर्ष, लिफाफे, फाइल-कँवर आदि, बल्कि जन सम्पर्क के सभी फार्म हिंदी-अंग्रेजी में छपवाए जा चुके हैं। बैंक के आंतरिक कार्य से संबंधित सभी फार्मों व रजिस्टरों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चका है और इनमें से लगभग आधे द्विभाषिक रूप में छप भी चके हैं। जो भी लेखन सामग्री नई या पुनः छपवाई जाती है उसे द्विभाषिक रूप में ही छपवाये जाने की व्यवस्था की गई है। रबड़ की मोहरें हिंदी अथवा हिंदी-अंग्रेजी में तैयार करवाई जाती हैं। द्विभाषिक सामग्रियों में हिंदी पाठ पहले और अंग्रेजी पाठ बाद में छपवाया जाता है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि हिंदी के अक्षर अंग्रेजी से छोटे न हों। हिंदीतर राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को सर्वप्रथम रखते हुए सम्मिलित किया जा सकता है।

### (3) हिंदी पत्रों के उत्तर

कहीं से भी प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने के लिये आदेश दिये गये हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों द्वारा आपस में भी हिंदी में पत्राचार आरम्भ हो जाने से इस तरह के पत्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्ष 1980 में बैंक के समस्त कार्यालयों में कुल 182023 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 157080 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। शेष में से अधिकांश केवल सूचनार्थ प्राप्त हुए थे

### (4) हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन

हिंदी भाषी क्षेत्र के कार्यालयों में प्राप्त पत्रों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने तथा पत्रों के उत्तर का प्रारूप भी हिंदी में ही तैयार किये जाने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

### (5) मूल पत्र व्यवहार

बैंक के सभी कार्यालयों को अपनी ओर से भी हिंदी में पत्र लिखने की न केवल छूट दे दी गई है बल्कि ऐसा किये जाने के लिये उन्हें प्रेरित भी किया जाता है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 1981 तक इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये 50% के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दिसम्बर 1980 को समाप्त हुए वर्ष में सभी कार्यालयों से भेजे गये कुल 720124 पत्रों में से 610017 पत्र (46%) हिंदी में भेजे गये जो उपर्युक्त लक्ष्य के काफी नजदीक है। हिंदी मूल पत्रों की संख्या दिनों-दिन बढ़ाए जाने हेतु कार्यालयों को द्विभाषिक मानक फार्मों के हिंदी प्रकरण का ही प्रयोग किये जाने का आग्रह किया जाता है।

### (6) लिफाफों पर पते हिंदी में लिखा जाना

हिंदी भाषी राज्यों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर हिंदी में ही पते लिखे जाने के आदेश जारी किये गये हैं, भले ही उन लिफाफों में डाले गए पत्र अंग्रेजी में लिखे गये हों।

### (7) हिंदी में तार

तारों को भी पत्र व्यवहार का ही एक अंग समझते हुए हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी कार्यालयों द्वारा उस क्षेत्र के अन्य कार्यालयों को सादे किस्म के तार अर्थात् जिनमें कूट शब्दों का प्रयोग न होता हो, हिंदी में ही भेजे जाने के आदेश दिये गये हैं। कार्यालयों के तार के पते के हिंदी लिप्यंतरण को भी तार घर में पंजीकृत करवा लिया गया है। वर्ष 1980 में समस्त कार्यालयों द्वारा 9273 तार हिंदी में भेजे गए। हिंदी तारों में भी खर्च की बचत की दृष्टि से अंग्रेजी तारों में प्रयोग किये जाने वाले कुछ सामान्य कूट शब्दों की तरह हिंदी में भी कुछ कूट शब्द तैयार किये गये हैं, जैसे—"आप के तार के संदर्भ में/कृपया अपने तार का अवलोकन करें," के लिये कूट शब्द "आतासंद" बनाया गया है।

### (8) निमंत्रण-पत्र

सभी प्रकार के निमंत्रण पत्र हिंदी-अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये केवल हिंदी में भी जारी किये जा सकते हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में ये क्षेत्रीय भाषा सहित तीन भाषाओं में जारी किये जा सकते हैं।

### (9) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजात

वर्ष 1980 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले कागजात की स्थिति नीचे लिखे अनुसार रही :—

| | हिंदी तथा अंग्रेजी में | केवल हिंदी में |
|---|---|---|
| (क) कार्यालय आदेश | 5359 | 11048 |
| (ख) संकल्प तथा अधिसूचनायें | 86 | 20 |
| (ग) नियम | — | — |
| (घ) प्रेस विज्ञप्तियां, विज्ञापन आदि | 2 | 352 |
| (ङ) संविदा तथा करार और टेण्डर फार्म | 13360 | 11742 |
| (च) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें | 1 | — |

इस सम्बन्ध में बैंक के सभी कार्यालयों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टें मंगाई जाती हैं व उन पर आधारित समेकित रिपोर्ट प्रधान कार्यालयों द्वारा भारत सरकार के राजभाषा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक आदि को भेजी जाती है।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित कराई जाती है तथा आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक में हिंदी की प्रगति के बारे में इसमें अलग से उल्लेख किया जाता है।

निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्य-विवरण द्विभाषिक रूप में तैयार किये जाते हैं।

### (10) आंतरिक कार्य में हिंदी

हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित बैंक के कार्यालयों में उनके आंतरिक कार्यों, जैसे विभिन्न रजिस्टरों, पास बुकों, विवरण पत्रों आदि में भी हिंदी का प्रयोग किया जाने का आदेश दिया जा चका है। लिपिक एवं अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारियों के सेवा पत्रक हिंदी में भरे जाने के आदेश दिये गये हैं। स्टाफ की गोपनीय रिपोर्टें भी हिंदी में भेजी जा सकती हैं जिसके लिये प्रयोग किये जाने वाले समुचित शब्दों का हिंदी रूपान्तर सभी कार्यालयों को सूचित किया जा चुका है।

### (11) हिंदी के टाइपराइटर

वर्ष 1980 के अन्त में बैंक में 51 हिंदी के टाइपराइटर तथा 53 हिंदी टाईपिंग जानने वाले कर्मचारी थे। ग्यारह और टाइपराइटरों का आदेश दिया हुआ है जिनकी प्राप्ति के बाद और टाइपराइटर मंगवाने पर विचार किया जाएगा। नये हिंदी टाइपिस्टों की नियुक्ति भी क्षेत्रीय भरती बोर्ड द्वारा की जानी है। हिंदी टाईपिंग सीखने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 250/- रु० नकद मानदेय के रूप में दिये जाते हैं।

### (12) हिंदी का प्रशिक्षण

बैंक के जयपुर, बीकानेर एवं उदयपुर स्थित तीनों स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में समस्त पाठ्यक्रम हिंदी-अंग्रेजी की मिली जुली भाषा में पढ़ाये जाते हैं। हाल ही में रोकड़ियों को प्रशिक्षण केवल हिंदी में दिये जाने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राजभाषा नीति व बैंक में प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में बताने के लिये हर सामान्य पाठ्यक्रम में अलग से पीरियड निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1980 के दौरान इन केन्द्रों में 924 अधिकारी व 1405 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिये हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिये जाने को देखते हुए, हिंदी नहीं जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी का शिक्षण देने व उन्हें भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये तैयारी करवाने के लिये प्रधान कार्यालय में एक अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति की गई है। जयपुर से बाहर की शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी भारत सरकार द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिंदी सीख सकते हैं। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप समुचित मानदेय नकद राशि के रूप में दिया जाता है।

बैंकों में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिये इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स द्वारा बैंकिंग उन्मुख हिंदी की परीक्षा ली जाती है जिसे उत्तीर्ण करने पर कर्मचारियों को 150/- रु० नकद मानदेय दिया जाता है। हमारे बैंक के 295 कर्मचारी अब तक यह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

### (13) हिन्दी कार्यशाला

कर्मचारियों को राजभाषा नियमों से परिचित कराने तथा प्रयोजनमूलक हिन्दी का ज्ञान कराने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किये अनुसार हिन्दी की कार्याशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 1980 के अंत तक ऐसी 7 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। जिनमें अन्य बैंकों के 17 अधिकारियों सहित कुल 120 अधिकारियों व 90 लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने भाग लिया।

### (14) सहायक साहित्य

कार्यालयों में काम हिन्दी में किये जाने में सुविधा रहे इस निमित्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई "अंग्रेजी हिन्दी शब्दावली" एवं "कार्यालयीन शब्दावली" की पुस्तकें तथा इस सम्बन्ध में तैयार किये गये कई टिप्पण उन्हें भिजवा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित तथा अन्य लेखकों की भी कई पुस्तक भेजी गई हैं। कर्मचारियों का हिन्दी का शब्द ज्ञान बढ़े इसके लिये सभी कार्यालयों में हिन्दी का एक समाचारपत्र भी मंगवाये जाने का आदेश दिया गया है।

### (15) नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धी साक्षात्कारों में हिन्दी

अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारियों की परीक्षा व साक्षात्कार हिन्दी में ही लिये जाते हैं जबकि लिपिक वर्ग की नियुक्ति और अधिकारी वर्ग के लिये पदोन्नति हेतु लिये जाने वाले साक्षात्कारों में अभ्यर्थी चाहे तो प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में दे सकते हैं।

### (16) गृह पत्रिकाएं

बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका "अभिनव बैंकिंग संदेश" हिन्दी-अंग्रेजी में छपवाई जाती हैं जबकि अन्य दो पत्रिकाओं "साथी" तथा "प्लानिंग न्यूजलेटर" में हिन्दी खंडों का समावेश किया जा चुका है तथा यह अंश बराबर बढ़ता जाए इसका प्रयास किया जा रहा है।

### (17) हिन्दी मानसेवी प्रतिनिधियों की नियुक्ति

कार्यालयों में हिन्दी के कार्य की प्रगति पर ध्यान रखने हेतु कार्यालय स्तर पर ही स्टाफ में से किसी सदस्य को हिन्दी मानसेवी प्रतिनिधि अभिज्ञानित किया जाता है जो प्रधान कार्यालय से प्राप्त हिन्दी से संबंधित अनुदेशों के अनुपालन में शाखा प्रबन्धक की सहायता भी करता है।

### (18) जांच बिन्दु

कार्यालयों में राजभाषा संबंधी आदेशों का अनुपालन सही तौर पर हो रहा है या नहीं, इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों द्वारा कार्यालय के निरीक्षण के समय हिन्दी की एक निरीक्षण रिपोर्ट अलग से तैयार की जाती है जिसकी एक प्रति हिन्दी विभाग को भी भेजी जाती है। संबंधित कार्यालय में जिन अनुदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा होता है, उनका अनुपालन करवाने हेतु हिन्दी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

### (19) राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बैंक के प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठक हर तिमाही में नियमित रूप से बुलाई जाती है। इसमें हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार व रिजर्व बैंक के अनुदेशों के कार्यान्वयन आदि पर विचार विमर्श होता है तथा बैंक में हिन्दी की प्रगति पर समीक्षा की जाती है।

### (20) संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

राजभाषा अधिनियम के अनुसार गठित संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिये दिसम्बर 1976 में इस बैंक का दौरा किया था। इसके अलावा फरवरी 1978 में भी उन्होंने फिर एक बार बैंक का निरीक्षण किया तथा इसकी पहली उप समिति ने सितम्बर 1978 में हमारे प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर का दौरा किया। तीनों ही बार ये समितियां हमारे यहां हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति से काफी संतुष्ट हुई।

### (21) विशिष्ट उपलब्धि

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में हमारे बैंक की विशिष्ट उपलब्धि यह है कि हमने अपने प्रमुख परिचालन क्षेत्र राजस्थान में स्थित अपनी 430 शाखाओं में से 181 शाखाओं को समस्त कार्य हिन्दी में करने के आदेश दे दिये हैं जिसे हिन्दी के प्रयोग का अन्तिम लक्ष्य कहा जा सकता है। हमारे कार्यालयों में बातचीत हिन्दी में ही होती है।

इस तरह हमारे बैंक में राजभाषा हिन्दी ने अपने चरण बढ़ाने शुरू कर दिये हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्षों में इसका प्रवेश हमारे उन कार्यालयों में भी पूरी तरह हो जाएगा जहां अभी तक थोड़े रूप में ही हो पाया है।

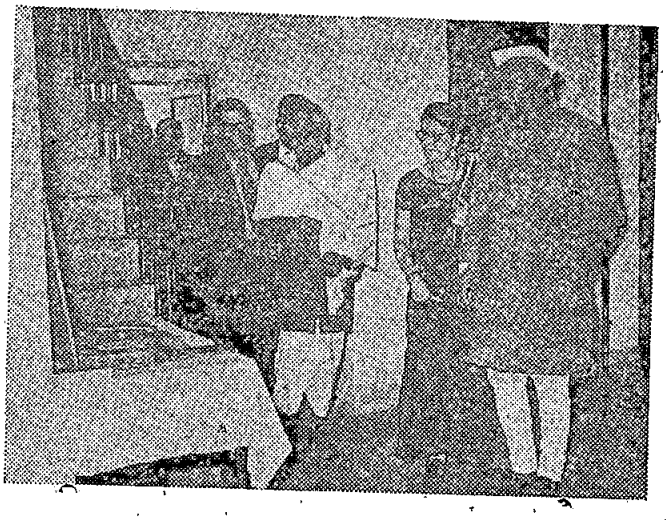

**स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर प्रधान कार्यालय, जयपुर का संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण एवं बैंक द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन।**

# प्रदेशों की भाषाएं

## आन्ध्र प्रदेश में राजभाषा का प्रयोग

आन्ध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1966 में पारित हुआ और 14 मई, 1966 को लागू हुआ।

**विस्तार क्षेत्र :**

इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार को उन सरकारी प्रयोजनों के लिये, जिनके लिये तेलुगू का प्रयोग किया जाएगा, अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है इसके अनुसार सरकार समय-समय पर तेलुगु के प्रयोग के लिये निदेश जारी करती रही है। प्रारंभ में 1966 में इसका प्रयोग कुछ असांविधिक प्रयोजनों के लिये ताल्लुका स्तर और इससे नीचे के 23 विभागों में शुरू किया गया था।

सरकार ने वर्ष 1967 और 1968 में कुछ और विभागों में तेलुगु के प्रयोग का विस्तार करने के आदेश जारी किये। वर्ष 1971–73 के बीच ऐसे आदेश जारी किये गये जिसमें पशुपालन, कृषि, पंचायत राज्य (जिला परिषदें) अक्षयनिधि और शिक्षा विभागों में विशिष्ट प्रयोजनों के लिये जिला स्तर और इससे नीचे के कार्यालयों में तेलुगु का प्रयोग करने के निदेश जारी किये गये।

वर्ष 1974 में, ताल्लुका स्तर पर या इससे नीचे के सभी विभागों के सरकारी कार्यालयों में सभी सांविधिक प्रयोजनों के लिये तेलुगु का प्रयोग करने के आदेश जारी किये गये। 1976 में यह व्यवस्था जिला स्तर के सभी कार्यालयों में भी लागू कर दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के राजभाषा विंग के तीनों अनुभागों में सचिवालय स्तर पर कुछ असांविधिक प्रयोजनों के लिये भी तेलुगु का प्रयोग शुरू किया गया जैसे :—

1. जिला स्तर पर और इससे नीचे के कार्यालयों के साथ पत्राचार के लिये।

2. जन साधारण से तेलुगू भाषा में प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के लिये। हैदराबाद के नगर निगम को छोड़कर पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर-पालिकाओं म सभी असांविधिक प्रयोजनों के लिये तेलुगु का प्रयोग प्रशासन की भाषा के रूप में किया जाता है। पंचायतों और पंचायत समितियों में सांविधिक और असांविधिक दोनों प्रकार के प्रयोजनों के लिये तेलुगु का प्रयोग करने के आदेश जारी किये गये।

तारीख 15-8-1979 से कुछ असांविधिक प्रयोजनों के लिये विभागाध्यक्षों के स्तर पर तेलुगु का प्रयोग लागू कर दिया गया है।

**पर्वेक्षण**

राजभाषा के रूप में तेलुगु के कार्यान्वयन की प्रगति पर निरंतर नज़र रखने के लिये सरकार ने जिला स्तर पर समीक्षा समितियां गठित की हैं। उप-जिला कलक्टर इस समिति का अध्यक्ष है। उप-जिला कलक्टर इसके उपाध्यक्ष और कलक्टर (राजस्व) के वैयक्तिक सहायक इसके सचिव के रूप में काम करते हैं। वैयक्तिक सहायक को जिले के भाषा अधिकारी के रूप में भी मनोनीत किया गया है। समिति की बैठक हर महीने ताल्लुका मुख्यालयों में और इसकी तीसरी बैठक जिला मुख्यालयों में होती है। समिति जिले में तेलुगु के प्रयोग की समीक्षा करती है।

राजकीय भाषा के रूप में तेलुगु के कार्यान्वयन के संबंध में कलक्टरों और विभागाध्यक्षों से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं। सरकार प्रगति की समीक्षा करती है और आवश्यक अनुदेश जारी करती है। तेलुगु के प्रयोग की प्रगति का पता लगाने के लिये विभिन्न कार्यालयों का व्यापक निरीक्षण करने के लिये तीन निरीक्षण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जिनमें से एक सरकार के सहायक सचिव के संवर्ग का है और दो विशेष ग्रेड के उप कलक्टरों के संवर्ग के हैं।

**राजभाषा आयोग**

सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार 1974 में आन्ध्र प्रदेश में एक राजभाषा आयोग गठित किया। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य हैं। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष अधिकारी (राजभाषा) इस आयोग का पदेन सचिव है। आयोग को सरकारी प्रयोजनों के लिये तेलुगु के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करनी और सरकार को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करनी होती हैं :—

(क) राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिये तेलुगु भाषा का प्रगामी-प्रयोग।

(ख) राज्य के सभी या किसी प्रयोजन के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध।

(ग) नीचे दिये गये विषय :—

(i) राज्य और जिला स्तरों पर राजभाषा संबंधी व्यवस्थाओं को उत्तरोत्तर कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त तेलुगु टाइपिस्टों का प्रशिक्षण।

(ii) सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिये पर्याप्त संख्या में तेलुगु टाइपराइटर प्राप्त करना।

(iii) न्यायालयों में राजभाषा सबंधी व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित कानूनों का अनुवाद।

(iv) गैर तेलुगु भाषी कर्मचारियों को टिप्पण और मसौदा लेखन में प्रशिक्षण देना और सरकारी मुद्रणालय में लाइनों टाइप मशीनें लगाना।

आयोग जिलों में कार्यालयों का निरीक्षण करता है और राजभाषा के कार्यान्वयन का अध्ययन करता है। अपने निरीक्षणों के दौरान, आयोग अधिकारियों की बैठकें आयोजित करता है और इनकी समस्याओं और तेलुगु के प्रयोग में प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। आयोग ने 1975 में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें विचारार्थ विषयों के लिये 1976 और 1978 में इसका पुनर्गठन किया गया। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अगस्त, 1979 से आगामी आदेश जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।

**अनुवाद**

राज्य और केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक पाठ तैयार करने का कार्यभार विधायी विभाग पर है।

जहां तक फार्मों का संबंध है संबंधित विभाग उनका ड्राफ्ट अनुवाद तैयार करता है, जिन्हें अनुवाद निदेशक द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। फार्म द्विभाषी (अंग्रेजी और तेलुगु) रूप में छापे जाते हैं।

अनुवाद निदेशक उस सभी सामग्री का अनुवाद प्रस्तुत करने के लिये भी जिम्मेदार है जिसकी सरकार को जरूरत होती है। यह निदेशालय विधायी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

संहिताओं, नियम पुस्तकों और अधिसूचनाओं आदि का अनुवाद करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग की देख-रेख में तथा अनुवाद निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अलग सेल कार्य कर रहा है।

सरकार, राजभाषा आयोग द्वारा अंतिम रूप दिये गये विभागीय शब्द संग्रहों को प्रकाशित कर रही है। आयोग अब तक 27 विभागों के शब्द संग्रहों को अंतिम रूप दे चुका है।

**टाइपराइटर**

सरकार ने एक मानक कुंजी पटल तैयार करके उसे अनुमोदित कर दिया है। राज्य में अब तक 750 तेलुगु टाइपराइटर विभिन्न कार्यालयों को सप्लाई किये जा चुके हैं। सरकार ने 2000 तेलुगु टाइपराइटरों के लिये दो विनिर्माण फर्मों को आर्डर दिये हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाल ही में मेसर्स रायला कार्पोरेशन लिमिटेड (मद्रास) द्वारा निर्मित नये हालडा तेलुगु टाइपराइटर का विमोचन किया है।

**टाइपिस्टों का प्रशिक्षण**

सरकारी कार्यालयों में निरन्तर बने रहने वाले नियमित और स्थायी अंग्रेजी टाइपिस्टों को जिला मुख्यालयों में तेलुगु टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक लगभग 6,000 प्रत्याशी तेलुगु टंकण में योग्यता प्राप्त कर चुके हैं।

**लाइनो कम्पोजिंग**

सरकार ने सरकारी केन्द्रीय प्रेस, हैदराबाद में तेलुगु अनुसंधान सेल स्थापित किया है। इस सेल ने तेलुगु कम्पोजिंग मशीन के लिये एक 272 पंक्त्यक्षर योजना तैयार की और सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है। आठ लाइनो टाइप मशीनें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। 6 मशीनें सरकारी केन्द्रीय प्रेस हैदराबाद में और दो सरकारी प्रेस, कुर्नूल में लगा दी गई हैं। ये मशीनें तेलुगु में विन्यास के लिये भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। उसके बाद एक नाप के टाइप (फाण्ट) इग्लैंड की एक विनिर्माता फ़र्म से प्राप्त हो चुके हैं।

**विधि न्यायालयों की भाषा**

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा अब भी अंग्रेज़ी है। सरकार निचले न्यायालयों में तेलुगु का प्रयोग शुरू करने के लिये उपाय कर रही है। ऐसे निदेश देते हुए आदेश जारी किये गये हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले मामलों में तेलुगु और अन्य भाषाओं को न्यायालयों की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 और 272 का संबंध दंड न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 और 138 का संबंध सिविल न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से है।

इस राज्य में चूंकि तेलुगु पहले से ही सिविल और दंड न्यायालयों की एक भाषा है, इसलिये न्यायालयों में तेलुगु भाषा में याचिकायें, शपथ-पत्र और प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और कानूनी तौर पर तेलुगु भाषा का न्यायालय की किसी अन्य भाषा में गवाही दर्ज करने और

सुनने पर भी कोई रोक नहीं है। सामान्यतः, जहां कहीं आवश्यक हो, अभियुक्त की परीक्षा उसकी मातृभाषा में ली जाती है और गवाह के बयान भी उनकी मातृभाषा में ही दर्ज किये जाते हैं। सम्मन नोटिस और वारंट आदि भी तेलुगु में जारी किये जाते हैं। सरकार कृष्णा, कुर्नूल और निजामाबाद जिलों में अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिये प्रयोगात्मक आधार पर तेलुगु का प्रयोग शुरू करने पर विचार कर रही है।

**गैर तेलुगुभाषी कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

सरकार ने राज्य में गैर तेलुगुभाषी कर्मचारियों को तेलुगु में प्रशिक्षण देने के लिये एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसके कार्यान्वयन का कार्यक्रम प्रशासन संस्थान को सौंप दिया गया है।

# महाराष्ट्र में राजभाषा का प्रयोग

1960 में महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद से ही सरकार की यह घोषित नीति रही है कि पूरे राज्य में प्रतिदिन के प्रशासन में मराठी भाषा का प्रयोग बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर 1960 में भाषा निदेशालय के नाम से एक स्वतंत्र निदेशालय गठित किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1964 पारित हो जाने पर मराठी को उचित और विधिसम्मत प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिये आवश्यक आधार प्रस्तुत हो गया जिसके परिणामस्वरूप 1-5-1966 से इसे राज्य की राजभाषा घोषित किया गया।

राजभाषा संबंधी व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिये एक भाषा निदेशालय की स्थापना की गई है जिसे निम्नलिखित मुख्य कार्य सौंपे गये हैं:—

(1) संदर्शिका तैयार करना और विभागीय नियम-पुस्तकों और राज्य सरकार के कार्यालय में इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न मानक फार्मों का अनुवाद करना।

(2) दैनंदिन के प्रशासन में मराठी के प्रयोग की प्रगति देखने और यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो उसे दूर करने के लिये सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों में जाना।

(3) मराठी में प्रशासन, विधि, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण करना।

(4) विधान सभा और विधान परिषद् के विधेयकों और सभी राज्य अधिनियमों और उनके अधीन बनाये गये नियमों का मराठी और हिन्दी में अनुवाद करना।

(5) सभी केन्द्रीय अधिनियमों का मराठी में अनुवाद करना।

(6) सारे बजट प्रकाशनों का मराठी में अनुवाद करना।

(7) सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों की रिपोर्टों का अनुवाद करना।

(8) मराठी के लिये मानक देवनागरी की बोर्ड विकसित करना।

(9) अल्पसंख्यक लोगों की भाषाओं में महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं, विधि-सारों और नियमावलियों का अनुवाद करना।

(10) मराठी और हिन्दी भाषाओं की परीक्षा, मराठी टाइपराइटिंग और आशुलिपि परीक्षाओं का संचालन करना और साथ ही अमराठी भाषी सरकारी कर्मचारियों को मराठी शिक्षण देना।

**1. प्रतिदिन के प्रशासन में मराठी का प्रयोग :**

सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार ने भाषा-निदेशक को प्राधिकार दिया है कि वह राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से दौरे करे और निरीक्षण करके इस संबंध में अपनी संतुष्टि करे कि प्रतिदिन के प्रशासन में मराठी के प्रयोग के लिये पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं और वह उनके सामने आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयास करे। इस प्रयोजन के लिये 1-8-1979 से निदेशक का पदनाम भाषा निदेशक व सरकार का पदेन उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कर दिया गया है।

**2. राजभाषा वर्ष :**

महाराष्ट्र सरकार ने कलेंडर वर्ष 1979 को 'राजभाषा वर्ष' के रूप में मनाया। तदनुसार सरकारी कार्यालयों में मराठी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये सभी स्तरों पर संयुक्त प्रयत्न किये गये।

राजभाषा वर्ष के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित थे :—

(1) इस वर्ष के दौरान प्रशासन के सभी क्षेत्रों में मराठी के प्रयोग के सभी पहलुओं पर बम्बई, पूना, कोल्हापुर और औरंगाबाद में परिसंवाद (सिम्पोजियम) हुए।

(2) सरकार ने प्रतिदिन के प्रशासन में मराठी के प्रयोग के लिये कई परिपत्र जारी किये और यह निश्चय किया कि प्रशासन के प्रतिदिन के कामकाज में इस वर्ष 60 प्रतिशत कार्य और 1985 के अंत तक शत-प्रतिशत कार्य मराठी में किया जाना चाहिए।

(3) सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण सरल बनाने के लिये सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष एकक बनाया गया है जिसमें सहायक के दो पद हैं। यह एकक भाषा निदेशक के नियंत्रणाधीन रखा गया है।

(4) 1-8-79 से भाषा-निदेशक का पदनाम भाषा-निदेशक व सरकार के पदेन उप-सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग कर दिया गया है।

(5) मराठी टाइपराइटिंग और मराठी आशुलिपि प्रशिक्षण योजना को इस वर्ष फिर से आरंभ कर दिया गया है।

**3. राज्य अधिनियमों आदि का अनुवाद :**

यह निदेशालय राज्य विधान मंडल में पेश किये जाने वाले विधेयकों का मराठी और हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य करता है। इसी प्रकार समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, अध्यादेशों, अधिनियमों, नियमावलियों और उप-विधियों के अनुवाद का कार्य भी यह निदेशालय करता है।

**4. केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद :**

प्रसिद्ध वकीलों और न्यायाधीशों से मिलकर बनी विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में इस निदेशालय द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों का मराठी अनुवाद भी किया जाता है। यह समिति राजभाषा स्कंध, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परामर्श से कार्य करती है। राजभाषा स्कंध केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद के लिये वार्षिक योजना प्रस्तुत करता हैं। इस समिति द्वारा किये गये केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद अधिप्रमाणित अनुवाद के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं।

**5. विधि शब्दकोष :**

समिति प्रस्तावित विधि शब्द-कोष के दो खंडों की रोट-प्रिंट प्रतियां प्रकाशित कर चुकी है और अब वह अन्ततः मुद्रण से पहले बहुत से विधि शब्दों को इसमें जोड़ने की दृष्टि से इसे दोहरा रही है।

**6. परीक्षा व प्रशिक्षण :**

यह निदेशालय सरकारी कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित परीक्षायें संचालित करता है। ये परीक्षायें वर्ष में दो बार होती हैं।

1. हिन्दी परीक्षा, उच्च, निम्न और मौखिक।
2. मराठी भाषा परीक्षा—अमराठी सरकारी कर्मचारियों के लिये उच्च व निम्न।
3. (क) मराठी टाइपराइटिंग 30 शब्द प्रति मिनट,
   (ख) मराठी आशुलिपि 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट।

राज्य सरकार के राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिये मराठी भाषा परीक्षा और हिन्दी भाषा परीक्षा ली जाती है।

**7. अल्प संख्यक लोगों की भाषाओं में अनुवाद :**

"अल्प संख्यक लोगों की भाषा संरक्षण योजना" भाषा निदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अनुसरण में महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं, नियमावलियों आदि का अल्प-संख्यक लोगों की भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था राज्य के चार मंडलीय मुख्यालयों में की गई है।

1. बम्बई—हिन्दी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ व सिंधी।
2. पूना—कन्नड़ व तेलुगु।
3. नागपुर—हिन्दी और उर्दू।
4. औरंगाबाद—उर्दू।

---

**देश की एकता के लिए एक सम्पर्क भाषा का होना नितान्त आवश्यक है।**
**देवनागरी लिपि का प्रचलन इसमें सहायक सिद्ध होगा।**

---

# पुस्तक समीक्षा

## राजभाषा हिंदी की कहानी (१९८०)

**लेखक--डा० रामबाबू शर्मा**

**प्रकाशक : अंकुर प्रकाशन, दिल्ली, मूल्य : रु० 35/-**

डा० रामबाबू शर्मा द्वारा लिखित "राजभाषा हिंदी की कहानी" एक तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद इस तथ्य को निश्चय ही बखूबी उजागर करता है कि भारत में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की एक लंबी और प्राचीन परंपरा है। डा० शर्मा ने सैकड़ों वर्ष पुरानी, अप्रकाशित, दुर्लभ और मौलिक सामग्री के आधार पर सफलतापूर्वक यह सिद्ध किया है कि राजकाज में हिंदी का प्रयोग राजपूत, मुसलमान, मराठा एवं अंग्रेजों के शासन में अनवरत रूप से होता रहा है।

यद्यपि स्वयं लेखक की यह मान्यता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी की वास्तविक परंपरा नवीं तथा दसवीं शती में राजपूतों के काल से आरंभ होती है, किंतु सामान्य शोधार्थी की तरह वे भी हर परंपरा का उत्स वेदों में ढूंढने की प्रवृत्ति के व्यामोह से नहीं बच सके हैं और राजभाषा हिंदी की कहानी दसवीं शती के बजाय 1500 ईस्वी शती पूर्व में वैदिक काल से आरंभ करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में लिखी रचनाओं में राजकाज की अपरिमित शब्दावली है, किन्तु यह तथ्य राजभाषा हिंदी की कहानी के ऐतिहासिक क्रम में बहुत प्रासंगिक नहीं है।

स्वयं लेखक के अनुसार नवीं तथा दसवीं शती के दौरान केन्द्रीय सत्ता के अभाव में सारा देश छोटे-छोटे अनेक राज्यों में बंट गया था। ऐसे समय में चारणों और दरबारी कवियों ने राजाओं की प्रशंसा और उनके पराक्रम तथा शौर्य के संबंध में काव्य लिखे। इन काव्य ग्रंथों में वह भाषा और तकनीकी शब्दावली व्यवहृत की गयी जो उस समय राजकाज के व्यवहार में आती थी। इसलिये ये ग्रंथ तत्कालीन राज-भाषा के दस्तावेज हैं। इसके प्रमाणस्वरूप इस पुस्तक में बारहवीं शती के प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। लेखक का मंतव्य है कि इन पत्रों की लेखन पद्धति प्राचीन भारतीय संस्कृति की पद्धति से मिलती जुलती है। किंतु इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये प्राचीन भारतीय पद्धति का कोई नमूना पेश नहीं किया गया है। ध्यान से देखा जाए तो इस काल में राजपूत राजाओं ने राजकाज के व्यवहार के लिये हिंदी का प्रयोग केवल क्षेत्रीय भाषा के रूप में किया है न कि संपर्क भाषा के रूप में। बहरहाल, इसका ऐतिहासिक महत्व अवश्य है।

मुसलमानों के शासनकाल में मुहम्मद गौरी ने अपने शासन का कामकाज देवनागिरि लिपि और हिंदी भाषा के माध्यम से करने का आदेश दिया। इन विदेशी राजाओं की यहां की राजसत्ता हाथ में लेते ही यह सोचने के लिये बाध्य होना पड़ा कि भारत में शासन स्थापित करने और अपनी जड़ें मजबूत करने के लिये इस देश की केन्द्रीय भाषा हिंदी को राजकाज में स्थान देना होगा। सारे भारत में केन्द्रीय स्तर पर शासन चलाने के लिये किसी विदेशी शासक द्वारा हिंदी को स्वीकार करने से संबंधित यह तथ्य इस बात का परिचायक है कि हिंदी को राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में मुसलमानों के आगमन पर ही मान्यता मिली। किंतु यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि अकबर जैसे जनप्रिय शासक को छोड़कर अन्य मुसलमान राजाओं ने केवल उन्हीं कामों के लिये हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दी, जिनका संबंध जनता से होता था। अन्य मामलों के लिये वे फारसी का ही प्रयोग करते रहे।

मराठों के काल में हिंदी का प्रयोग हिंदी और अहिंदी भाषी राजाओं के बीच राजकाज संबंधी व्यवहार के लिये भी किया जाने लगा। इस कार्य को सुचारु रूप से करने के लिये मराठा प्रशासन में अनुवाद की भी व्यवस्था थी। इतना ही नहीं हिंदी के माध्यम से पारस्परिक संपर्क की सुगमता का ज्ञान भी तत्कालीन राजाओं को था। इस संबंध में यह पत्र दृष्टव्य है :--

> "आपका कृपा पत्र आया करे सो हिंदवी लिखा आवे जो हम पढ़ लेवें"

अंग्रेजों के शासन काल में हिंदी का प्रयोग केवल ऐसे कामों के लिये ही किया जाता था, जिसका संबंध जनता से होता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने जनभाषा के रूप में हिंदी को महत्व अवश्य प्रदान किया, किंतु राजभाषा के रूप में नहीं। स्वतंत्र भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की कहानी सर्वविदित ही है।

इस प्रकार डा० शर्मा की "राजभाषा हिंदी की कहानी" इतिहास के अलग-अलग दौर में प्रशासन के विधि कामों के लिये प्रयुक्त जनभाषा हिंदी की कहानी है। यह कहानी इस बात की गवाह है कि जब कभी देश में केन्द्रीय स्तर पर जनसामान्य से संपर्क करने का दायित्व आया, हिंदी ने इसे बखूबी निभाया और यह सिद्ध किया कि हिंदी ही इस देश की वास्तविक संपर्क भाषा है।

**—विजय कुमार मल्होत्रा, हिंदी अधिकारी**
**दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद**

"भारतवर्ष क्या है ? अनादिकाल से नाना जातियाँ अपने नाना भाँति के संस्कार, रीति-रस्म लेकर इस देश में आती रही हैं। यहाँ भी अनेक प्रकार के मानव समूह विद्यमान रहे हैं। ये जातियाँ कुछ देर तक झगड़ती रही हैं और फिर रगड़-झगड़कर, ले-देकर पास ही पास बस गई हैं---भाइयों की तरह। इन्हीं नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति-रस्मों का जीवन्त समन्वय यह भारतवर्ष है। विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुंचाई है। उसका वाह्य रूप विचित्र सा दिखाई दे रहा है। इसी वैचित्र्यपूर्ण जन-समूह को आशा और उत्साह का संदेश देना साहित्य सेवा का लक्ष्य है। हजारों गाँवों और शहरों में फैली हुई, शताधिक जातियों और उपजातियों में विभक्त सभ्यता के नाना स्तरों पर ठिठकी हुई यह जनता ही हमारे समस्त प्रयत्नों का लक्ष्य है। इसका कल्याण ही साध्य है, बाकी सब कुछ साधन है। आपने जो अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त किया है वह अपने आप में अपना अन्त नहीं है। वह साधन है। इसी भाषा के सहारे आपको इस जनता तक पहुँचना है। इसको निराशा और पस्त-हिम्मती से बचाना अपना कर्त्तव्य है। परन्तु यह सरल काम नहीं है। केवल कुछ अच्छा करने की इच्छा मात्र से यह काम नहीं होगा। .....

सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है।"

—हजारीप्रसाद द्विवेदी

"अगर हमारे देश का स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला है, तो निःसंदेह अंग्रेजी ही राजभाषा होगी, लेकिन अगर हमारे देश के करोड़ों भूखों मरने वालों, करोड़ों निरक्षर बहिनों और दलित जनों का है और इन सबके लिए होने वाला है तो हमारे देश में हिन्दी ही एकमात्र राजभाषा हो सकती है।"

—महात्मा गांधी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री रंग नाथ त्रिपाठी 'राकेश' द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।